सी० बी० II संख्या 276

लोक सभा

कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

[15 नवम्बर, 1973 को प्रस्तुत]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

नवम्बर, 1973/कार्तिक 1895 (शक)

मूल्य : रुपये 3.30

कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972, संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, का शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
ग्यारह	28	2	लाभालों	लाभांशों
ग्यारह	28	8	धेय	देय
तेरह	39	3	आर्थिक भारतीय	अधिक भारतीय
सोलह	-	35	परिणाम के इस प्रकार	परिणाम इस प्रकार
सत्रह	-	12, 14	अर्हता	अर्हता
सत्रह	-	18	कम्पनी सचिव को डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्तियों को	डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्तियों को
उन्नीस	-	13	वाने वाले	जाने वाले
उन्नीस	-	14	सक्षक्त शास्त्र	सशक्त शस्त्र
उन्नीस	-	41	सभा	सजा
चौबीस	-	25	निश्चय	निश्चित
6		35	अधिक	अनधिक
13		22	सयम	समय
16		29	16	19
19		17	तारीख की ओर से	तारीख से
19		18	रक्त	रिक्त
27		25	ओर से सब अन्य	और अन्य
50		क्रमांक 16	श्री पटभिरामा राव	श्री पट्टाभिराम राव
55		क्रमांक 30	देवदत्त पुरी	श्री देव दत्त पुरी
57		क्रमांक 6	आर सचिव	अवर सचिव
58		क्रमांक 21	श्री कटरग श्री निड्डद्वास राव	श्री कटरगड्ड श्रीनिवास राव
	नीचे से दूसरी (क्रमांक 4)		डा0 (श्रीमती) उमा धर	डा0 (श्रीमती) उमा दर
79		5	श्री डी. पी. मेनन) श्री पी. पी. मेनन)	श्री पी. वी. मेनन
93		पैरा 7(एक)	समिति ने	समिति के
122		नीचे से 4	अतःस्थापित	अंतःस्थापित

विषय-सूची

	पृष्ठ
संयुक्त समिति की रचना	(तीन)
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(पांच)
विमति टिप्पण	(पन्द्रह)
विधेयक—जैसा कि संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है	1
परिशिष्ट—एक :	
विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये लोक सभा में प्रस्ताव	34
परिशिष्ट—दो :	
राज्य सभा में प्रस्ताव	36
परिशिष्ट— तीन :	
एसोसिएशनों/संगठनों की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए	37
परिशिष्ट—चार :	
उन संस्थाओं, संगठनों, आदि की सूची, जिनसे संयुक्त समिति के ज्ञापन प्राप्त हुये	41
परिशिष्ट—पांच :	
संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश	50

कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री नवल किशोर शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत वरुआ
4. श्री एच० के० एल० भगत
5. श्री सोमनाथ चटर्जी
6. श्री त्रिदिब चौधरी
7. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
8. श्री सी० चित्तिबाबू
9. श्री एस० आर० दामाणी
10. श्री मधु दण्डवते
11. श्री गंगाचरण दीक्षित
12. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
13. श्री पोपटलाल एम० जोशी
14. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
15. श्री बाबूराव जंगलूजी काले
16. श्री जगन्नाथ मिश्र
17. श्री सुरेन्द्र महन्ती

*18. श्री मोहम्मद शरीफ

19. श्री प्रियरंजन दास मुन्शी
20. श्री डी० के० पण्डा
21. श्री नरसिंह नारायण पांडे
22. श्री एच० एम० पटेल
23. श्री एस० वी० पी० पट्टाभिरामराव
24. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
25. श्री जगन्नाथ राव
26. श्री विश्वनाथ राय
27. श्री पी० एम० सईद
28. श्री राम रतन शर्मा

---

*श्री सी० सी० देसाई का निधन हो जाने पर, उनके स्थान पर 5 दिसम्बर, 1972 को नियक्त ।

29. श्री पी० रंगनाथ शिनाय
30. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

31. श्री सलिल कुमार गांगुली
32. श्री बी० टी० कुलकर्णी
33. श्री हर्षदेव मालवीय
34. श्री एस० एस० मरिस्वामी
35. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
36. श्री एम० के० मोहता
37. श्रीमती सरस्वती प्रधान
38. श्री देवदत्त पुरी
39. श्री के० श्री निवास राव
40. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
41. श्री हिम्मत सिंह
42. श्री हबीब तनवीर
*43. श्री एच० एम० त्रिवेदी
44. श्री महावीर त्यागी
45. डा० मुकुन्द राय व्यास

विधायी सलाहकार

1. श्री एस० के० मैभा—संयुक्त सचिव व विधायी सलाहकार
2. श्री एन० एल० वैद्यनाथन—अपर विधायी सलाहकार

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० रे—सचिव
2. श्री पी बी० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एच० एस० राव–उप-सचिव

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक—संयुक्त सचिव

श्री हरिगोपाल परांजपे–उप-सचिव

---

*श्री के ० वी० रघुनाथ रेड्डी द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर 29 मार्च, 1973 को उनके स्थान पर नियुक्त किए गए।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस संयुक्त समिति का, जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में और संशोधन करने का विधेयक* सौंपा गया था, सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं, जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक भी संलग्न है ।

2. यह विधेयक 11 अगस्त, 1972 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था । विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव 23 अगस्त, 1972 को तत्कालीन कम्पनी कार्य मंत्री श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी द्वारा लोक सभा में पेश किया गया था और स्वीकृत हुआ था (परिशिष्ट एक) ।

3. राज्य सभा ने 26 अगस्त, 1972 को उर्पयुक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की (परिशिष्ट–दो) ।

4. राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना 29 अगस्त, 1972 को लोक सभा को दी गई ।

5. समिति की कुल 38 बैठकें हुई ।

6. समिति ने अपना भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए 2 सितम्बर, 1972 को अपनी पहली बैठक की । समिति ने यह निर्णय किया कि विभिन्न वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों, संस्थाओं, संगठनों, व्यक्तियों आदि से, जो विधेयक की विषयवस्तु में रुचि रखते हों, ज्ञापन आमंत्रित किए जायें और उसने यह भी निश्चय किया कि इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाये जिसके द्वारा ज्ञापन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 20 सितम्बर, 1972 निश्चित की जाये । सभापति को इसके लिए प्राधिकृत किया गया कि वह विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि से प्राप्त ज्ञापनों पर विचार करने के बाद यह निर्णय करें कि उनमें से किसको समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाये ।

7. समिति को विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, व्यक्तियों आदि से विधेयक के संबंध में 130 ज्ञापन प्राप्त हुए (देखिए परिशिष्ट-तीन में दी गई सूची) ।

8. 27 सितम्बर, 1972 को हुई समिति की दूसरी बैठक में तत्कालीन कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी) ने विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के आशय के बारे में विस्तारपूर्वक बताया । इस बैठक में समिति ने यह भी निश्चय किया कि अनेक संस्थाओं, संगठनों आदि से प्राप्त अनुरोध को देखते हुए ज्ञापन प्रस्तुत करने की तारीख 10 अक्तूबर, 1972 तक बढ़ा दी जाये ।

9. 13 दिसम्बर, 1972 को समिति ने अपनी 13वीं बैठक में यह निश्चय किया कि विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए 1 से 4 जनवरी, 1973 तक कलकत्ता में तथा 22 से 24 जनवरी, 1973 तक बम्बई में बैठकें की जायें ।

10. समिति ने 28 तथा 29 सितम्बर, 1972, 23 से 29 अक्तूबर तथा 11 से 13 दिसम्बर, 1972 को दिल्ली में हुई अपनी बैठकों में, 1 से 4 जनवरी, 1973 तक कलकत्ता में हुई अपनी बैठकों में, 22 से 24 जनवरी, 1973 तक बम्बई में हुई अपनी बैठकों में तथा 13 से 16 जून, 1973 तक मद्रास में हुई अपनी बैठकों में विभिन्न वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों, संस्थाओं, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया (देखिए परिशिष्ट- चार में दी गई सूची) ।

11. समिति का प्रतिवेदन 13 नवम्बर, 1972 तक सभा में प्रस्तुत किया जाना था । समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय चार बार बढ़ाया गया : पहली बार 13 नवम्बर, 1972 को 2 फरवरी, 1973 तक : दूसरी बार 22 फरवरी, 1973 को, 30 जुलाई, 1973 तक : तीसरी बार 27 जुलाई, 1973 को 5 सितम्बर, 1973 तक तथा चौथी बार 30 अगस्त, 1973 को 16 नवम्बर, 1973 तक ।

---

*दिनांक 11 अगस्त, 1972 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

12. 7 फरवरी, 1973 की अपनी 21वीं बैठक में समिति ने निर्णय किया कि (एक) समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखा जाये, और (दो) विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि से समिति को जो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं उनकी दो-दो प्रतियां, प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, सदस्यों के अवलोकनार्थ रख दी जायें ।

13. 10 जुलाई, 1973 को हुई अपनी बैठक में समिति ने यह निर्णय किया कि विधेयक पर खण्ड-वार विचार करने के पूर्व विधेयक के प्रत्येक खण्ड के बारे में सामान्य चर्चा की जाये । तदनुसार, समिति ने 10 से 13 जुलाई तथा 21 जुलाई, 1973 को हुई अपनी बैठकों में विधेयक के विभिन्न खण्डों के बारे में प्रस्तावित संशोधनों पर सामान्य चर्चा की । विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने विधेयक के विभिन्न खण्डों के बारे में समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न सुझावों के संबंध में अपनी तात्कालिक प्रतिक्रिया भी व्यक्त की ।

14. समिति ने 15 से 18 अक्तूबर, 1973 को हुई अपनी बैठकों में विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया ।

15. समिति ने 8 नवम्बर, 1973 को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

16. विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के संबंध में समिति के विचार अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं ।

17. **खण्ड** 2---[उप-खण्ड (एक)] :—

(क) इस उप-खण्ड के द्वारा मूल अधिनियम की धारा 2 में एक नया खण्ड (18 क) अन्तःस्थापित करने की व्यवस्था की गयी है जिसमें 'समुदाय' शब्द के अर्थ की परिभाषा दी गई है । समिति अनुभव करती है कि प्रस्तावित उपबन्ध के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसकी परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामले भी जिनमें दो या अधिक व्यष्टि, संगम, फर्म या निगम निकाय या उनका कोई समुच्चय जो इन पर नियंत्रण रखने की स्थिति में हों, इसके अधीन आ सकें । परिभाषा में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है ।

(ख) "समुदाय" की परिभाषा को अन्तःस्थापित करने की दृष्टि से समिति अनुभव करती है कि इस बारे में किसी शंका या विवाद के संबंध में निश्चय करने के लिए एक बाक्यीठ की व्यवस्था करना उचित होगा कि क्या दो या अधिक व्यष्टि, संगम, फर्म या निगम निकाय या उनका कोई समुच्चय कोई 'समुदाय' गठित करता है अथवा नहीं । तदनुसार, समुदाय की परिभाषा के साथ स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है ।
उप खण्ड (तीन) : 'सचिव' शब्द की परिभाषा को, विधेयक के खण्ड 30 (मूल खण्ड 29) (नई धारा 383क) के प्रयोजनों के सुसंगत बनाने के लिए संशोधित कर दिया गया है । अन्य संशोधन पारिणामिक हैं ।

18. **खण्ड** 3 : खण्ड 3 के द्वारा विधेयक में दो नयी धारायें, अर्थात् धारा 4क और 4ख, पुरःस्थापित करने की व्यवस्था की गई है । धारा 4ख में 'एक ही प्रबंध' अभिव्यक्ति की व्यापक परिभाषा दी गई है । चूंकि इस अभिव्यक्ति को धारा 370 की उप-धारा (1ख) में पहले ही परिभाषित कर दिया गया है और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उप-धारा (1ख) में अंतर्विष्ट रूप में "एक ही प्रबंध" की परिभाषा को एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापरिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में उसी रूप में गृहीत कर लिया गया ह, अतः इस विधेयक के द्वारा धारा 370 की उप-धारा (1ख) का लोप करने की और एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में पारिणामिक संशोधन करने की व्यवस्था की गई है, ताकि धारा 4ख में अंतर्विष्ट रूप में "एक ही प्रबंध" की व्यापक परिभाषा उन कम्पनियों के अन्तर-संबंध का, जिन पर एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 लागू होता है, निर्धारण करने के लिए प्रयोजनीय हो सके ।

समिति अनुभव करती है कि "एक ही प्रबन्ध" की परिभाषा इतनी अधिक व्यापक है कि इससे लघु और मध्यम आकार की कम्पनियों के कार्य संचालन के निर्बन्धित होने की सम्भावना है और इससे पूंजी के निर्माण में बाधा पड़ने और निगमित क्षेत्र के सुदृढ़ विकास के लिए आवश्यक अन्तर-निगम निवेशों में अड़चन पड़ने की भी सम्भावना है। अतः समिति का विचार है कि जहां तक धारा 370 की उप-धारा (1ख) में अन्तर्विष्ट परिभाषा का सम्बन्ध है उस परिभाषा को बनाये रखा जाना चाहिए ताकि वह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन आने वाली कम्पनियों पर लागू होती रहे। किन्तु जहां तक एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आने वाली

कम्पनियों का सम्बन्ध है, उन कम्पनियों को 'एक ही प्रबन्ध' की व्यापक परिभाषा के अधीन लाया जाना चाहिए और फलतः धारा 4ख में अन्तर्विष्ट रूप में 'एक ही प्रबन्ध' की व्यापक परिभाषा को एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में अन्तरित कर दिया जाना चाहिए। अतः खण्ड 3 में से नई धारा 4ख का लोप कर दिया गया है और 'एक ही प्रबन्ध' की व्यापक परिभाषा को विधेयक के खण्ड 43 (मूलतः खण्ड 39) में समादिष्ट करने हेतु उस खण्ड का संशोधन कर दिया गया है।

19. **नया खण्ड 4**--

कुछ एक शक्तियों को जो अभी तक न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त की जाती रही हैं, कम्पनी विधि बोर्ड को अन्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए, समिति यह अनुभव करती है कि कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर नौ कर दी जाए जिससे कि ऐसे मामले, जिनके सम्बन्ध में न्यायालय की शक्तियों को कम्पनी विधि बोर्ड को अन्तरित करने का विचार है, बोर्ड द्वारा गठित एक या अधिक न्यायपीठों द्वारा शीघ्रता से निपटाए जा सकें। कम्पनी विधि बोर्ड अपने न्यायिक सदृश कृत्यों का निर्वहन कर सके इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कम्पनी विधि बोर्ड को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्रदान की जायें जिससे कि वह साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेज प्रस्तुत कराने, आदि में उनका प्रयोग कर सके और इसकी अवज्ञा किये जाने पर दण्ड भी दे सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि कम्पनी विधि बोर्ड की न्यायिक-सदृश शक्तियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त वैधानिक अर्हता-प्राप्त और अनुभवी व्यक्तियों को कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाए।

उपर्युक्त मामलों की व्यवस्था करने के लिए तदनुसार समिति द्वारा नया खण्ड 4 अन्तःस्थापित किया गया है।

20. **खण्ड 5, 9, 13 और 14 (मूलतः खण्ड 4, 8, 11 और 12) :**

इन खण्डों में उन शक्तियों को, जिनके अधीन कुछ मामलों का, निर्णय इस समय न्यायालयों में किया जाता है, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित करने की व्यवस्था की गई है। संयुक्त समिति के समक्ष यह बात उठायी गई थी कि चूंकि इन शक्तियों का स्वरूप न्यायिक-सदृश है अतः इनका प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अतः समिति अनुभव करती है कि इन शक्तियों को केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त करने के स्थान पर, इन्हें स्वयं इस कानून द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड को प्रदत्त किया जाना चाहिए जिससे कि वह इन शक्तियों का न्यायिक-सदृश रूप से प्रयोग कर सके।

इन खण्डों में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

21. **खण्ड 6 (मूल खण्ड 5) :**

(क) **उप-खण्ड (1)**--विद्यमान धारा 43क (1) के अनुसार, जहां किसी प्राइवेट कम्पनी की समादत्त शेयर पूंजी की 25 प्रतिशत से अन्यून किसी एक या अधिक निगमित निकाय के पास होगी वहां ऐसी प्राइवेट कम्पनी पब्लिक कम्पनी हो जायेगी। इस उप-खण्ड के द्वारा, जिस रूप में यह पुरःस्थापित किया गया है, इस प्रतिशतता को 25 से घटाकर 10 करने का प्रस्ताव है। समिति का विचार है कि शेयर धारण करने की प्रतिशतता घटाकर दस करने से लघु उद्योग क्षेत्र को प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की स्थापना तथा विकास में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बाधा पड़ने की संभावना है। अतः धारा 43क (1) के उपबन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। समिति का यह भी विचार है कि ऐसी प्राइवेट कम्पनियां जिनकी पूंजी कम है परन्तु उच्च आवर्त के कारण जिन में उपभोक्ता तथा कर्मचारी का पर्याप्त हित है, सरकारी कम्पनियों के क्षेत्र में लाई जांये, उनकी समादत्त शेयर पूंजी चाहे कुछ भी हो। अतः समिति सिफारिश करती है कि कोई प्राइवेट कम्पनी, उसकी समादत्त शेयर पूंजी चाहे कुछ भी हो, एक पब्लिक कम्पनी हो जायेगी यदि इसका औसत वार्षिक आवर्त एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक है। अतः समिति ने इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु धारा 43क की उप-धारा (1) के पश्चात नई उप-धारा (1क) अन्तःस्थापित की है।

(ख) **उप-खण्ड (दो)** : विधेयक में, जैसा कि प्रारंभ में पुरःस्थापित किया गया यह उपबन्ध था कि कोई प्राइवेट कम्पनी जिसके द्वारा किसी पब्लिक कम्पनी की दस प्रतिशत या इससे अधिक समादत्त शेयर पूंजी धृत है, एक पब्लिक कम्पनी समझी जायेगी। समिति अनुभव करती है कि प्रतिशतता 10 निर्धारित करने से पब्लिक कम्पनियों की पूंजी के निर्माण तथा विकास में बाधा पडने की संभावना है। अतः समिति सिफारिश करती है कि प्रतिशत बढ़ाकर 25 कर दिया जाये। उप-खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है। उप-धारा की संख्या में अनुषंगिक परिवर्तन किया गया है।

(ग) **उप- ण्ड (तीन)**: समिति का विचार है कि कोई प्राइवेट कम्पनी जिसमें समूची शेयर पूंजी किसी अन्य प्राइवेट कम्पनी द्वारा धृत है, एक पब्लिक कम्पनी नहीं बननी चाहिये। अत : इस उप-खण्ड का इस उद्देश्य से लोप कर दिया गया है कि वर्तमान धारा 43क के अधीन मिलने वाली छूटें मिलती रहें।

(घ) **उप-खण्ड (चार) [उप-खण्ड (तीन) के रूप में पुनः सांख्यांकित]** :

ये संशोधन आनुषंगिक किस्म के हैं। समिति अनुभव करती है कि ऐसी प्राइवेट कम्पनियों को जिनकी औसत वार्षिक आवर्त एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक नहीं है। इस संबंध में रजिस्ट्रार के पास एक प्रमाणपत्र फाइल करना चाहिए।

(ङ) **नया उप-खण्ड (चार)**: समिति अनुभव करती है कि प्रत्येक प्राइवेट कम्पनी को, जिसके पास शेयर पूंजी है, वार्षिक विवरण के साथ रजिस्ट्रार को वार्षिक विवरण पर दोंनो हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र देना चाहिए जिसमें यह कथन हो कि उस वार्षिक साधारण अधिवेशन को, जिसके संदर्भ में पिछला वार्षिक विवरण भेजा गया था। तारीख से अथवा प्रथम विवरण की दशा में प्राइवेट कम्पनी के निगमन की तारीख से इसने एक या एक से अधिक पब्लिक कम्पनियों को समादत्त शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत या अधिक धृत नहीं किया था।

तदनुसार धारा 43क में एक नई उप-धारा (9) जोड़ दी गई है।

(च) समिति ने एक स्पष्टीकरण भी अन्तःस्थापित किया है जिसमें 'सुसंगत कालावधि' और 'आवर्त' शब्दों की परिभाषा दी गई है ताकि इन शब्दों की व्याख्या के सम्बन्ध में कोई कठिनाई न हो।

22. **खण्ड 7 (मूल खण्ड 6)** : इस खण्ड में नये खण्ड 58क और 58ख अन्तःस्थापित करने का उपबन्ध है।

(एक) प्रस्तावित खण्ड 58क के उप-खण्ड (2) में उपबन्ध है कि कोई भी कम्पनी तब तक कोई निक्षेप आमन्त्रित नहीं करेगी या स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि एक ऐसा विज्ञापन नहीं निकाल दिया गया हो जिसमें कम्पनी की वित्तीय स्थिति, प्रबन्ध ढांचा तथा अन्य ब्यौरा दिया गया हो। समिति अनुभव करती हैं कि कम्पनी के निदेशकों या अंशधारियों से निक्षेप की प्राप्ति के लिये ऐसा विज्ञापन आवश्यक नहीं होना चाहिए। किसी कम्पनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निक्षेप स्वीकार किया जाना ही पर्याप्त होगा। जहां तक एक कम्पनी द्वारा जन साधारण से निक्षेपों के आमन्त्रण का सम्बन्ध है, ऐसा आमन्त्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए और ऐसा आमन्त्रण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि एक विज्ञापन निर्धारित रूप में तथा निर्धारित ढंग से प्रकाशित नहीं किया जाता जिसमें कम्पनी की वित्तीय स्थिति भी बताई गई हो।

(दो) समिति अनुभव करती है कि उन निक्षेपों का, जो अब तक कम्पनियों द्वारा स्वीकार किये गये हैं, या तो कम्पनियों ने उपयोग कर लिया होगा या उन्होंने उनको दीर्घावधि प्रतिभूतियों में लगा दिया होगा और इसलिए हो सकता है कि कम्पनियां संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से तीस दिनों के भीतर निक्षेप वापस करने की स्थिति में न हों। अतः लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक के उपबन्धों को यदि इसी रूप में बने रहने दिया जाये तो निक्षेपों के प्रतिसंदाय के लिए अधिकांश कम्पनियों को राष्ट्रीयकृत या अन्य बैंकों से ऋण लेना पड़ेगा और ऐसे ऋण से कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पर अनावश्यक बोझ पड़ सकता है। अतः समिति अनुभव करती है कि निक्षेपों की वापसी सम्बन्धी उपबन्धों को उदार बनाया जाये और तदनुसार समिति सिफारिश करती है कि:—

(क) संशोधन अधिनियम से पूर्व के निक्षेप, जो कम्पनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3ख के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार स्वीकार किये गये थे, ऐसे निक्षेपों की शर्तों के अनुसार जारी रहने दिये जायें। परन्तु ऐसा कोई भी निक्षेप उसकी अवधि की समाप्ति के पश्चात कम्पनी द्वारा तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि निक्षेप ऐसा न हो जो उस दशा में स्वीकार किया जा सकता यदि उपधारा (1) के अधीन बनाए गये नियम उस समय प्रवृत्त होते जब कम्पनी ने वह निक्षेप स्वीकार किया था।

(ख) संशोधन अधिनियम लागू होने से पूर्व के निक्षेपों का प्रतिसंदाय जो कम्पनियों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये पूर्वोक्त निदेशों के उल्लंघन में प्राप्त किये गये थे, ऐसे निक्षेपों की शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। परन्तु यदि ऐसे निक्षेप पूर्वतर प्रतिसन्देय न हों तो उनका प्रतिसन्देय क्रमबद्ध

ढंग से किया जाये अर्थात् ऐसे निक्षेप के एक तिहाई का प्रतिसन्दाय 1 अप्रैल, 1974 से पूर्व किया जाये, ऐसे निक्षेप के अन्य एक तिहाई का प्रतिसंदाय 1 अप्रैल, 1975 से पूर्व किया जाये तथा ऐसे निक्षेप के अधिशेष का प्रतिसंदाय 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व किया जाये। परन्तु ऐसा प्रति संदाय ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो ऐसे निदेश के उल्लंघन में ऐसे निक्षेप को स्वीकार करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन की जाए।

(ग) संशोधनकारी अधिनियम के पश्चात् के कोई निक्षेप जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उप धारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में स्वीकार किये जायें तो कम्पनी द्वारा ऐसे निक्षेपों का प्रति संदाय ऐसे निक्षेप स्वीकार किये जाने की तारीख के तीस दिन के भीतर या तीस दिन से अनधिक के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो कम्पनी द्वारा पर्याप्त कारण होने पर केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात करे, किया जाएगा।

(तीन) समिति का विचार है कि जहां ऊपर लिखित उपबन्धों के अनुसरण में निक्षेप की वापसी के सम्बन्ध में लोप हुआ हो या राशि वापस न की गयी हो वहां इस तरह के उल्लंघन के लिये कम्पनी पर जुर्माना किया जाना चाहिये तथा जर्माने की राशि उस रकम के दूगने से कम नहीं होगी जिसके सम्बन्ध में निक्षेप का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है और यदि जुर्माना वसूल कर लिया जाये तो उस रकम के बराबर की रकम जिसके सम्बन्ध में निक्षेप का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है। अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को संदक्ष की जाएगी जिसको निक्षेप का प्रति संदाय किया जाना था और एसे संदाय पर कम्पनी का निक्षेप का प्रतिसंदाय करने का दायित्व न्यायालय द्वारा संदत्त रकम की सीमा तक उन्मोचित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसरण में निक्षप के प्रतिसंदाय के संबंध में कोई लोप किया गाय हो या प्रतिसंदाय में असफलता रही हो, वहां कम्पनी का प्रत्येक वह अधिकारी जो जानबूझ कर लोप करने या प्रतिसंदाय न कर पाने का दोषी है या जिसने जानते हुए या जानबूझ कर इस तरह का लोप करने या प्रतिसंदाय न करने के लिये प्राधिकृत किया है, कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी दण्डनीय होगा तथा जुर्माने का दायी भी होगा।

(चार) समिति का विचार है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के विवरण पत्रिका सम्बन्धी उपबन्ध धारा 58क में निर्दिष्ट किसी भी विज्ञापन में जहां तक सम्भव हो, लागू होने चाहियें। तदनुसार धारा 58ख का प्रारूप जैसा कि विधेयक द्वारा पुरःस्थापित किया जाना है, पुनः तैयार किया गया है।

23. **नया खण्ड 10**——समिति का विचार है कि इस विद्यमान अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ के पूर्व तथा उसके बाद किसी पब्लिक कम्पनी द्वारा निगमित अधिमानी शयरों के बीच किया अन्तर समाप्त किया जाना चाहिये तथा सभी अधिमानी शयरों को एक समान माना जाना चाहिये ताकि 1 अप्रैल, 1956 से पूर्व निगमित अधिमानी शेयरों के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त मत देने का अधिकार न रहे। तदनुसार, मुख्य अधिनियम की धारा 90 को एक नयी धारा से प्रतिस्थापित किया गया है।

24. **खण्ड 12 (मूल खण्ड 10)**——इस खण्ड में नयी धाराएं 108क से 108 ज तक पुरःस्थापित की गई हैं।

1. **नयी धारा 108 क**——इस धारा में किये गये संशोधन परिणामिक है।

नयी धारा 108 ख ——(एक) इस धारा में शेयरों के अन्तरण पर निर्बन्धन के सम्बन्ध में अनुबन्ध किया गया है। समिति का विचार है कि धारा 108ख के उपबन्धों से शेयरों के परिनिर्धारण पर कोई प्रतिकल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये तथा शेयरों के अन्तरण के सम्बन्ध में लगाये गये निर्बन्धन की अवधि साठ दिन कर दी जानी चाहिये और जहां प्रस्थापित अन्तरिती को किये गये किसी अन्तरण को केन्द्रीय सरकार अनुमोदित न करे वहां कम्पनी को उस शेयर को किसी अन्य अन्तरिती को अन्तरित करने की प्रस्थापना के साथ एक नयी सूचना देने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उप धारा (2) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

(दो) धारा 108ख की उप धारा (3) में किया गया संशोधन स्पष्टीकरण सम्बन्धी है।

(तीन) समिति का विचार है कि शेयरों के बाजार मूल्य वहां तत्काल दिया जाएगा जहां ऐसे बाजार मूल्य के बारे में कोई विवाद न हो अथवा जहां ऐसा मूल्य परस्पर तय हुआ हो। किन्तु जहां बाजार मूल्य के बारे में विवाद हो वहां यथास्थिति केन्द्रीय

सरकार या निगम द्वारा प्राक्कलित मूल्य तत्काल दिया जाएगा और अतिशेष यदि कोई हो, उस तारीख से जब न्यायालय द्वारा मूल्य अवधारित हो, तीस दिन के भीतर दिया जाएगा। तदनुसार धारा 108(ख) में एक नयी उपधारा (4) अन्त:स्थापित की गयी है।

(चार) समिति का विचार है कि चूंकि धारा 108ख में शेयरों के अन्तरण पर निर्बन्धन लगाने का उपबन्ध किया गया है अत: अर्जक को दण्डनीय बनाना आवश्यक नहीं है। इसलिए धारा 108ख की उपधारा (6) के खण्ड (ग) का लोप कर दिया गया है।

इस धारा में किये गये अन्य संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी हैं।

(iii) **नई धारा 108 ग**—धारा 108ग में भारत में स्थापित कारबार का स्थान रखने वाले उन विदेशी निगमित निकायों के शेयरों के उन मामलों में जिनमें केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये गये अन्तरण सम्मिलित नहीं हैं, अन्तरण पर निर्बन्धन लगाने का अनुबन्ध किया गया है जिन के पास सम्बन्धित विदेशी कम्पनी की नामीय शेयर पूंजी के दस प्रतिशत या उससे अधिक मूल्य के शेयर हैं। समिति का विचार है कि शेयर के अन्तरण के सम्बन्ध में अनुमोदन करने से तब तक इन्कार नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। समिति का यह विचार भी है कि इस धारा को केवल निगमित निकायों द्वारा शेयरों के धारण का अन्तरण किये जाने तक सीमित रखा जाना चाहिये तथा व्यक्तियों द्वारा किये गये शेयरों के स्वामित्व अन्तरण इस धारा के अन्तर्गत नहीं आने चाहियें।

उप धारा (1) के खण्ड (दो) में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है। अन्य संशोधन शाब्दिक हैं।

(iv) **नयी धारा 108घ**—यह धारा उन शेयरों या शेयरों के ब्लाक के बारे में मत देने के अधिकार पर रोक लगाती है जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कोई निदेश दिया है। समिति का विचार है कि मत के अधिकारों को हमेशा के लिये समाप्त नहीं किया जाना चाहिये।

तदनुसार, धारा 108घ में उप धारा (4) जोड़ी गयी है जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि विक्रेता को शेयरों का पुन: अन्तरण हो जाने पर, उसे शेयरों के सम्बन्ध में मत देने का तथा अन्य अधिकार होंगे परन्तु उसने क्रेता को क्रय राशि का प्रतिसन्दाय कर दिया हो।

(v) **नई धारा 108ङ**—समिति का विचार है कि यदि धारा 108क या 108ग के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा साठ दिन के अन्दर अनुमोदन न किया गया तो इस तरह का अनुमोदन अनुदत्त मान लिया जाना चाहिये।

तदनुसार एक नयी धारा 108ङ अन्त:स्थापित की गयी है।

(vi) **नई धारा 108 ज**—समिति के विचार से यह उचित होगा कि प्रस्तावित धारा 108क आदि के उपबन्धों को केवल उन्हीं कम्पनियों पर लागू किया जाये जो एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अध्याय तीन के भाग क के अन्तर्गत आती हैं क्योंकि ये धाराएं विशेषकर आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण से सम्बन्धित हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए धारा 108ज प्रतिस्थापित की गई है।

25. **खण्ड 15 (मूल खण्ड 13)**—संयुक्त समिति के सामने यह प्रश्न उठाया गया था कि धारा 187ग के उपबन्धों को देखते हुए कम्पनियों को उस व्यक्ति के अवधारण के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, जिसे लाभांश दिया जाना है, और, इस प्रकार की मुकदमेबाजी के परिणास्वरूप लाभांशों के भुगतान में अनिश्चित काल तक विलम्ब हो सकता है। समिति अनुभव करती है कि इन आशंकाओं को कम करने की दृष्टि से यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनियों की लाभांश देने की बाध्यता उन्मोचित हो जायेगी यदि धारा 206 के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत शेयरधारकों को लाभांश दिये जायें।

तदनुसार धारा 187ग में एक नई उप धारा (7) जोड़ दी गई है।

26. **खण्ड 17 (मूल खण्ड 15)**—इस खण्ड द्वारा नई धारा 204क अन्त:स्थापित करने की व्यवस्था है जिसमें उन व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने का उपबन्ध किया गया है जिन्होंने पहले कभी कम्पनी में लाभ के किसी पद पर प्रबन्ध अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल के रूप में कार्य किया था। समिति का विचार है कि ऐसे प्रतिबन्ध केवल उन व्यक्तियों पर लगाये जाने चाहिएं जिन्होंने 15 अगस्त, 1960 के पश्चात प्रबन्ध अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल के रूप में कार्य किया था।

तदनुसार खण्ड में संशोधन किया गया है।

27. नया खण्ड 18—नई धारा 205 क की उप धारा (3) संचित लाभों में से लाभांश घोषित करने पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। संयुक्त समिति में यह प्रश्न उठाया गया कि इस उपबंध से वर्ष के समस्त लाभों को लाभांश के रूप में वितरित करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है और इस प्रकार का वितरण कम्पनी तथा उसके शेयर धारकों के हितों के लिए अहितकर हो, सकता है। समिति अनुभव करती है कि लाभों की कुछ प्रतिशतता, दस प्रतिशत से अधिक नहीं, अनिवार्य रूप से आरक्षितियों में अंतरित की जाये जो कम्पनी तथा उसके शेयर धारकों दोनों के लिए लाभप्रद होंगी क्योंकि प्रस्तावित धारा में परिकल्पित आधार के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अध्याधीन ऐसी आरक्षितियां कम्पनी को विस्तार कार्यक्रमों के लिए पुनः धन लगाने हेतु उपलब्ध होगी और साथ ही जिस वर्ष सबसे कम लाभ हो उस वर्ष लाभांशों की घोषणा करने के लिए भी उपलब्ध होगी। खण्ड में उपयुक्त मामलों के लिए व्यवस्था की गई है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक परन्तुक जोड़ दिया गया है कि प्रस्तावित उप धारा द्वारा लाभों की कोई उच्चतर प्रतिशतता के आरक्षितियों में स्वेच्छया अन्तरण को प्रतिषिध नहीं किया गया है किन्तु अन्तरण केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा।

28. **खण्ड 19 (मूल खण्ड 16)**—इस खण्ड में, पुरःस्थापित रूप में यह अपेक्षित है कि कम्पनी को लाभांश की घोषणा की तारीख से सात दिन के भीतर लाभालों की सम्पूर्ण रकम विशेष लाभांश खाते में अंतरित कर देनी चाहिए। संयुक्त समिति को यह बताया गया है कि यह उपबंध अत्याधिक कड़ा है और इससे बहत कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। समिति को यह भी बताया गया कि चूंकि अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के पास लाभांश रकम भुगतान करने के लिए बयालीस दिन का समय होता है इसलिए सात दिन के भीतर लाभांशों की समस्त रकम को विशेष खाते में जमा कराने सम्बन्धी उपबंध अनुचित हैं। अतः समिति यह अनुभव करती है कि केवल वही राशि विशेष लाभांश खाते में अंतरित की जाये जो लाभांशों को घोषणा की तारीख से बयालीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात असंदत्त रहती है। ऐसी रकम पर प्रोदभूत होने वाला व्याज कम्पनी के शेयर धारकों जिनको लाभांश असंदत्त रह गये हैं, के फायदे के लिए प्रयोग में लाया जाये और उनको धेय रकम के अनुपात में संदत्त किया जाये।

तदनुसार खण्ड में संशोधन किया गया है।

29. खण्ड 21 तथा 22 (मूल खण्ड 18 तथा 19)

संशोधन प्रारूपण और शाब्दिक स्वरूप के हैं।

30. **खण्ड 23 (मूल खण्ड 20)**—(एक) समिति का विचार है कि किसी संपरीक्षक द्वारा किये जाने वाले संपरीक्षाओं की संख्या पर लगाई जाने वाली अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि प्रत्येक कम्पनी धारा 224 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी संपरीक्षक की नियुक्ति करते समय संपरीक्षक से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी कि नियुक्ति या पुर्ननियुक्ति, यदि की जाती है तो उपधारा (1ख) और (1ग) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार होगी।

तदनुसार धारा 224 की उपधारा (1) के साथ एक परन्तुक जोड़ा गया है।

(दो) धारा 224 में अन्तःस्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई उप धारा (1ख) मे संपरीक्षकों में संपरीक्षा कार्य को चक्रानुक्रम के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। ऐसा संपरीक्षकों को कम्पनीयों के समूहों में असम्बन्ध करने के लिए किया गया है ताकि उन्हें प्रबन्धकों की कमियों को छुपाने के लिए शेयरधारियों द्वारा कोई लालच न दिया जा सके ऐसा विभिन्न सम्परीक्षकों ने संपरीक्षा कार्य के ओर अधिक उचित वितरण की दृष्टि से भी किया गया है ताकि संपरीक्षा व्यवसाय के युवा संपरीक्षकों की व्यवसाय में प्रगति और बेहतर अवसर मिल सकें।

तथापि, समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया है कि चक्रानुक्रम की प्रणाली का आसानी से अपवंचन किया जा सकता है और यह कि इस प्रकार के चक्रानुक्रम से वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसके लिए इन उपबंधों की व्यवस्था की गई थी।

समिति ने इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है और वह महसूस करती है कि संपरीक्षकों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी जिनको विधेयक पुरःस्थापित करते समय ध्यान में रखा गया था। चूंकी कम्पनियां विभिन्न आकार की है, अतः अधिकतम सीमा निर्धारित करना तभी उपयोगी होगी जब कम्पनियों की संख्या तथा उनके आकार दोनों को ध्यान में रख कर अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी। समिति का विचार है कि बीस कम्पनियों की अधिकतम सीमा रखना उचित होगा। इस सीमा में अकेले अथवा फर्मों में संपरीक्षकों के रुप कार्य कर रहे चार्टर्ड एकाउण्टेंटों का कम्पनियों के समूहों के साथ निरंतर सम्बन्ध बने रहने की बुरी प्रथा काफी हद तक टूटेगी क्योंकि कम्पनियों के समूहों में समान्यता 20 से कहीं अधिक कम्पनियां होंती है। इन 20 कम्पनियों में से अधिक से अधिक दस कम्पनियां के पास 25 लाख रुपये या उससे अधिक की समादत्त शेयर पूंजी होना चाहिए। संपरीक्षकों की फर्मों के मामले में समिति का विचार है कि

संपरीक्षाओं की संख्या की अधिकतम सीमा फर्म के प्रति भागीदार 20 होनी चाहिए ताकि फर्मों को व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे संपरीक्षकों को तुलना में अधिक लाभ न मिल सके। फर्म के प्रति भागीदार के हिसाब से संपरीक्षकों के निर्धारण से बड़ी फर्मों को और अधिक भागीदार बनाकर अपने आकार के लाभ को बनाए रखने का प्रोत्साहन मिल सकता है। इस प्रकार लेखाकर्म व्यवसाय के सदस्यों के लिए संपरीक्षक फर्मों के भागीदार बनने के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। तथापि, जहां संपरीक्षकों की किसी एक फर्म का कोई भागीदार संपरीक्षकों को किसी अन्य फर्म या फर्मों में भी भागीदार है तो ऐसे भागीदार के मामले में भी अधिकतम सीमा 20 ही होगी ताकि वह संपरीक्षकों की एक से अधिक फर्मों का भागीदार बनकर अतिरिक्त लाभ प्राप्त न कर सके और इस प्रकार विधेयक में अपेक्षित उपबंधों का प्रयोजन ही समाप्त न हो जाए। तदनुसार खण्ड में संशोधन कर दिया गया है।

31. **खण्ड 24 (मूल खण्ड 21)**--इस खण्ड के द्वारा नई धारा 224 (क) अन्तःस्थापित करने की व्यवस्था की गई जिसमें यह उपबंध है कि किसी ऐसी कम्पनी में जिसमें अभिदत्त शेयर पूंजी का पच्चीस से अन्यून प्रतिशत किसी लोक वित्तीय संस्था या राष्ट्रीयकृत बैंक या सामान्य बीमा कम्पनी द्वारा, या इनमें किसी के समुच्चय द्वारा धृत हो तो संपरीक्षक को नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दी जाए। समिति महसूस करती है कि सरकार पर अनुमोदन देने संबंधी उत्तरदायित्व का अतिरिक्त भार नहीं डाला जाना चाहिए। अतः समिति अनुभव करती है कि ऐसे मामलों में कम्पनी द्वारा किसी संपरीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति एक विशेष संकल्प द्वारा की जानी चाहिए।

तदनुसार खण्ड में संशोधन किया गया है।

32. **खण्ड 25 (मूल खण्ड 22)**--इस खण्ड के द्वारा धारा 233 (ख) की उपधारा (1) में एक परन्तुक जोड़ने की व्यवस्था है जिसमें यह उपबन्ध है कि यदि केन्द्रीय सकार की राय हो कि लागत तथा संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अर्थ में लागत लेखापाल पर्याप्त संख्या में व्यवसाय कर रहे हैं और लागत लेखाओं कि संपरीक्षा करने के लिए उपलभ्य है तो वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उस तारीख की ओर से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, चार्टर्ड एकाउण्टेंट आधिनियम, 1949 के अर्थ में कोई चार्टर्ड एकाउण्टेंट किसी कम्पनी के लागत लेखाओं की संपरीक्षा नहीं करेगा।

समिति अनुभव करती है कि लागत संपरीक्षा केवल आर्हताप्राप्त लागत लेखापालों द्वारा ही की जानी चाहिए। अतः प्रस्तावित संशोधन को और अधिक निश्चयान्तक बनाया जा सकता है यदि इसमें यह व्यवस्था की जाती है कि यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि लागत लेखापाल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो वह सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि विनिर्दिष्ट अवधि के लिये ऐसे चार्टर्ड एकाउण्टेंट, जो विहित अर्हताएँ पूरी करते हों, किसी कम्पनी के लागत लेखाओं कि संपरीक्षा भी कर सकेंगे।

तदनुसार परन्तुक में संशोधन किया गया है।

33. **खण्ड 26 (मूल खण्ड 23)**--यह संशोधन स्पष्टीकरण करने के लिए किया गया है।

34. **खण्ड 27 (मूल खण्ड 24)**--इस खण्ड के द्वारा नई धारा 299 कक अन्तःस्थापित करने की व्यवस्था की गई है जिसमें केन्द्रीय सरकार को कुछ दशाओं में एक मात्र विक्रय अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति का प्रतिषेद्ध करने की शक्ति दी गई है। समिति अनुभव करती है कि प्रतिषेद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक अवधि तक सीमित किया जाए ताकि विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर केन्द्रीय सरकार के पास इस बात का विकल्प हो कि वह पूरे मामले की पुनरीक्षा कर सके।

तदनुसार उप धारा (1) में संशोधन किया गया है।

35. **खण्ड 28 (मूल खण्ड 25)**--इस खण्ड के द्वारा धारा 297 की उप-धारा (1) में एक परन्तुक जोड़ा जा रहा है जिसमें यह व्यवस्था है कि ऐसी कम्पनियों की दशा में, जिनकी समादत्त पूंजी पच्चीस लाख रुपये से कम न हो, ऐसी कोई संविदा जिसमें निदेशकों का हित हो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी। समिति महसूस करती है कि यदि ऐसा उपबंध किया जाता है तो इससे अनेक कंपनियों, विशेषकर छोटी और मध्यम आकार वाली कम्पनियों, को परिहार्य असुविधा हो सकती है और इसके साथ ही सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्रों पर विचार किये जाने के कारण उसके कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अतः सीमा बढ़ा कर एक करोड़ रुपये कर दी गई है।

तदनुसार परन्तुक में संशोधन किया गया है।

36. **खण्ड 29 (मूल खण्ड 26)**––संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी है।

37. **मूल खण्ड 27 और 28**––विधेयक के खण्ड 3 में परिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप इन खण्डों का लोप कर दिया गया है।

38. **खण्ड 30 (मूल खण्ड 29)**––किये गये संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी है।

39. **खण्ड 33 (मूल खण्ड 32)**––केन्द्रीय सरकार को यह अधि-सूचित करने की शक्ति प्रदान की गई कि अधिनियम के उपबन्ध, सरकार द्वारा जिस रूप में विनिर्दिष्ट किये जायें, उन विदेशी कम्पनियों पर लागू होंगे जिनमें एक अथवा एक से अधिक भारतीय नागरिको के पास कुछ प्रतिशत शेयर हों। समिति अनुभव करती है कि केन्द्रीय सरकार को भारतीय नागरिकों के शेयरों की जानकारी प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि विदेशी कम्पनियों के लिए यह अपेक्षित हो कि वे अपनी वार्षिक विवरणियां कम्पनियों के रजिस्ट्रार को भेजें। धारा 209 क और धारा 234 से 246 तक के उपबन्ध किसी भी विदेशी कम्पनी के केवल भारतीय कारबार पर लागू होंगे।

खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

40. **खण्ड 35 (मूल खण्ड 34)**––समिति अनुभव करती है कि संपरीक्षक कार्य सम्बन्धी सीमा सरकारी कम्पनियों पर लागू होनी चाहिये।

खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

41. **खण्ड 36 (मूल खण्ड 35)** संशोधन प्रारुपण सम्बन्धी है।

42. **नया खण्ड 37**––यह खण्ड कम्पनी विधि बोर्ड को शर्तों के अध्यधीन अनुमोदन करने, आदि, और अनुमोदन, स्वीकृति, सम्मति पुष्टि इत्यादि के बारे में फीस विहित करने के लिये शक्ति प्रदान करने के लिये अन्तःस्थापित किया गया है।

43. **नये खण्ड 39 और 40**––संसद की दोनों सभाओं की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों आदि को संसद के समक्ष रखने के लिये एक संशोधित आदर्श खण्ड अनुमोदित किया है। ये खण्ड अधिनियम की धारा 641 और 642 की उप-धारा (3) में संशोधन करने की दृष्टि से अन्तःस्थापित किए गए है ताकि ये धारायें ऊपर उल्लिखित आदर्श संशोधित खण्ड के अनुरूप बनायी जा सकें।

44. **नया खण्ड 43**––यह खण्ड उपयुक्त उपान्तरों के साथ नयी धारा 4 ख का, जो कि विधेयक के खण्ड 3 द्वारा अन्तः स्थापित किया जाना था, प्रत्युत्पादन करता है।

45. **खण्ड 1**––लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में इस खण्ड के अनुसार संशोधित कारी अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से प्रवृत्त होगा। चूंकि विधेयक में कुछ मामलों और फीस आदि विहित करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके नियम बनाने की बात कही गई है। अतः समिति अनुभव करती है कि केन्द्रीय सरकार के लिए संशोधनकारी अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने से पूर्व नियम बनाना संभव नहीं होगा। इन परिस्थितियों में समिति सिफारिश करती है कि केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान की जाये कि संशोधनकारी अधिनियम को उस तारीख से प्रवृत्त करें जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

46. **अधिनियमन सूत्र**––किया गया संशोधन औपचारिक है।

47. समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

नई दिल्ली ;
15 नवम्बर, 1973

---

24 कार्तिक, 1895 (शक)

नवल किशोर शर्मा,
सभापति,

संयुक्त समिति

विमति टिप्पण

एक

मैं कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से पूर्णतया सहमत नहीं हूं ।

यदि वर्तमान कम्पनी अधिनियम में कोई आमल परिवर्तन कारगर ढंग से क्रियांवित करने हैं तो यह बात परम आवश्यक है कि कम्पनियों के निदेशक मण्डल और प्रबंधक मण्डलों के ढांचे में परिवर्तन किये जायें ताकि इन मण्डलों में श्रमिकों, उपभोक्ताओं तथा शेयरधारियों के हितों का प्रतिनिधिव हो सके ।

जब शेयरधारियों का कोई वर्ग, जिसमें कम से कम 10 प्रतिशत मतदान शक्ति निहित है, निदेशक मण्डल में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग करता है तो उसकी वह मांग भी स्वीकार की जानी आवश्यक है ।

दुर्भाग्य की बात है कि कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 तथा संयुक्त समिति के तत्सम्बंधी प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम की उन धाराओं को बिल्कुल अछूता छोड़ दिया गया है जो निदेशक मण्डलों तथा प्रबंधक मण्डलों के गठन के बारे में हैं

कम्पनियों तथा संपरीक्षकों (आडिटर्स) के बीच आपस मे तनातनी न हो और कम्पनियां अनुभवी संपरीक्षकों (आडिटर्स) की कार्यपटुता से वंचित भी न हों, इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसी संयुक्त संपरीक्षा (आडिट) प्रणाली प्रारम्भ की जाये जिसके अंतर्गत एक सपरीक्षक वरिष्ठ संपरीक्षकों की नामिका (पैनल) में से तथा एक संपरीक्षक कनिष्ठ संपरीक्षकों की नामिका में से नियुक्त करने की व्यवस्था हो और ये दोनों ही नामिकायें (पैनल) इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया द्वारा तैयार की जायें ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में संयुक्त संपरीक्षा प्रणाली के इस महत्वपूर्ण उपबंध को स्वीकार नहीं किया गया है ।

कम्पनी अधिनियम के सन्तोषजनक ढंग से क्रियान्वयन के लिए "लोक वित्तीय सस्थाओं" के अर्थ को इस अधिनियम के प्रयोजनों के सन्दर्भ में व्यापक बनाना होगा जिससे कि भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा राष्ट्रीय बैंक भी "लोक वित्तीय संस्थाओं" की परिधि में आ जायें ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में लोक वित्तीय संस्थाओं के बारे में इस महत्वपूर्ण पहलू को स्वीकार नहीं किया गया है और मैं इन दो महत्वपूर्ण संस्थाओं को "लोक वित्तीय संस्थाओं" की परिधि से अलग रखने के पक्ष में नहीं हूं ।

नई दिल्ली ; मधु दण्डवते

8 नवम्बर, 1973

दो

हमें इस सम्बंध में घोर निराशा हुई है, जिसके कारण हमें यह विमति टिप्पण देना पड़ रहा है जो इस प्रकार है :—

इस विधेयक को लाने में पूरी गम्भीरता का परिचय नहीं दिया गया है । इसके उपबंध निगमित प्रबंध तथा सम्पत्ति प्रणाली के अन्तर्गत होने वाले दुरुपयोग अथवा विरूपण के मामलों के साथ निपटने के लिये पर्याप्त नहीं होंगे । अधिकार में लेने सम्बन्धी कुछ एक कठोर उपबन्धों को संयुक्त समिति के समक्ष चर्चा के दौरान हलका बना दिया गया है जब कि कुछ उपबन्धों से नौकरशाही नियंत्रण की जड़ें और मजबत होती हैं । न्यायालयों का अधिकार कम कर दिया गया है और कम्पनी विधि बोर्ड को, जिसने विगत समय में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उन लोगों में जिनका बोर्ड से वास्ता पड़ा, इसके प्रति, विश्वास की कोई भावना पैदा होती और न ही उसने अधिनियम के उपबन्धों के उचित और द्रुत गति से क्रियान्वित करने के विषय में कोई योगदान दिया, और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं । न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र कम करने के जो कारण

बताये गये हैं वे अयुक्ति-युक्त ही नहीं हैं अपितु सदाशयी भी नहीं हैं। न्यायालयों में की जाने वाली कार्यवाही तो लोगों के सामने रहती है, परन्तु नौकरशाही प्रक्रिया गुप्त रहती है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर कथित पक्ष को अन्त में न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। इस प्रकार इससे सफेदपोश नौकरशाही की नई फौज खड़ी करने के अतिरिक्त और कोई परिणाम नहीं निकलेगा वरन् भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जायेगी। भुगतान न किये गये लाभांश को सरकार के पास जमा कराने का उपबन्ध भी नौकरशाही नियंत्रण का परिचायक हैं। इससे केवल सफेदपोश सरकारी कर्मचारियों की संख्या में ही भारी वृद्धि होगी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक ऐसी किसी कम्पनी का पता नहीं लगा जिसने लाभांश खाते से धन का गबन कर लिया हो। शेयरधारियों से जमानत जमा की अपेक्षा करने का उपबन्ध हास्यास्पद और ग़ैर-ज़िम्मेदाराना रवैया दिखाने वाला कदम है।

हमारा विचार है कि इस प्रकार का अकल्पनीय विधान निगमित प्रबन्ध के सम्बन्ध में उचित कानून का निर्माण करने अथवा वांछनीय लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सफल नहीं होगा। यद्यपि कुप्रबन्ध को रोकने तथा दुरुपयोग के सभी मामलों में उपचारात्मक उपायों की व्यवस्था करने के लिये विधि के अन्तर्गत पर्याप्त उपबन्धों की व्यवस्था की जानी चाहिये, और ऐसा कोई प्रक्रिया अधिनियमित करके तथा उसका दृढ़ता से पालन कराकर किया जा सकता है, परन्तु अनेक प्रतिबन्धों का लगाना जिनसे अनावश्यक लिपिकीय कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है, छोटी कम्पनियों की संस्थापना और उनके विकास में सहायक सिद्ध नहीं होगा। कम्पनी कानून में अब भी कई कमियां हैं जिनको दूर करने के लिये वर्तमान विधेयक में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। अब तक कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत कार्मिक कम्पनियों के प्रबन्ध में हाथ बटा सकें। विधेयक में, तथा अधिनियम में भी, इस सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये गये हैं कि विभिन्न कम्पनियों के बोर्डों में सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किये जाने वाले निदेशक अपने कर्तव्यों तथा कार्यों का निर्वहन कैसे करें।

इसी प्रकार इस सम्बन्ध में भी सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है कि सार्वजनिक ट्रस्टी अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग कैसे करे। यह स्पष्ट करने के लिए कोई पथ प्रदर्शक सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये गये हैं कि किस कार्य अथवा चूक के कारण किसी निदेशक को उसके पद से हटाया जा सकता है। सारी की सारी बातें किसी अकार्यकुशल नौकरशाही की सनक पर छोड़ दी गई हैं।

जमा के विषय में, विशेषकर शेयरधारियों अथवा निदेशकों द्वारा जमा के विषय में, बड़े भारी प्रतिबन्ध लगाने से कम्पनियों के ठीक प्रकार से कार्य करने के मार्ग में बाधा ही पड़ेगी और उससे कोई सहवर्ती लाभ नहीं होगा। उन सब स्टाक एक्सचेंजों से, जिनको इस आशय के आवेदन पत्र भेजे गये हों कि वे किसी कम्पनी द्वारा शेयरों का नियतन करने के पूर्व शेयरों का काम संभालें, अनुमति लेने का विधेयक में जो उपबन्ध है उससे परिहार्य अनिश्चितताये उत्पन्न होंगी।

जहां सचिव, परामर्शदाता अथवा सलाहकार की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई हैं वहां भूतपूर्व प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों अथवा कोषाध्यक्षों अथवा उनके सहायकों की नियुक्ति के बारे में 5 वर्ष की समय सीमा रखी गई है। हमें इस समय-सीमा के लिए कोई युक्तिसंगत बात नजर नहीं आती। इसका उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि इस निश्चित समय-सीमा के पूरा होने के बाद इन व्यक्तियों को कम्पनी के प्रबंधकों में पुनः वापस आने के लिए रास्ता खुला रखा जाये।

विधेयक में असंदत लाभांश को सरकार के पास जमा कराने तथा उसके प्रत्युद्धरण के लिए सरकार से आवदन करने के बारे में जो उपबंध किए गए हैं वे विधेयक को आपत्तिजनक बनाते हैं। इसके अतिरिक्त शेयर धारियों द्वारा जमानत जमा कराए जाने पर असंदत्त लाभांश को उनको भुगतान करने का उपबंध भी ऐसा ही है। इससे अनेक छोटे छोटे शेयर धारियों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इस बात का कोई औचित्य हमारी समझ में नहीं आता कि कोई भी असंदत्त लाभांश, जिसके असंदत्त रहने में कम्पनी का कोई दोष नहीं है, सरकार द्वारा क्यों ले लिया जाये और उस कम्पनी को जिसने वह निधि बनाई है, अपने प्रयोजनों के लिए उसको उपयोग क्यों न करने दिया जाये। इसमें अतिरिक्त जमानत जमा कराने का परिणाम के इस प्रकार से सरकार द्वारा धन जब्त करना होगा।

यद्यपि संपरीक्षकों (आडिटर्स) की नियुक्ति के बारे में विधेयक के मूल उपबंध में पर्याप्त सुधार कर दिया गया है, फिर भी हमारा विचार है कि इसमें और भी सुधार किए जाने की गुंजाइश है।

हमारा विचार है कि लागत संपरीक्षा का मामला लागत लेखा-पालों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। लागत संपरीक्षा न कराने अथवा लागत लेखा पाल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण चार्ड लेखापालों से संपरीक्षा कराने के लिए बार-बार किये जाने वाले बहाने देश में उपलब्ध लागत लेखा पालों की वर्तमान संख्या संबंधी आंकड़ों को देखते हुए ठीक नहीं प्रतीत

होते । निर्माता तथा उत्पादनकर्ता फर्मों के बारे में लागत संपरीक्षा के लिए कानूनी उपबन्ध करने और इस उपबन्ध में उचित कार्यान्वयन से इन फर्मों द्वारा अपने उत्पादों की लागत निकालने में की जाने वाली गड़बड़ियां काफी हद तक समाप्त हो जायेंगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि विधेयक में इस लागत संपरीक्षा को अनिवर्य करने के लिएै उपबन्ध कहीं किया गया है ।

विधेयक में विभिन्न अपराध दिए गए हैं जिन्हें पूर्ण रूप से अपराध माना जायेगा अर्थात् अपराधिक मनःस्थिति न होने पर भी व्यक्ति को अपराधी करार दिया जा सकेगा । हमने इस प्रकार के अपराधों को विधेयक में रखे जाने का सिद्धांत रूप में विरोध किया है क्योंकि बहुत से मामलों में ये उपबन्ध कठोरता से लागू किए जायेंगे और अधिकांश मामलों में इन उपबन्धों को उन उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जिन्हें ध्यान में रखकर ये उपवन्ध रखे गये हैं ।

विधेयक का एक विशेषरूप से महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक उपबंध कम्पनी सचिवों की अनिवार्य नियुक्ति के बारे में है। यह उपबन्ध संशोधनकारी विधेयक के खण्ड 29 में हैं जिसके द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 में एक नयी धारा 383-क को जोड़ने की व्यवस्था की गई है, जिसके अधीन 25 लाख अथवा इससे अधिक की समादत्त पूंजी वाली कम्पनी के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह एक पूर्णकालिक सचिवों की नियुक्ति करे जिसके पास विहित अहर्ता हो।

प्रारूप विधेयक के खण्ड 29 से संबंधित टिप्पणियों में सरकार ने कहा है

"**.....इस उपबन्ध से कम्पनी सचिव के व्यवसाय को प्रगति होगी और अहर्ता प्राप्त सचिवों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ।**" यह महत्वपूर्ण बात है । इससे पता चलता है कि सरकार किस प्रकार सोचती है । इससे यह पता चलता है कि सरकार का नेतृत्व करने वाले छद्म समाजवादियों और उनके "प्रतिबद्ध नौकरशाहों" का स्वभाव कितना प्रतिक्रियावादी, जन-विरोधी और वास्तविकता से अनभिज्ञ है । भारत में लगभग 3,000 कम्पनियों की समादत्त पूंजी 25 लाख अथवा इससे अधिक है । कम्पनी सचिव को डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्तियों को कम्पनी सचिव के रूप में नियुक्त करने के लिए ऐसी कम्पनियों को बाध्य करके ऐसे व्यक्तियों के लिए विशिष्ट विशेषाधिकार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिनकी अर्हताओं से उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है । इस प्रकार के अनुत्पादनकारी कर्मचारियों पर कम से कम छ : करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय करना पड़ेगा । यह तर्क दिया गया है कि चूंकि कम्पनी के रोजमर्रा के प्रशासन में नौकर-शाही के व्यवस्थित हस्तक्षेप से कम्पनी के प्रबंध का कार्य जटिल हो गया है, अतः इन डिप्लोमाधारियों की सहायता लेना आवश्यक हो गया है । इसे बाध्यकारी बनाने की बात समझ में नहीं आती । निदेशक किस लिए होते हैं ? प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंधक का क्या कार्य होता है ? इस समय जो इस कार्य को कर रहे हैं वे कौन लोग हैं ? उन्हें क्यों बदला जाए ? 10 वर्षों के अनुभव वाले उन वकीलों को जिन्हें देश में न्यायपालिका के ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन होने के योग्य समझा जाता है अथवा चार्टर्ड एकाउन्टैंटों को कम्पनी सचिवों के रूप में नियुक्त होने से वंचित क्यों रखा जाए ? अनुत्पादनकारी व्यक्तियों का एक विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग क्यों बनाया जाये ? इन सबका उत्तर ढूंढना कठिन नहीं है सरकार की सदा यह नीति रही है कि दो नीतियों का अनुसरण किया जाए : (1) एकाधिकारियों का परिरक्षण करना; (2) इसके साथ ही नौकरशाही पूंजी-वाद की स्थापना करना जिससे एकाधिकारी-पूंजी पर पर्दा डाले रखा जाए और पर्दे के पीछे से एकाधिकारियों के हितों को पूरा किया जाये । 25 लाख से अधिक समादत्त पूंजी वाली सभी कम्पनियों को (जिनकी संख्या इस समय 3,000 से अधिक है) बड़ी कम्पनियां मानकर छोटी और बड़ी सभी कम्पनियों को एक ही कठिनाई में डाल दिया गया है । इस बात का पता लगाना कठिन नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति में कठिनाई किसको होगी । इससे एकाधिकारियों को सहायता मिलेगी क्योंकि छोटी कम्पनियों को जो राशि उत्पादकारी कार्यों पर व्यय करनी थी, वह उन्हें अब इन सचिवों पर व्यय करनी पड़ेगी । इससे सफेद-पोश कर्मचारियों का एक-एक बड़ा बड़ा वर्ग पैदा होगा; गैरसरकारी क्षेत्र के बड़े बड़े नौकरशाह अपने सहायकों, आशुलिपिकों, टाइपिस्टों और चपरासियों की सहायता से केवल कागजी घोड़े दौड़ायेंगे । यदि कोई लाभ हुआ तो उसका अधिकांश भाग इन लोगों पर व्यय हो जाएगा । सरकार की प्रत्येक नीति के फलस्वरूप हर जगह यही हो रहा है । "उत्पादन" और "उत्पादन-कारी श्रम" ये इस सरकार के केवल नारे मात्र हैं । सदा यही प्रयास रहता है कि प्रत्येक वस्तु का आवश्यकता से अधिक केन्द्रीय-करण करके खर्चीली नौकरशाही की सदैव बढ़ने वाली सेना की स्थापना की जाए ।

हमें आश्चर्य है कि क्या सरकार कभी इस बात को समझेगी और यदि समझी तो कब समझेगी कि अनुत्पादनकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ समाजवाद, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन में अधिक्य और बहुत सी अन्य वांछनीय बातों की सम्भावनायें कम होती हैं ।

नई दिल्ली ;
नवम्बर 8, 1973

सलिल कुमार गांगुली
सोमनाथ चटर्जी

(तीन)

इस विधेयक का कथित उद्देश्य गैर-सरकारी एकाधिकारी संस्थाओं के पास "प्रबंध-ग्रहण-प्रयासों" और अन्य उपायों से अधिकाधिक आर्थिक शक्ति केन्द्रित होने की समस्या का समाधान करना और गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र के बहुत से अन्य कदाचारों और दोषों को, जोकि गम्भीर अनुपात में बढ़ चुके हैं, दूर करना हैं ?

संयुक्त समिति के समक्ष तत्कालीन कम्पनी कार्य मंत्री, श्री रघुनाथ रेड्डी ने प्रारम्भ में कहा था कि सरकार के विचार में यह विधेयक कानूनी ढंग से समाजवादी समाज की स्थापना की ओर अग्रसर होने का एक माध्यम है ।

इस कसौटी को ध्यान में रखने पर यह आवश्यक हो जाता है कि विधेयक से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के बारे में विधेयक के खण्डों की उपयोगिता पर विचार करने से पूर्व विधेयक के बारे में कुछ सामान्य बातें कही जायें ।

उन्नत पूंजीवादी देशों के दीर्घ अनुभव और गत दशक से अधिक के हमारे अपने अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि विधायी और प्रशासनिक उपायों से गैर-सरकारी एकाधिकारी संस्थाओं के त्वरित विकास को रोकने में भी सफलता नहीं मिल पाई है, उनके कार्यकलापों पर नियंत्रण रखने अथवा उनको सीमित करने के बारे में तो कहा ही क्या जाये । कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जो नोट परिचालित किया गया है, जिसमें इस प्रश्न के समाधान के संबंध में वर्तमान कानून को अपर्याप्त बताया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि "यह अनुभव रहा है कि सरकार किसी भी प्रबंधग्रहण प्रयास को विनियमित नहीं कर सकी अथवा उसके लिए किए गए अवांछित प्रयास को रोक नहीं सकी ।"

इस असफलता का मूल कारण यह नहीं है कि कानून दोषपूर्ण है अथवा प्रशासनिक तन्त्र द्वारा भूल-चूक की गयी है । मूलकारण यह है कि वर्तमान कानून द्वारा इस स्थिति को निरन्तर स्वीकार किया गया है कि उद्योग और वित्त के क्षेत्र में गैर-सरकारी एकाधिकार की वृद्धि से उद्योगों में कार्यकुशलता बढ़ेगी और मितव्ययिता आयेगी और इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा । यह तर्क दिया जाता है कि इस प्रकार के एकाधिकार का एक ही आपत्तिजनक पहलू यह है कि इसमें प्रायः लोगों से अनुचित लाभ लेने आदि जैसी समाजविरोधी प्रथाओं का सहारा लिया जाता है । अतः यह स्वाभाविक ही है कि एकाधिकार विरोधी कानून का उद्देश्य ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाना अथवा नियंत्रण करना है ।

परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि किसी भी समय उद्योग की विद्यमान उत्पादन क्षमता की ओर ध्यान देने से पता चलता है कि इन सभी बड़े बड़े दावों के बावजूद भी गैरसरकारी एकाधिकारी संस्थाओं का परिचालन सामाजिक उत्पादन की वृद्धि के लिए नहीं किया जाता अपितु इस पर रोक लगाने के लिए किया जाता है ।

सारे पूंजी वादी देशों में वास्तव में यही अनुभव रहा है । हाल के वर्षों के अपने अनुभव से जो दो उदाहरण उभर कर सामने आते हैं वे कपड़ा और चीनी उद्योगों के हमारे कुछ इजींनियरी उद्योगों में भी एकाधिकारियों ने ऐसा ही किया है । हमारी वर्तमान औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग न किए जाने का प्रश्न भी सामने है ।

इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि एकाधिकार लाभों का मूलभूत आधार ही उत्पादन का निर्बंधन है, न कि उत्पादन का विस्तार करना ।

अपने देश में उत्पादन की अत्याधिक कमी को, जिसके लिए मुख्य रूप से गैर-सरकारी एकाधिकार प्राप्त पूंजीपति ही उत्तरदायी हैं, विशेषकर ध्यान में रखते हुए हमारा मत है कि सरकार को बिना किसी विलम्ब के भारतीय एकाधिकार संस्थाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । संशोधित कानून से समस्या का हल नहीं होगा ।

जहां तक, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों सहित, समग्र गैर-सरकारी निगम विकास क्षेत्र के दोषों और उसमें व्याप्त कदाचार का प्रश्न है , विधेयक के संगत खण्डों में कम्पनियों के छोटे शेयर धारियों जिनका प्रायः अल्पसंख्यक शेयरधारी के रूप में उल्लेख किया गया है, और फुटकर शेयरधारियों के हितों की रक्षा के लिए चिंता की गई है । जमार्कताओं द्वारा कठिन परिश्रम से की हुई अपनी बचत की राशि संयुक्त स्टाक कम्पनियों को सौंपे जाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है । निःसन्देह ऐसे शेयरधारी और जमाकर्त्ता की कम्पतियों के प्रमुख स्वामियों की दया पर निर्भर रहते हैं और इनके विरूद्ध अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण इनके द्वारा प्रायः ठगे जाते हैं और इस प्रकार उन्हें अत्याधिक हानि उठानी पड़ती है ।

कुछ खण्डों में सरकार और लोक वित्तीय संस्थाओं, जहां वे गैर-सरकारी क्षेत्र की संयुक्त स्टाक कम्पनियों में अल्पसंख्यक शेयरधारी हैं, के हितों पर भी ध्यान दिया गया है ।

किन्तु इन उपबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की उपेक्षा की गई है । किसी उद्योग के उत्पादों का उत्पादन वास्तव में श्रमिक वर्ग ही करता है, भले ही वह सरकारी क्षेत्र के उद्योग का श्रमिक हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र का । अतः उसे इस बात का पूरा अधिका

है कि वह उद्योग के प्रबन्ध में-- कारखाना स्तर पर, जहां उत्पादन होगा है, और प्रबन्धकीय स्तर पर अर्थात् औद्योगिक संस्थाओं या वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों मण्डलों में—प्रभावी ठंग से हिस्सा लें। मजदूर संघों की विद्यमान बहुलता के आधार पर श्रमिकों को इस अधिकार से वंचित करना तर्कसंगत नहीं है। देश के राष्ट्रीय मजदूर संघ केन्द्रों ने प्रत्येक उद्योग में उसके शासी निकाओं के लिए सभी श्रमिक द्वारा श्रमिकों प्रतिनिधियों के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखे हैं।

इस समय श्रमिकों के पास न केवल उद्योग के सामान्य प्रबन्ध के बारे में किसी प्रकार का अधिकार नहीं है बल्कि ये लोग उस समय भी असहाय होते हैं जब नियोक्ता कपटपूर्वक इन्हें इनकी भविष्य निधी और उपदान की देय राशि से वंचित कर देते हैं।

इस प्रकार के कानूनी तर्क दिये जा सकते हैं कि कम्पनी कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के अधिकार दिलाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है और इस कार्य के लिए अलग से एक कानुन बनाया जा सकता है; किन्तु यह तर्क उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है जो यह मानते हैं कि समाजवादी समाज की ओर अग्रसर होने के लिए कम्पनी कानून में भी संशोधन करने की आवश्यकता है।

तथापि, श्रमिकों द्वारा उद्योग के सम्बन्ध में प्रभावी ठंग से भाग लेना न केवल श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है बल्कि इसकी आवश्यकता समग्र एकाधिकारियों और गैर-सरकारी निगम निकाय क्षेत्रों द्वारा वित्तीय लेन-देन अथवा प्रयोग को वास्तविक तकनीकी प्रविधियों में किये वाने बाले दुरूपयोग और धोखाधड़ी का भण्डा फोडने और उसमें सुधार करने के लिए एक सक्षक्त शास्त्र के रुप में भी है। इस प्रकार के कार्यों से प्रभावी ढंग और शीघ्रता से निपटने के लिए अन्य कोई भी साधन इतना सक्षम नहीं है।

इससे इस विधेयक की एक अन्य गम्भीर कमी हमारे सामने आती है, वह यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत गैर-सरकारी एकाधिकार केन्द्रीयकरण की समस्या और गैर-सरकारी निगम निकाय क्षेत्र की बुराइयों से निपटने का कार्य मुख्य रूप से नौकरशाही पर छोड़ दिया गया है।

इस प्रकार के प्रशास निक हस्तक्षेप से कुछ बुराइयों का पता लग सकता है और उनमें सुधार किया जा सकता है किन्तु इससे कम्पनी कानून जो पहले ही जटिल और विशाल है, और भी अधिक जटिल बन जाएगा, जैसा कि हम अनुभव से जानते हैं, इससे उद्योग के शक्तिशाली निहित स्वार्थों को अन्तहीन कानूनी कार्यवाहियों के द्वारा कानुन के उद्देश्यों को बिल्कुल समाप्त करने में न सही, उनकी पूर्ती में विलम्ब पैदा करने का तो अस्त्र मिल ही जाता है। इससे उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए कमजोर और स्वार्थजीवी तत्वों को भ्रष्ट बनाने का भी अवसर मिल जाता है।

विधेयक में अपनाए गए इस दृष्टिकोण का एक ज्वलन्त उदाहरण है संपरीक्षा के केंद्रीयकरण की समस्या को हल करने के लिए अपनाई गई पद्धति। किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षाओं की अधिकतम संख्या निर्धारित करना ऐसे केन्द्रीकरण से उत्पन्न होने वाली बुराइओं को समाप्त करने का प्रभावी ढंग नहीं है। संपरीक्षा व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण ही समस्या का सही हल है।

इस विधेयक के उपबंधों पर विचार करते समय उनकी इन सीमाओ को ध्यान में रखना होगा। इन उपबंधों से विधेयक के अन्तर्गत लाई गई बुनियादी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। फिर भी, इनसे कुछ सीमा तक एकाधिकारयों और गैर-सरकारी निगम निकाय क्षेत्र के अहितकर आचरण को सामने लाने में सहायता मिलेगी, जिससे संसद और जनमत इनके विरुद्ध और अधिक प्रभावी ठंग से कार्यवाही कर सकेगा। इस संदर्भ में ये उपबंध सहायक हो सकते हैं।

नई दिल्ली ;
11 नवम्बर, 1973

श्री निवास गणेश सरदेसाई
डी० के० पण्डा

यह देखकर दुख होता है कि अत्याधिक श्रम करने के वाद भी संयुक्त समिति विधेयक में व्यापक संशोधन करने के अपने उद्देश्न को प्राप्त नहीं कर सकी है जिससे इसे कम्पनी प्रणाली में अन्तर्निहित दोषों या इस प्रणाली के विरूपण के मामलों में स्पष्टतः काफी गम्भीर रूप धारण कर चुके हैं, रोक लगाने के लिए प्रभावी बनाया जा सकता।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक के कुछ उपबंध अब भी अस्पष्ट हैं। इनमें से कुछ उपबंधों की सरकार ने जानबूझ कर इस तरह शामिल किया है कि उनसे गैर-सरकारी और सरकारी दोनों प्रकार की कम्पनियों की वृद्धि, उनका विकास और निर्विघन कार्यचालन बिगड़ जाएगा, और ऐसे उपबंध अब भी विधेयक में बने हुए हैं।

वित्तीय मामलों में जेल की सभा देने की व्यवस्था करना भी एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सहमत नहीं हो सके।

यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधेयक के खण्ड 31 के अन्तर्गत सरकार को इस बात की व्यापक शक्ति दी गई है कि अपनी इच्छानुसार जितने चाहे उतने निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है। सरकार राजनैतिक उद्देश्यों के आधार पर ऐसे निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है जिन्हें कारोबार का बिलकुल ज्ञान न हो और कार्यालय सम्बन्धी अनुभव न होने के कारण वे कारोबार को बिलकुल ही नष्ट कर के रख दें।

हमें खेद है कि हम संयुक्त समिति के निष्कर्षों से, विशेषकर निम्नलिखित खण्डों से सम्बन्धित निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं इनके स्थान पर हम अपने निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव देते हैं :—

(एक) **खण्ड 2**—धारा 2 के खण्ड (18क) में प्रयुक्त "या रखने का उद्धेश्य रखता है" शब्दों का लोप किया जाये।

(दो) **खण्ड 2**—स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्न लिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाये।

"**स्पष्टीकरण** —समुदाय या किसी निगम निकाय पर नियंत्रण उस स्थिति में समझा जायेगा यदि (क) निगम निकाय में इस समुदाय को 50 प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति प्राप्ति हो अथवा (ख) इस प्रकार के निगम निकाय के निदेशक मण्डल के गठन पर इस समुदाय का नियंत्रण हो या इस प्रकार के निगम निकाय के निदेशकों में अधिकांश निदेशक इस समुदाय के घटक और/अथवा मनोनीत व्यक्ति हो।"

(तीन) **खण्ड 11**—(नई धारा 94क)—उप-धारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उप-धारा (4) जोड़ी जाये:—

"(4) जब किसी कम्पनी द्वारा इस धारा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया गया है एक आवेदन पत्र प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर अन्तिम आदेश जारी कर दिए जाने चाहिए और यदि ये आदेश नहीं किए जाते हैं तो यह समझा जायेगा कि आवेदन पत्र मंजूर हो गया।"

(चार) **खण्ड 12**—धारा 108ख की उप-धारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ग) जोड़ी जाये :—

"(ग) जब तक कम्पनी को और उस व्यक्ति को जो कि ऐसे किसी शेयर को अन्तरित करना चाहता हो अपनी बात करने का अवसर नहीं दिया जाता तब तक कोई आदेश नहीं दिये जायेंगे।"

(पांच) **खण्ड 12**—धारा 108ख की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) में "कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

(छः) **खण्ड 12**—धारा 108ग की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में "कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर "जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(सात) **खण्ड 12**—धारा 108ग की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) में "या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों" शब्दों का लोप किया जाये।

(आठ) **खण्ड 12**—धारा 108 च की उप-धारा (1) में "कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा" शब्दों के स्थान पर "जुर्माना जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।

(नौ) **खण्ड 26**—धारा 269 की उप-धारा (3) का लोप किया जाये।

(दस) **खण्ड 27**—धारा 294 कक की उप-धारा (2) में "जब तक केन्द्रीय सरकार ने ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन पहले ही न कर दिया हो" शब्दों को हटा दिया जाये।

(ग्यारह) खण्ड 27—धारा 294 कक की उप-धारा (3) में "तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन" शब्दों को हटा दिया जाये।

(बारह) **खण्ड 31**—"उप खण्ड (1) के स्थान पर "उपधारा (1) में (i)" प्रतिस्थापित किया जाये, "दो से अनधिक व्यक्तियों को" के स्थान पर तीन से अनधिक व्यक्तियों को प्रतिस्थापित किया जाये।

(तेरह) खण्ड 31—"उप-खण्ड (ii) के स्थान पर "उप-धारा (2) में (ii)" प्रतिस्थापित किया जाये, "दो से अनधिक व्यक्तियों को" के स्थान पर "तीन से अनधिक व्यक्तियों को" प्रतिस्थापित किया जाये।

अतः हमारी यह राय है कि कम्पनी संशोधन विधेयक, 1972 मूल रूप में तथा संयुक्त समिति द्वारा सुझाये गये कुछ संशोधन करने के पश्चात् भी एक ऐसा विधान है, जिस के अधीन सरकार को व्यापक शक्तियां दी गई हैं जिनकी कम्पनियों के मामले में व्याप्त बुराइयों को नियन्त्रित अथवा विनियमित करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु ऐसी शक्तियां कम्पनियों के कार्य में हस्तक्षेप करने तथा उन पर कठोर नियंत्रण रखने की दृष्टि से सरकार को दी गई है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सरकार को दी गई शक्तियों का सतारुढ़ दल के हित में दुरुपयोग किया जायेगा। ये शक्तियां उद्योग के स्वस्थ्य विकास के लिए उपयोगी नहीं होगी।

नई दिल्ली ;
12 नवम्बर, 1973

आर० आर० शर्मा
जगदीश प्रसाद माथुर

इसमें कोई संदेह नहीं कि समिति ने विधेयक पर बड़ी सावधानी से विचार किया है और इसे काफी समय दिया है जिस के परिणामस्वरूप समिति ने विधेयक में संशोधनों की शिफारिश की हैं। इसके बावजूद विधेयक असंतोषजनक रह गया है। इस कारण हमें समिति के प्रतिवेदन के साथ अपना विमति टिप्पण जोड़ना पड़ा है जिसके लिए हमें खेद है। ऐसी धारणा किसी की नहीं है कि इस विधेयक के माध्यम से पूरे किये जाने वाले उद्देश्यों के लिए कोई औचित्य नहीं हैं। परन्तु इसके साथ यह देखना भी आवश्यक है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा जाये कि प्रस्तावित उपचार रोग से अधिक भयानक न हो। कुल मिलाकर संशोधित रूप में इस विधेयक के द्वारा सरकार को, जिसका अर्थ नौकरशाही है, कम्पनियों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने की व्यापक शक्तियां मिल जायेंगी। इन शक्तियों का प्रयोग एक विशाल, कुशल और ईमानदार प्रशासनिक ढांचे की सहायता से किया जा सकता है और अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर यह मान लेने में हमें बिल्कुल कोई औचित्य नहीं दिखाई देता कि सरकार इस प्रकार के योग्य प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था सरलता से कर सकेगी। इसके अतिरिक्त कम्पनियों के कार्य में नौकरशाही द्वारा इतने अधिक हस्तक्षेप से गैर-सरकारी उद्यम विशेष रूप से लघु और मध्यम क्षेत्र के बहुत अधिक निरुत्साहित होंगे।

इन सामान्य टिप्पणियों के पश्चात् हम कुछ अधिक महत्वपूर्ण संशोधनों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं और जोरदार शब्दों में सिफारिश करते हैं कि उन पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर आगे विचार किया जाये।

"समुदाय" की परिभाषा (खण्ड 2) : आरम्भ में हम यह कहना चाहते हैं कि "समुदाय" की परिभाषा इतनी स्पष्ट तथा सुसंगत नहीं है जितनी कि इस बहुत महत्वपूर्ण तथा मूलभूत संदर्भ में इसकी आवश्यकता है। "एक ही प्रबन्ध के अधीन कम्पनियों" की परिभाषा में इसका प्रयोग करते समय यह संभव है कि ऐसी दो कप्पनियों को, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, परस्पर सम्बन्धित मान लिया जाये। इसके परिणामस्वरूप दोनों कम्पनियों पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अवरोधक उपबन्ध लागू होंगे और उनमें से एक के विरुद्ध, जिसका दूसरी कम्पनी के साथ कोई वित्तीय या अन्य प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, अनावश्यक ही एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापरिक व्यवहार अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जायेगी। ऐसी कम्पनियों के लिए यह सिद्ध करना कठिन होगा कि उनका बिल्कुल अलग तथा भिन्न अस्तित्व है और अन्य निगम निकाय के साथ उनका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। हमारी राय के अनुसार यह उपबन्ध करना ही पर्याप्त नहीं है कि यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता हैं कि क्या दो या अधिक व्यक्ति, संगम, फर्म या निगम निकाय या उनका कोई समुच्चय, कोई समुदाय गठित करता है तो कम्पनी विधि बोर्ड ऐसे व्यक्तियों, संगमों, फर्मों या निगम निकायों या उनके किसी समुच्चय को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात उसका विनिश्चय करेगा। परन्तु यह पूर्णतयाः संतोषजनक समाधान नहीं है। परिभाषा सुसंगत तथा सुस्पष्ट होनी चाहिए ताकि व्यष्टि अपनी स्थिति से अवगत हो सके। संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान विकल्प के रूप में साक्षियों ने कई परिभाषाओं का सुझाव दिया था। यह खेद की बात हैं कि उनमें से किसी पर भी यथोचित विचार नहीं किया गया।

"एक ही प्रबन्ध" की परिभाषा (खण्ड 43) : एक ही प्रबन्ध के अधीन माने जाने वाले दो निगम निकायों की परिभाषा अब एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 2(छ) में संशोधन के रूप में निगमित की गई है। परन्तु इस शब्द की परिभाषा बहुत ही अस्पष्ट तथा अवोधगम्य है। परिभाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए और इसके परिणाम अनाशयित नहीं होने चाहियें।

चाहे दो निगम निकायों में कोई समानता न हो, उनका अपना अपना व्यापार बिल्कुल भिन्न हो और वे दो अलग अलग व्यक्तियों के नियन्त्रणाधीन हों, तो भी उनको एक ही प्रबन्ध के नियन्त्रणाधीन समझा जायेगा यदि समुदाय की परिभाषा के आधार पर इन दो निगम निकायों पर नियन्त्रण रखने वाले दो व्यक्ति एक ही समुदाय के बताये गये हों। यह "एक ही समुदाय के किसी घटक" शब्दों का प्रभाव होगा।

स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (चार) में भी संशोधन करना आवश्यक है क्योंकि इस से सही स्थिति बिल्कुल विकृत हो जायेगी । यह कल्पनातीत नहीं है कि एक व्यक्ति जो एक छोटी सी प्राइवेट कम्पनी के तीन निदेशकों में से एक है, एक ऐसी बड़ी कम्पनी का निदेशक भी हो सकता है जिसके बोर्ड में बारह व्यक्ति हों । यह व्यक्ति बड़ी कम्पनी के बोर्ड का एक सदस्य हो सकता है यदि उसे किसी विशेष विषय में विशेष योग्यता प्राप्त है और कम्पनी उसके ज्ञान, अनुभव और कम्पनी के साथ उसके सम्बन्धों को उपयोगी समझती है । तथापि, ऐसी स्थिति में दो कम्पनियां, एक छोटी और मामूली और दूसरी बड़ी तथा वित्तीय दृष्टि से सक्षम, एक ही प्रबन्ध के अधीन समझी जायेंगी । तब एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त हो जायेंगे तथा यदि कोई छोटी कम्पनी औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना या अन्यथा अपने क्रियाकलापों का विस्तार करना चाहे तो उसके लिये कठिनाइयां होंगी क्योंकि ऐसा करना किसी बड़े व्यापारिक सदन के साथ सम्बद्ध होना माना जाएगा । इससे उद्यमकर्ता तथा व्यावसायिक प्रबन्धक भी निरुत्साहित होंगे जो कि सरकार की घोषित नीति के प्रतिकूल है ।

प्राइवेट कम्पनी (खण्ड 6): इस खण्ड में उपबन्ध किया गया है कि कोई प्राइवेट कम्पनी जिसकी औसत वार्षिक आय अधिनियम प्रवृत्त होने की तारीख से पहले या बाद के तीन वर्ष से, एक करोड़ रुपये है, उसकी समादत्त पूंजी का विचार किये बिना, पब्लिक कम्पनी हो जाएगी । यह कहा गया है कि समादत्त पूंजी और आय के बीच एक निश्चित सम्बन्ध होना चाहिए अन्यथा इससे कई लघु उद्योगों, जो कम पूंजी निवेश करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं, पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस तरह के उद्योग रुई ओटाई तथा प्रेसिंग उद्योग, तेलमिल उद्योग, प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, कागज पैकेजिंग उद्योग आदि हैं । इस तरह के आमूलचूल परिवर्तन से कोई सामाजिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

अतः यह सुझाव दिया गया है कि समादत्त पूंजी चाहे उसकी न्यूनतम सीमा केवल पन्द्रह लाख रुपये ही रखी जाये, एक मानदण्ड होना चाहिये ताकि लघु उद्योगों के हितों की रक्षा की जा सके ।

शेयरों का अर्जन (खण्ड 12) : इस खण्ड में उपबन्ध किया गया है कि सरकार के अनुमोदन के बिना कोई व्यक्ति, समुदाय, किसी समुदाय का घटक, फर्म, निगम निकाय या एक ही प्रबन्ध के अधीन निगम निकाय संयुक्त रूप से या अलग अलग शेयर तब अर्जित नहीं कर सकता जब कि इन शेयरों का मूल्य उस कम्पनी की समादत्त शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो ।

अधिनियम में 'कम्पनी का नियंत्रण' शब्दों की स्पष्ट परिभाषा दी जानी चाहिये । स्पष्टतः यह भी वांछनीय है कि अधिनियम के सभी उपबन्धों में एक ही धारणा विद्यमान रहनी चाहिये । अधिनियम तथा विधेयक की कुछधाराओं में कम्पनी के नियंत्रण के प्रयोजन के लिये उस कम्पनी की पूंजी के एक तिहाई शेयर धारण करने की बात कही गयी है तथा इस खण्ड के समान कुछ अन्य उपबन्धों में उस कम्पनी में पच्चीस प्रतिशत शेयर रखने की परिकल्पना की गयी है । "एक ही प्रबन्ध" की परिभाषा में किसी कम्पनी के एक-तिहाई शेयरों की बात कही गयी है । यह उल्लेखनीय है कि दत्त समिति ने भी नियंत्रण के मानदण्ड के रूप में 'एक तिहाई शेयर धारण करने, की बात स्वीकार की थी । अतः यह उचित ही है कि यहां पर भी यही मानदण्ड अपनाया जाना चाहिये ।

निरीक्षण (खण्ड 21) : इस उपबन्ध के अधीन, रजिस्ट्रार तथा निरीक्षण करने वाले अधिकारी की निरीक्षण सम्बन्धी शक्तियों को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विद्यमान धारा 209 के अधीन, प्रबन्ध को कोई सूचना दिये बिना निरीक्षण करने का आदेश दिया जा सकता है । लेकिन इसमें एक बात और भी है । कोई भी अधिकारी कोई भी जानकारी मांग सकता है तथा कम्पनी या उसके अधिकारियों को अधिकथनों के बारे में बताये बिना रिपोर्ट कर सकता है परन्तु इससे निरीक्षकों की शक्तियों पर कोई निर्बन्धन नहीं लगेगा । कम्पनी को न तो रिपोर्ट की प्रति दी जायेगी और न ही उसे इस बात की जानकारी होगी कि उसके विरुद्ध क्या रिपोर्ट की गयी है । यह उचित ही है कि इस प्रकार के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के प्राथमिक मानकों तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जाये । कम्पनी को मामले का स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिये तथा निरीक्षक को दी गयी मनमानी करने की शक्तियों को कम करके उनके स्थान पर समुचित रक्षोपायों की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति (खण्ड 26) : इस खण्ड में उपबन्ध किया गया है कि केन्द्रीय सरकार उप-धारा (1) के अधीन कोई प्रबन्ध-निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त या पुनः नियुक्त करने के लिये तब तक अनुमोदन नहीं देगी जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि प्रबन्ध-निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करना कम्पनी के हित में है । इस प्रकार का उपबन्ध पूर्णतः आपत्तिजनक है । सरकार चूंकि कम्पनी का संचालन नहीं करती अतः उसे सम्भवतः इस बात का पता नहीं हो सकता कि कम्पनी को प्रबन्ध-निदेशक की आवश्यकता है या नहीं । स्पष्टतः सरकार का आशय केवल कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक

के रूप में नियुक्त करने के लिये प्रस्तावित व्यक्ति की योग्यताओं की जांच करना और यह निर्णय करना है कि क्या वह प्रबन्ध निदेशक बनाये जाने योग्य है या नहीं, और यदि हां, तो उसे कितना वेतन दिया जाये। इस उपबन्ध में संशोधन किया जाना चाहिये तथा इसे निश्चित रूप देकर उस खण्ड से सम्बन्धित टिप्पण में उल्लिखित आशय के अनुरूप बनाया जाये जिसमें यह कहा गया है कि धारा 269 में संशोधन करने के सम्बन्ध में की गयी आपत्ति का आशय सरकार को नियुक्ति का अनुमोदन करने की शक्ति दिलाना है ।

विशेष संकल्प द्वारा संपरीक्षकों की नियुक्ति (खण्ड 24) : कम्पनी (संशोधन) विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि जहां किसी कम्पनी की अभिदत्त पूंजी का पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक भाग वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि द्वारा धृत हो, वहां संपरीक्षक की नियुक्ति केवल एक विशेष संकल्प द्वारा की जायेगी ।

यह समझ नहीं आता कि इस धारा के प्रयोजन के लिये, मत देने के अधिकारी वाली पूंजी के बजाय सारी अभिदत्त पूंजी पर क्यों विचार किया जाता है। विशेष संकल्प पारित करने में अधिमानी शेयर धारकों का तब तक कोई योगदान नहीं होगा जब तक कि उन्हे मत देने का अधिकार न हो । इस धारा से, इसकी वर्तमान शब्दावली के अनुसार, केवल कम्पनी का कार्य भार ही बढ़ेगा। सरकार का आशय तभी पूरा हो सकता है यदि इस धारा को उन मामलों में भी लागू किया जाये जहां मत देने का अधिकार प्राप्त पच्चीस प्रतिशत शेयर पूंजी लोक वित्तीय संस्थाओं आदि द्वारा धृत हो।

शेयरों के किसी रजिस्ट्रीकृत धारक द्वारा फायदाप्रद हित न रखने वाले के विवरणों की घोषणा (खण्ड 15):—

इस धारा का दोहरा प्रभाव है। एक तो यह कि किसी शयर के किसी रजिस्ट्रीकृत धारक को इस प्रकार के शेयरों में फायदाप्रद हित रखने वाले व्यक्ति का नाम तथा अन्य विवरण बताते हुए कम्पनी के प्रति घोषणा करनी पड़ेगी । दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति का किसी शेयर में लाभकारी हित हो उसके लिये यह बताना बाध्यकारी होगा कि उनका हित किस प्रकार का है और उस व्यक्ति का ब्यौरा क्या है जिसके नाम में कम्पनी की बहियों में शेयर चढ़े हुए हैं। खण्डों से सम्बन्धित टिप्पणियों में कहा गया है कि धारा 187ग के अनुसार बेनामीदार और लाभ प्राप्तकर्ता स्वामी दोनों ही के लिये घोषणा करना बाध्यकारी होगा। परन्तु इस धारा कि शब्दावली इस प्रकार की है कि सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। यह स्पष्ट है कि एक बेनामीदार और एक लाभ प्राप्तकर्ता स्वामी के बीच एक स्पष्ट सम्बन्ध होता है और जहां पर ऐसा सम्बन्ध हो अर्थात् जहां किसी बेनामीदार के पास लाभ प्राप्तकर्ता स्वामी के लाभ के लिय कोई शेयर हो, वहां बेनामीदार और लाभ-प्राप्तकर्ता स्वामी दोनों स्थिति से अवगत होते हैं। तथापि, बहुत से ऐसे मामले होंगे जिनमें ऐसा कोई सम्बन्ध न हो और पंजीकृत शेयर धारी को लाभ प्राप्तकर्ता स्वामी के बारे में पता न हो, चाहे लाभ प्राप्तकर्ता स्वामी को उस व्यक्ति का पता होता जिसके नाम पर शेयर हो।

एक विशिष्ट उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। शेयरों का क्रय-विक्रय शेयरों के दलालों और व्यापारियों का एक सामान्य कार्य है और ऐसा करते समय वे कुछ शेयर अपने नाम पर पंजीकृत करवा लेते हैं। अब यदि मान लिया जाये कि किसी व्यक्ति ने किसी कम्पनी के 10,000 शेयर खरीद कर अपने नाम पंजीकृत करवा लिये और उन्हे बेच दिया। उसके उन क्रेताओं ने, जिनके पास, 9,900 शेयर थे, अपने शेयरों को अपने नामों पर पंजीकृत करवा लिया परन्तु एक व्यक्ति ने, जिसके पास 100 शेयर थे, ऐसा कराने की परवाह नहीं की। यह सुविदित है कि स्टाक एक्सचेंज में व्यापार इस ढंग से होता है कि दलालों, व्यापारियों, इत्यादि के बीच बहुत से सौदों के पश्चात ही शेयर वास्तविक क्रेता के पास पहुंच पाते है। इस प्रकार विक्रेता को यह कभी भी पता नहीं लगता कि वास्तविक क्रेता कौन है और क्या उसने शेयरों को अपने नाम पर पंजीकृत करवा लिया है अथवा नहीं । चूंकि यह धारा उन सभी मामलों पर लागू होगी जिनमें किसी व्यक्ति का नाम विधेयक के लागू होने की तारिख को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज हो अतः यह प्रतीत होता है कि कई वर्ष पहले किया गया सौदा भी इस धारा के क्षेत्र में आ जायेगा। सम्भव है कि किसी व्यक्ति को यह भी पता न हो कि किसी कम्पनी की बहियों में उसके नाम पर जो शेयर 10 अथवा 15 अथवा 20 वर्ष पूर्व थे वे अब भी उसके नाम पर हैं क्योंकि क्रेता ने लापरवाही से उन्हें अपने नाम अन्तरित नहीं करवाया। ऐसे मामले में उसके लिए इस धारा की अपेक्षाओं को पूरा करना वास्तव में असम्भव होगा ? दूसरी ओर व्यतिक्रम की अवधि में, यदि वह केवल सम्बन्धित व्यक्ति की अनभिज्ञता के करण तीन वर्ष तक रही आई, प्रतिदिन के लिये 1,000 रुपये के हिसाब से शास्ति की राशि लाखों रुपये हो जाएगी, जबकि संबंधित शेयरों का मूल्य शायद, 1,000 रुपये ही हो।

किसी व्यक्ति के लिये, जब वह तथ्यों को समझने की स्थिति में नहीं है, घोषणा करना बाध्यकारी बनाना नैसर्गिक न्याय के सभी सिद्धान्तों के प्रतिकूल है और विहित शास्ति स्पष्ट रूप से अन्याय पूर्ण है।

सरकार का प्रयोजन आसानी से पूरा हो सकता है यदि घोषणा करने का दायित्व सीधे फायदाग्राही स्वामी पर डाला जाये क्योंकि फायदाग्राही स्वामी उस व्यक्ति का नाम जानता है जिसके नाम के शेयर रजिस्ट्रीकृत हैं। यह व्यवस्था की जाये कि ऐसा न करने पर विवादास्पद शेयरों के सम्बन्ध में उसके सारे दावे समाप्त हो जायेंगे। पंजीकृत शेयरधारक से केवल तभी घोषणा कराई जाये यदि कम्पनी विधि बोर्ड ऐसा करने के लिये कहे और साथ ही यदि वह अपेक्षित जानकारी देने की स्थिति में हो। जैसा कि पहले बताया गया है, यह हो सकता है कि वह उन सभी कम्पनियों के बारे में भी न जानता हो जिनकी बहियों में उसका नाम शेयर धारक के रूप में दर्ज किया गया है और दूसरे, ऐसे शेयरों के वर्तमान फायदाग्राही शेयरधारकों के नाम जानना उसके लिये असम्भव हो सकता है। यदि उसे पहले भाग के बारे में जानकारी हो भी जाती है तो वह यही कहेगा कि वह फायदाग्राही स्वामी का नाम नहीं जानता है और तब सरकार विवादास्पद शेयरों के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगी जैसी वह उचित समझे।

अदावाकृत लाभांश (खण्ड 16): विधेयक में इस प्रस्ताव को बनाये रखा गया है कि जिन लाभांशों का दावा छः महीने के भीतर न किया जाये उन्हें केन्द्रीय राजस्व में अन्तरित किया जायेगा और उसके पश्चात् अधिकारवान् दावेदारों को, जब भी वे उनको देय लाभांश के लिये दावा करने की स्थिति में हों, सरकार से सम्पर्क स्थापित करना पड़ेगा। यह बात समझ में नहीं आती है कि ऐसे उपबंध को आवश्यक क्यों समझा गया है। इस सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि कुछ स्टाक कम्पनियों ने बहुत लम्बे समय बाद किये गये लाभांशों सम्बन्धी दावों को इंकार किया है धन कम्पनी और शेयर धारकों का होता है न कि सरकार का। हमारा आग्रह है कि अब भी इस पर पुनर्विचार किया जाये क्योंकि नये उपबंध से छोटे दावेदारों को, जिनपर इस कारण से प्रभाव पड़ने की सम्भावना है कि सरकारी तंत्र सामान्यतः बहुत धीरे कार्यवाही करता है, और विशेष कर ऐसे मामलों में जहां धन का वितरण करना हो, पर्याप्त कठिनाई और परेशानी उठानी पड़ेगी।

निक्षेप (खण्ड 7): यह प्रस्ताव किया गया है कि कम्पनी के निदेशकों अथवा शेयर धारकों से निक्षेप स्वीकार करने के लिये कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रबंध व्यवस्था तथा उसके अन्य ब्यौरे विनिर्दिष्ट करने वाला विज्ञापन देना आवश्यक नहीं होना चाहिए और यह कि कम्पनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निक्षेपों को स्वीकार करना ही काफी है। किन्तु इस निर्णय को नई धारा 58(क) के उप-खण्ड (2) में उपयुक्त संशोधन सम्मिलित नहीं किया गया है। इसको विशेष रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिये।

अन्त में हम विधेयक के अंतिम उपबंधों के बारे में सामान्य रूप से कुछ कहना चाहते है। इस बात पर दो राय नहीं हो सकती कि जो अपराध जानबूझ कर और स्वेच्छा से किये गये हों उनके लिये दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम यह वांछनीय समझते हैं कि कम्पनी तथा उसके अधिकारियों के दायित्वों तथा जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निश्चिय किया जाये। हो सकता है कि जब वे कोई कार्य करते हैं अथवा कोई कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी न हों कि इससे कानून का उल्लंघन हुआ है। उदाहरणार्थ नई धारा 108क अथवा 108ख के उपबंधों के अन्तर्गत ऐसी स्थिति आ सकती है।

नई दिल्ली ;
14 नवम्बर, 1973

एच० एम० पटेल
एम० के० मोहता
[महावीर त्यागी]

1972 का विधेयक सं० 72–ब

कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972

खण्डों का क्रम

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. धारा 2 का संशोधन ।
3. नई धारा 4क का अन्तःस्थापन ।
4. धारा 10ङ का संशोधन ।
5. धारा 17, 18 और 19 का संशोधन ।
6. धारा 43क का संशोधन ।
7. नई धारा 58क तथा 58ख का अंतःस्थापन ।
8. धारा 73 का संशोधन ।
9. धारा 79 का संशोधन ।
10. धारा 90 का प्रतिस्थापन ।
11. नई धारा 94क का अन्तःस्थापन ।
12. नई धारा 108क से 108ज तक का अन्तःस्थापन ।
13. धारा 141 का संशोधन ।
14. धारा 186 का संशोधन ।
15. नई धारा 187ग और 187घ का अन्तःस्थापन ।
16. धारा 192 का संशोधन ।
17. नई धारा 204क का अन्तःस्थापन ।
18. धारा 205 का संशोधन ।
19. नई धारा 205 क और 205ख का अन्तःस्थापन ।
20. धारा 209 का संशोधन ।
21. नई धारा 209क का अन्तःस्थापन ।
22. धारा 217 का संशोधन ।
23. धारा 224 का संशोधन ।
24. नई धारा 224क का अन्तःस्थापन ।
25. धारा 233ख का संशोधन ।
26. धारा 269 का संशोधन ।
27. नई धारा 294कक का अन्तःस्थापन ।

28. धारा 297 का संशोधन ।

29. धारा 314 का संशोधन ।

30. नई धारा 383क का अन्त:स्थापन :

31. धारा 408 का संशोधन ।

32. धारा 591 का संशोधन ।

33. धारा 600 का संशोधन ।

34. धारा 616 का संशोधन ।

35. धारा 619 का संशोधन ।

36. नई धारा 619ख का अन्त:स्थापन ।

37. धारा 637क का संशोधन ।

38. नई धारा 637कक का अन्त:स्थापन ।

39. धारा 641 का संशोधन ।

40. धारा 642 का संशोधन ।

41. नई अनुसूची 13 का अन्त:स्थापन ।

42. 1956 के अधिनियम सं० 42 की धारा 22 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।]

43. 1969 के अधिनियम सं० 54 का संशोधन ।

1972 का विधेयक सं० 72—ब

[कम्पनीज (अमेण्डमेंट) बिल, 1972 का हिन्दी अनुवाद]

कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972

[जैसा संयुक्त समिति ने रिपोर्ट किया है]

[जिन शब्दों के पार्श्व में या नीचे रेखाएं खिंची हैं वे समिति द्वारा सुझाए गये संशोधन हैं ; जहां तारक चिन्ह हैं वहां लोप किया गया है]

कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन ।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की (जिसको इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में,— 1956 का 1

(i) खण्ड (18) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(18क) "समुदाय" से दो या अधिक व्यष्टियों, संगमों, फर्मों या निगम निकायों या उनके किसी समुच्चय का ऐसा समुदाय अभिप्रेत है जो किसी निगम निकाय, फर्म या न्यास पर नियंत्रण रखता है या रखने की स्थिति में है या रखने का उद्देश्य रखता है ;';

स्पष्टीकरण—यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या दो या अधिक व्यष्टि, संगम, फर्म या निगम निकाय या उनका कोई समुच्चय, कोई "समुदाय" गठित करता है या उसके अन्तर्गत आता है तो कम्पनी विधि बोर्ड ऐसे व्यष्टियों, संगमों, फर्मों या निगम निकायों या उनके किसी समुच्चय को चुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् उसका विनिश्चय करेगा ; ' ;

(ii) खण्ड (25) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण** 1—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रबन्ध अभिकर्ता" के प्रति निदेशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे किसी ऐसे व्यष्टि, फर्म या निगम निकाय के प्रति निर्देश हैं जो 3 अप्रैल, 1970 के पहले किसी समय किसी कम्पनी का प्रबन्ध अभिकर्ता था ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 6 में किसी बात के होते हुए भी यह खण्ड प्रवृत्त रहेगा और सदैव प्रवृत्त रहा समझा जाएगा ;' ; 1969 का 17

(iii) खण्ड (30) में, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ से छः मास की समाप्ति पर,—

(i) उपखण्ड (क) में "सचिव तथा कोषपाल या सचिव" शब्दों के स्थान पर "या सचिव और कोषपाल" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखण्ड (ग) का लोप कर दिया जाएगा ।

(iv) खण्ड (36) में, "अन्य दस्तावेजों" शब्दों के स्थान पर "अन्य दस्तावेजों जिनसे जनता से निक्षेप आमंत्रित किए गए हैं या" शब्द रखे जाएंगे ;

* * * *

(v) खण्ड (44) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण** 1—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "सचिव तथा कोषपाल" के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे किसी ऐसी फर्म या निगम निकाय के प्रति निर्देश हैं जो 3 अप्रैल, 1970 से पूर्व किसी समय किसी कम्पनी का सचिव और कोषपाल था ।

स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 6 में किसी बात के होते हुए भी यह खण्ड प्रवृत्त रहेगा और सदैव प्रवृत्त रहा समझा जाएगा ;' 1969 का 17

(vi) खण्ड (45) में,—

(क) "कोई ऐसा व्यष्टि, ऐसी फर्म या ऐसा निगम निकाय" शब्दों के स्थान पर "विहित अर्हतायें रखने वाला कोई ऐसा व्यष्टि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "केवल अनुसचिवीय या प्रशासनिक प्रकार के किन्हीं अन्य कर्तव्यों के पालन के लिए" शब्दों के स्थान पर "अनुसचिवीय या प्रशासनिक प्रकार के किन्हीं अन्य कर्तव्यों के पालन के लिए *** " शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 4क का अन्त:स्थापन ।

"4क. (1)इस उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय संस्था इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक वित्तीय संस्था समझी जाएगी, अर्थात् :— लोक वित्तीय संस्थायें ।

(i) इन्डस्ट्रियल क्रैडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है ; 1913 का 7

(ii) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ; 1948 का 15

(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ; 1964 का 18

(iV) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम ; 1956 का 31

(V) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट । 1963 का 52

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अन्य ऐसी संस्थाओं को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन्हें वह लोक वित्तीय संस्था होने के लिए ठीक समझे :

परन्तु कोई संस्था तभी इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाएगी जब,—

(i) वह किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित या गठित की गई हो ;

(ii) उस संस्था की समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा धृत या नियन्त्रित हो ।

4. मूल अधिनियम की धारा 10ङ में,— धारा 1050 का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) में "पांच" शब्द के स्थान पर "नौ" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (4क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(4ख) उपधारा (4क) के उपबन्धों पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, अपने सदस्यों में से एक या अधिक न्यायपीठ गठित कर सकेगा और ऐसी प्रत्येक न्यायपीठ को ऐसे बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का, जो आदेश में विहित किए जाएं प्रयोग और निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ; ऐसी शक्तियों के प्रयोग में या ऐसे कृत्यों के निर्वहन में किसी न्यायपीठ द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश या कार्य, यथास्थिति, बोर्ड का आदेश या कार्य समझा जाएगा ।

(4ग) उपधारा (4ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक न्याययीठ को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन, न्यायालय में, वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों की बाबत निहित होती हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली दस्तावेजों या अन्य तात्विक सामग्री का प्रकटीकरण और निरीक्षण ;

(ख) साक्षियों को हाजिर कराना और उनके व्ययों को निक्षिप्त करने की अपेक्षा करना ;

(ग) साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली दस्तावेजों या तात्विक सामग्री को पेश किए जाने के लिए विवश करना और उसे परिबद्ध करना ;

(घ) साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करना ;

(ङ) स्थगन मंजूर करना ;

(च) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ।

(4घ) प्रत्येक न्यायपीठ, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 195 और अध्याय 35 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा और न्यायपीठ के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 258 के अर्थ में तथा उस संहिता की धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा ।" । 1898 का 45 1860 का 5

धारा 17, 18 और 19 का संशोधन ।

5. (1) मूल अधिनियम की धारा 17, 18, और 19 में जहां भी "न्यायालय" शब्द आया है उसके स्थान पर "कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 17, के अधीन या धारा 18, की उपधारा (4) के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही को लागू न होगी जो कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 1973 के प्रारम्भ के समय किसी न्यायलय के समक्ष लम्बित हो और न किसी कम्पनी के ज्ञापन के ऐसे परिवर्तन को लागू होगी जिसकी पुष्टि ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय द्वारा कर दी गई हो ।

धारा 43क का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 43क में, —

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी प्राइवेट कम्पनी का जो कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ पर अस्तित्व में हो या तत्पश्चात निगमित हो, औसत वार्षिक आवर्त सुसंगत कालावधि के दौरान एक करोड़ रुपए से कम नहीं है वहां वह प्राइवेट कम्पनी उसकी समादत्त अंश (शेयर पूंजी) चाहे कुछ भी हो उस सुसंगत अवधि के जिसके दौरान उस प्राइवेट कम्पनी का उक्त औसत वार्षिक आवर्त था, अन्तिम दिन से तीन मास की कालावधि की समाप्ति पर और से, इस उपधारा के आधार पर पब्लिक कम्पनी हो जाएगी :

परन्तु प्राइवेट कम्पनी के इस प्रकार पब्लिक कम्पनी हो जाने के पश्चात भी उसके संगम अनुच्छेद के अन्तर्गत धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट विषयों से सम्बद्ध उपबन्ध हो सकेगें और उसके सदस्यों की संख्या सात से कम हो सकेगी या किसी भी समय सात से कम की जा सकेगी ।

"(1ख) जहां किसी ऐसी पब्लिक कम्पनी की, जिसकी शेयर पूंजी है, समादत्त शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी किसी प्राइवेट कम्पनी द्वारा धृत हो वहां वह प्राइवेट कम्पनी,—

(क) उस तारीख को और से जिसको पूर्वोक्त प्रतिशत उसके द्वारा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार धृत किया जाए, अथवा

(ख) जहां पूर्वोक्त प्रतिशत कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पूर्व इस प्रकार प्रथम बार धृत किया गया हो वहां ऐसे प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की कालावधि के अवसान पर और से, जब तक कि उस कालावधि के भीतर उक्त प्रतिशत उस पब्लिक कम्पनी की समादत्त शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो जाए,

इस उपधारा के आधार पर पब्लिक कम्पनी हो जाएगी और तदुपरि इस धारा के अन्य सब उपबन्ध उसे लागू होंगे ।";

परन्तु प्राइवेट कम्पनी के इस प्रकार पब्लिक कम्पनी हो जाने के पश्चात् भी उसके संगम अनुच्छेदों के अन्तर्गत धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट विषयों से सम्बद्ध उपबन्ध हो सकेंगे और उसके सदस्यों की संख्या सात से कम हो सकेगी या किसी भी समय सात से कम की जा सकेगी ।" ;

(ii) उपधारा (8) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :–

(ग) प्राइवेट कम्पनी को, उसकी समादत्त शेयर पूंजी चाहे कुछ भी हो सुसंगत कालावधि के दौरान एक करोड़ रुपये या अधिक का औसत वार्षिक आवर्त नहीं था ;";

(iii) उपधारा (8) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात् :–

'(9) प्रत्येक प्राइवेट कम्पनी जिसकी शेयर पूंजी, वार्षिक विवरण के साथ रजिस्ट्रार को विवरण पर दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र फाइल करेगा जिसमें यह कथन होगा कि उस वार्षिक साधारण अधिवेशन की, जिसके प्रति निर्देश से अन्तिम विवरण भेजा गया था, तारीख से अथवा प्रथम विवरण भेजा की दशा में प्राइवेट कम्पनी के निगमन की तारीख से उसने एक या अधिक पब्लिक कम्पनी की समादत्त शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत या अधिक धृत नहीं किया था ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) 'सुसंगत कालावधि' से तीन क्रमवर्ती वित्तीय वर्षों की वह कालावधि अभिप्रेत है, –

(i) जो कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व है ; या

(ii) जिसका एक भाग ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व का है और जिसका अन्य भाग ऐसे प्रारम्भ के ठीक बाद था, या

(iii) जो उसको प्रारम्भ के ठीक बाद की है या तत्पश्चात् किसी समय की है ;

(ख) कम्पनी के "आवर्त से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा उत्पादित, प्रदत, वितरित या नियंत्रित माल या उसके द्वारा की गई सेवाओं का संकलित मूल्य अभिप्रेत है ।" ।

7. मूल अधिनियम की धारा 58 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्त-स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

नई धारा 58क तथा 58ख का अन्तःस्थापन । विज्ञापन निकाले बिना निक्षेपों का आमंत्रित न किया जाना ।

"58क. (1) केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, वे परिसीमाएं जिन तक, वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई कम्पनी या तो जनता से या अपने सदस्यों से निक्षेप आमंत्रित या स्वीकार कर सकेगी, विहित कर सकेगी ।

(2) कोई भी कम्पनी तब तक कोई निक्षेप आमन्त्रित नहीं करेगी और न किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से आमन्त्रित करने के लिए या करवाने के लिए अनुज्ञात करेगी जब तक कि, (क) ऐसा निक्षेप उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आमन्त्रित न किया जाए अथवा आमन्त्रित न करवाया जाए, और

(ख) कम्पनी ने ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए एक विज्ञापन जिसमें कम्पनी की वित्तीय स्थिति को दर्शित करने वाला विवरण भी सम्मिलित हो, न निकाल दिया हो।

(3)(क) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय किसी कम्पनी द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3ख के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार स्वीकार किया गया प्रत्येक निक्षेप, जब तक कि वह खण्ड (क) के अनुसार नवीकृत न किया गया हो, ऐसे निक्षेपों के निबन्धनों के अनुसार प्रतिसंदत्त किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई भी निक्षेप उसकी अवधि की समाप्ति के पश्चात् कम्पनी द्वारा तब तक निवीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि निक्षेप ऐसा न हो जो उस दशा में स्वीकार किया जा सकता यदि उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियम उस समय प्रवृत्त होते जब कम्पनी ने वह निक्षेप आरम्भ में स्वीकार किया था ;

(ग) जहां कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पूर्व कम्पनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3ख के अधीन किसी निदेश के उल्लंघन में कोई निक्षेप प्राप्त किया था वहां ऐसे निक्षेप का प्रतिसन्दाय खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा और ऐसा प्रतिसन्दाय ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो ऐसे निदेश के उल्लंघन में ऐसे निक्षेप को स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन की जाए ;

(घ) जब तक कि खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निक्षेप ऐसे निक्षेप के निबन्धनों के अधीन पूर्वतर प्रतिसन्देय न हो तब तक ऐसे निक्षेप के एक तिहाई का प्रतिसन्दाय 1 अप्रैल, 1974 से पूर्व किया जाएगा ; ऐसे निक्षेप के अन्य एक तिहाई का प्रतिसन्दाय 1 अप्रैल, 1975 से पूर्व किया जाएगा तथा ऐसे निक्षेप के अतिशेष का प्रतिसंदाय 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व किया जाएगा।

(4) यदि कम्पनी द्वारा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पश्चात् कोई निक्षेप उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में स्वीकार किया जाए तो कम्पनी द्वारा ऐसे निक्षेप का प्रतिसंदाय ऐसे निक्षेप के स्वीकार किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर या तीस दिन से अधिक के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो कम्पनी द्वारा पर्याप्त कारण होने पर केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात करे, किया जाएगा।

(5) यदि कम्पनी निक्षेप का प्रतिसंदाय उपधारा (3) के खण्ड (ग) के उपबन्धों के अनुसार अथवा उपधारा (4) में निर्दिष्ट निक्षेप की दशा में उस उपधारा में

विनिर्दिष्ट समय के भीतर करने में लोप करेगी या करने में असफल रहेगी तो,--

(क) कम्पनी जुर्माने से जो उस रकम के दुगने से कम का नहीं होगा जिसके संबंध में निक्षेप का प्रतिसंदाय नहीं किया गया और यदि जुर्माना वसूल कर लिया जाए तो उस रकम के बराबर की रकम जिसके सम्बन्ध में निक्षेप का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है, अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को संदत्त की जाएगी जिसको निक्षेप का प्रतिसंदाय किया जाना था और ऐसे सदाय पर कम्पनी का निक्षेप का प्रतिसंदाय करने का दायित्व न्यायालय द्वारा संदत्त रकम की सीमा तक उन्मोचित हो जाएगा ;

(ख) कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी जिसने व्यतिक्रम किया हो कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा और जुर्माने का दायी भी होगा ।

(6) जहां कोई कम्पनी, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई निक्षेप स्वीकार करेगी या आमंत्रित करेगी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से स्वीकार करने या आमंत्रित करने के लिये अनुज्ञात या कारित करेगी वहां, —

(क) कम्पनी,--

(i) जहां ऐसा उल्लंघन किसी निक्षेप के स्वीकार करने के संबंध में हों वहां जुर्माने से जो प्रकार स्वीकार किया गया निक्षेप की रकम के बराबर की रकम से कम का न होगा अथवा

(ii) जहां ऐसा उल्लंघन किसी निक्षेप के आमंत्रण के संबंध में हो वहां जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा,

दण्डनीय होगा ;

(ख) कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी जिसने व्यतिक्रम किया हो कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा और जुर्माने का दायी भी होगा ।

(7) (क) इस धारा की कोई बात,--

(i) किसी बैंककारी कम्पनी को अथवा

(ii) कोई ऐसी कम्पनी को जिसे केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके इस निमित्त निर्दिष्ट करें,

लागू नहीं होगी;

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट विज्ञापन से सम्बन्धित उपबन्धों के सिवाय इस धारा को कोई बात वित्तीय कम्पनियों के ऐसे वर्ग को जिसे केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके इस निमित विनिर्दिष्ट करे,

लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये "निक्षेप" से किसी कम्पनो में किए गए धन का कोई निक्षेप अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कम्पनी द्वारा उधार ली गई रकम भी है किन्तु रकम के वही प्रवर्ग जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विहित किए जाएं, इसके अन्तर्गत नहीं होंगे ।

प्रोस्पैक्टस से सम्बन्धित उपबन्धों का विज्ञापन को लागू होना ।

58 ख. इस अधिनियम के प्रोस्पैक्टस से सम्बन्धित उपबन्ध यावतशक्य धारा 58क में निर्दिष्ट विज्ञापन को लागू न होंगे ।

धारा 73 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 73 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) यहां कि किसी प्रास्पेक्टस में, चाहे वह साधारण रूप में या अन्य रूप में निकाला गया हो, यह कथन है कि जो शेयर या डिबेन्चर तद्द्वारा आफर किए जा रहे हैं उनके लिए इस अनुज्ञा के लिये कि उनमें व्यवहार एक या अधिक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में होने लगे, आवेदन कर दिया गया है या किया जाएगा वहां ऐसे प्रास्पेक्टस, यथास्थिति, उस स्टाक एक्सचेन्ज के नाम का अथवा ऐसे प्रत्येक स्टाक एक्सचेंज के नाम का कथन होगा और ऐसे प्रास्पेक्टस के अनुसरण में आवेदन पर किया गया कोई आवंटन वह चाहे कभी किया गया हो उस दशा में शून्य होगा जब कि प्रास्पेक्टस के पहली बार निकाले जाने के पश्चात् दसवें दिन के पूर्व के अनुज्ञा के लिये आवेदन न किया गया हो अथवा जहां कि ऐसी अनुज्ञा के लिये आवेदन उस दिन के पूर्व कर दिया गया हो वहां जब, यथास्थिति, स्टाक एक्सचेंज या ऐसे प्रत्येक स्टाक एक्स्चेन्ज द्वारा अनुज्ञा अभिदाय सूचियों के बन्द किए जाने की तारीख से दस सप्ताह के पूर्व न दी गई हो :

परन्तु जहां कि किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के उस स्टाक एक्सचेंज में शेयर या डिब्रेंचरों में व्यवहार के लिये अनुज्ञा से इंकार के विनिश्च के विरूद्ध अपील प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अधीन कर दी गई हो वहां ऐसा आवंटन तब तक शून्य नहीं होगा जब तक कि अपील खारिज न कर दी जाए ।" 1956 का 42

(ii) उपधारा (2) में "या अनुज्ञा यथापूर्वोक्त नहीं दी गई है" शब्दों के स्थान पर "या ऐसी अनुज्ञा के लिये आवेदन किए जाने पर वह यथापूर्वोक्त नहीं दी गई है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्—

"(5) इस धारा के प्रयोजनों के यह है कि यदि ऐसी अनुज्ञा के लिये आवेदन कर दिया गया हो और उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निपटाया नहीं गया हो तो यह समझा जाएगा कि अनुज्ञा नहीं दी गई है ।" ।

धारा 79 का संशोधन ।

9. (1) मूल अधिनियम की धारा 79 में,—

(i) उपधारा (2) और (3) में जहां भी "न्यायालय" शब्द आया है उसके स्थान पर "कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) उपखण्ड (ii) में "(जो दस प्रतिशत से या ऐसी अधिक प्रतिशत रकम से जैसी केन्द्रीय सरकार किसी विशष दशा में अनुज्ञात करे अनधिक है" शब्दों और कोष्ठक का लोप कर दिया जाएगा ;

(ख) उपखण्ड (ii) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु ऐसा कोई संकल्प कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा उस दशा में मंजूर नहीं किया जाएगा जब कि संकल्प में विनिर्दिष्ट बट्टे की अधिकतम दर दस प्रतिशत से अधिक हो, सिवाय उस दशा के जब कि उस बोर्ड की यह राय हो कि मामले की विशेष

परिस्थतियों को देखते हुए बट्टों को उच्चतर दर अनुज्ञात होनी चाहिए;" ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात शयरों के बट्टे पर ऐसे निर्गम पर प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी न्यायालय द्वारा मंजूर कर दिया गया हो और न ऐसी मंजूरी से संबधित किसी एसी कायवाही पर प्रभाव डालेगी जो कम्पनी (सशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के समय न्यायालय के समक्ष लंबित हो ।

10. मूल अधिनियम की धारा 90 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात:— धारा 90 का प्रतिस्थापन ।

"90. (1) धारा 85, 86, 88 और 89 की कोई बात, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी पब्लिक कम्पनी द्वारा निगमित किन्ही शेयरों की दशा में, उन किन्हीं मतदान के अधिकारों पर जो उन शेयरों से संलग्न है, धारा 89 में उपबन्धित से अन्यथा ऐसे किन्हीं अधिकारों पर जो लाभांश या पूंजी के बारे में अथवा अन्यथा उन शेयरों से संलग्न हैं, प्रभाव न डालेगी । व्यावृत्ति ।

(2) धारा 85 से लेकर 89 तक की कोई बात प्राइवेट कम्पनी को तब के सिवाए लागू न होगी जब कि वह पब्लिक कम्पनी की समनुषंगी है ।

(3) शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि कम्पनी (सशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ पर और से धारा 87 के उपबन्ध, 1 अप्रल, 1956 से पूर्व किसी पब्लिक कम्पनी द्वारा निर्गमित अधिमानी शयरों से संलग्न मतदान के अधिकारों के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस तारीख के पश्चात् किसी पब्लिक कम्पनी द्वारा निर्गमित अधिमानी शयरों को लागू होते हैं ।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिये पब्लिक कम्पनी के प्रतिनिदशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत उस प्राइवेट कम्पनी के प्रति, जो पब्लिक कम्पनी की समनुषंगी है, निर्देश भी है ।" ।

11. मूल अधिनियम की धारा 94 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 94क का अन्त:स्थापन ।

"94क. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां कि केन्द्रीय सरकार ने धारा 81 की उपधारा (4) के अधीन किए गए आदेश द्वारा निदेश दिया हो कि कोई डिबेन्चर या उधार या उसका कोई भाग कम्पनी के शयरों में संपरिवर्तित किया जाएगा वहां ऐसी कम्पनी के ज्ञापन में अन्तर्विष्ट शर्तें, उस दशा में जब कि उस आदेश के फलस्वरूप उस कम्पनी की अभिहित शेयर पूंजी बढ़ जाए, परिवर्तित हो जाएगी और उस कम्पनी की अभिहित शयर पूंजी उस रकम के बराबर बढ़ जाएगी जो उन शेयरों के मूल्य की रकम के बराबर हो जिनमें कि ऐसे डिबेन्चर या उधार या उनका भाग संपरिवर्तित किया गया हो । जहां धारा 81 (4) के अधीन आदेश किया जाए वहां शयर पूंजी का बढ़ जाना ।

(2) जहां कि कम्पनी द्वारा निगमित डिबेन्चरों या लिए गए उधारों से संलग्न विकल्प के अनुसरण में किसी लोक वित्तीय संस्था ने ऐसे डिबेन्चरों या उधारों को कम्पनी में शेयरों में संपरिवर्तित किया हो वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी लोक वित्तीय संस्था के आवेदन पर आदेश दे सकेगी कि उस कम्पनी के ज्ञापन में अन्तर्विष्ट शर्तें परिवर्तित हो जाएगी और उस कम्पनी की अधिहित शेयर पुंजी उस रकम के बराबर बढ़ जाएगी जो उन शेयरों के मूल्य की रकम के बराबर हो जिनमें कि ऐसा डिबेन्चर या उधार या उसका भाग संपरिवर्तित किया गया हो।

(3). जहां कि किसी का ज्ञापन केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 81 की उपधारा (4) के अधीन या इस धारा की उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश के कारण परिवर्तित हो जाए वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को भेजेगी जो उस आदेश की प्राप्ति पर उस कम्पनी के ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तन करेगा।" ।

नई धारा 108क से 108ज तक का अन्त:स्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 108 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

शेयरों के अर्जन पर निर्बंधन।

"108क. (1) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई व्यष्टि, समुदाय, किसी समुदाय का घटक, फर्म, निगम निकाय या एक ही प्रबन्ध के अधीन के निगम निकाय, संयुक्त रूप से या अलग अलग, किसी पब्लिक कम्पनी में * * * या किसी प्राईवेट कम्पनी में, जो किसी * * पब्लिक कम्पनी की समनुषंगी हो कोई साधारण शेयर, स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में, तब न अर्जित करेगा और न अर्जित करने का करार करेगा जब कि इस प्रकार अर्जन के लिये आशयित साधारण शेयरों का कुल अभिहित मूल्य उस कम्पनी की समादत्त साधारण शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत के अधिक हो या उस कम्पनी में उस व्यष्टि, फर्म, समुदाय के घटक, निगम निकाय या एक ही प्रबन्ध के अधीन के निगम निकायों द्वारा पहले से धृत साधारण शेयरों से मिलकर हो जाएगा ।

(2) जो व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई शेयर अर्जित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अन्तरण पर निर्बन्धन।

108ख. (1) किसी अन्य कम्पनी की अभिदत्त साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य का, अकेले या कुल मिलाकर दस प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले प्रत्येक निगम निकाय या एक ही प्रबन्ध के अधीन के निगम निकाय ऐसे एक या अधिक शेयरों को अन्तरित करने की अपनी प्रस्थापना की सूचना केन्द्रीय सरकार को ऐसे शेयर अन्तरित करने के पूर्व देंगे और ऐसी प्रत्येक सूचना में अन्तरण के लिये प्रस्थापित शेयर की विशिष्टियों का, जिस व्यक्ति का शेयर अन्तरित करने की प्रस्थापना हो उसके नाम और पते, का सम्बन्धित कम्पनी में प्रस्थापित अन्तरिती की शेयर धृति का, यदि कोई हो, तथा अन्य ऐसी विशिष्टियों का, जो विहित की जाए, कथन सम्मिलित होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना की प्राप्ति पर या अन्यथा केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसे अन्तरण के परिणाम-स्वरूप कम्पनी के निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन होना सम्भाव्य है और ऐसा परिवर्तन कम्पनी के हित पर या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, वहां वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि —

(क) ऐसा कोई शेयर प्रस्थापित अन्तरिती को अन्तरित नहीं किया जाएगा : परन्तु ऐसे किसी आदेश से कम्पनी किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को शेयर अन्तरित करने की अपनी प्रस्थापना की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार को सूचना देने से प्रविरत नहीं होगी, या

(ख) जहां कि ऐसा शेयर उस कम्पनी में धृत हो जो अनुसूची 13 में विनिर्दिष्ट उद्योग में लगी हो वहां, ऐसा शेयर केन्द्रीय सरकार को या उस सरकार

के स्वामित्व या नियन्त्रण में के ऐसे निगम को जो उस निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए अन्तरित किया जाएगा ।

(3) जहां कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन निदेश किया जाए वहां उस निदेश में निर्दिष्ट शेयर केन्द्रीय सरकार को या उसमें विनिर्दिष्ट निगम को अन्तरित हो जाएगा और यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विनिर्दिष्ट निगम उस निगम निकाय या उन निगम निकायों को जिनसे ऐसा शेयर अन्तरित हुआ है, ऐसे शेयर के बाजार मूल्य के बराबर रकम, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, नकद देगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "बाजार मूल्य" से ऐसे शेयर की दशा में जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में कोट किया जाता है वह मूल्य अभिप्रेत है जो निदेश किए जाने की तारीख को उस स्टाक एक्सचेंज को कोट किया जाए और किसी अन्य दशा में वह मूल्य अभिप्रेत है जिसका शेयर के धारक तथा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या विनिर्दिष्ट निगम के बीच करार हो, अथवा ऐसे करार के अभाव में जो न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाए ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट बाजार मूल्य वहां तत्काल दिया जाएगा जहां ऐसे मूल्य के बारे में कोई विवाद न हो अथवा जहां ऐसा मूल्य परस्पर तय हुआ हो; किन्तु जहां बाजार मूल्य के बारे में विवाद हो वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निगम द्वारा प्राक्कलित मूल्य तत्काल दिया जाएगा और अतिशेष, यदि कोई हो, उस तारीख से जब न्यायालय द्वारा बाजार मूल्य अवधारित हो, तीस दिन के भीतर दिया जाएगा ।

(5) यदि केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर उपधारा (2) के अधीन कोई निदेश न करे तो उस शेयर के अन्तरण के बारे में उपधारा (2) के उपबन्ध लागू न होंगे ।

(6) (क) जो कम्पनी इस धारा के उपबन्धों के उल्लघन में शेयरों का कोई अन्तरण करेगी वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगी ।

(ख) जहां कि किसी कम्पनी द्वारा इस धारा का उल्लंघन किया जाए वहां व्यतिक्रम करने वाली कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

विदेशी कम्पनियों के शेयरों के अन्तरण पर निर्बन्धन ।

108ग. (1) कोई निगम निकाय या एक ही प्रबन्ध के अधीन के निगम निकाय, जो कुल मिलाकर * * * किसी ऐसी विदेशी कम्पनी की जिसका भारत में स्थापित कारबार स्थान हो, साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य का दस प्रतिशत या अधिक धारण करता हो उस विदेशी कम्पनी में के कोई शेयर भारत के किसी नागरिक को या भारत में निगमित किसी निगम निकाय को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, अन्तरित न करेगा और ऐसा पूर्व अनुमोदन तब तक इंकार नहीं किया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसे अन्तरण से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(2) (क) जो कम्पनी इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में शेयरों का कोई अन्तरण करेगी वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगी ।

(ख) जहां कि किसी कम्पनी द्वारा इस धारा का उल्लंघन किया जाए वहां कम्पनी का प्रत्येक व्यतिक्रमी अधिकारी कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

(ग) प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जो कोई शेयर इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में अन्तरित या अर्जित करेगा, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो

सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय हो ।

अन्तरण को प्रभावी न करने का निदेश कम्पनी को देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

108घ. (1) जहां कि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि किसी शेयर या शेयर के ब्लाक के अन्तरण के परिणाम स्वरूप कम्पनी के नियन्त्रक हित में परिवर्तन होना सम्भाव्य है और ऐसा परिवर्तन कम्पनी के हित या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, वहां वह सरकार कम्पनी को निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे शेयर या शेयरों के ब्लाक के अन्तरण को प्रभावी न करें, तथा

(क) जहां कि ऐसे शेयर या शेयरों के ब्लाक का अन्तरण पहले ही रजिस्टर हो गया हो वहां अन्तरिती को या उसके नामनिर्देशिती और परोक्षी को उस शेयर या शेयरों के ब्लाक से संलग्न मतदान के या किन्हीं अन्य अधिकारों का प्रयोग न करने दे ;

(ख) जहां कि ऐसे शेयर या शेयरों के ब्लाक का अन्तरण रजिस्टर न हुआ हो वहां अन्तरक के किसी नामनिर्देशिती या परोक्षी को उस शयर या शेयरों के ब्लाक से संलग्न मतदान के या अन्य किन्हीं अधिकारों का प्रयोग न करने दे ।

(2) जहां कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश किया गया हो, वहां उसमें निर्दिष्ट शेयर या शेयरों का ब्लाक उस व्यक्ति को पुनः अन्तरित हो जाएगा जिससे वह अर्जित किया गया था और तब ऐसे शेयर या शेयरों के ब्लाक के अर्जन के लिये अन्तरिती द्वारा दी गई रकम उसे उस व्यक्ति द्वारा वापस कर दी जाएगी जिससे वह शेयर या शेयरों का ब्लाक उस अन्तरिती द्वारा अर्जित किया गया ।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट वापसी उपधारा (1) में निर्दिष्ट निदेश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर न की जाए तो केन्द्रीय सरकार वापसी के हकदार व्यक्ति के आवेदन पर आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि वह रकम वापस की जाए और ऐसा आदेश इस प्रकार प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो वह सिविल न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो ।

(4) जिस व्यक्ति का कोई शेयर या शेयरों का ब्लाक उपधारा (2) के अधीन पुनः अन्तरित हुआ है, वह उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्रतिदाय करने पर ऐसे मतदान के या अन्य अधिकारों का, जो ऐसे शेयर या शेयरों के ब्लाक से संलग्न हों, प्रयोग करने का पात्र होगा ।"

समय जिसके भीतर इंकार की सूचना दी जानी है ।

108ङ. धारा 108क में निर्दिष्ट किसी शेयर के अर्जन या धारा 108ग में निर्दिष्ट किसी शेयर के अन्तरण के लिए प्रस्थापना के केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन किए जाने के लिए की गई प्रत्येक प्रार्थना उस दशा के सिवाय मंजूर की गई उपधारित की जाएगी जिसमें ऐसी प्रार्थना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार उस व्यक्ति को, जिसने प्रार्थना की थी, यह सूचित करती है कि प्रार्थित अनुमोदन नहीं दिया जा सकता है ।

धारा 108क, 108ख या 108ग के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

108च. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 108क, धारा 108ख या धारा 108ग के उपबन्धों के उल्लंघन में अर्जित किसी शेयर के सम्बन्ध में मतदान के या अन्य अधिकार प्रयोग करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।

(2) यदि कोई कम्पनी धारा 108क, धारा-108ख या धारा 108ग के उपबन्धों के उल्लंघन में अर्जित किसी शेयर के सम्बन्ध में मतदान के या अन्य अधिकार को प्रभावी

करेगी तो वह कम्पनी और उस कम्पनी का प्रत्येक व्यतिक्रमी अधिकारी जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

धारा 108क से 108घ तक की किसी बात का सरकारी कम्पनी आदि को लागू न होना ।

108छ. धारा 108क, धारा 108ख, धारा 108ग या धारा 108घ की कोई बात किसी ऐसे शेयर को लागू न होगी जो निम्नलिखित को या उसके द्वारा अन्तरित किया जाए :—

(क) कोई कम्पनी जिसकी शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केन्द्रीय सरकार द्वारा धृत है ;

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम (जो कम्पनी नहीं है);

(ग) धारा 4क द्वारा उसके अधीन विनिर्दिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था ।

धारा 108क से लेकर 108घ तक में "शेयरों" या 'शेयर पूंजी" के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन ।

108ज. धारा 108क, 108ख, 108ग और 108घ में, यथास्थिति, शेयरों या शेयर पूंजी के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे किसी उपक्रम का जिसे एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अध्याय 3 के भाग क के उपबन्ध लागू होते हैं, स्वामित्व रखने वाले निगम निकाय के, क्रमश: शेयरों या शेयर पूंजी के प्रति निर्देश हैं ।"

धारा 141 का संशोधन ।

13. (1) मूल अधिनियम की धारा 141 में जहां भी "न्यायलय" शब्द आया है उसके स्थान पर "कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का प्रभाव धारा 141 के अधीन न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश पर या उस धारा में विनिर्दिष्ट किसी विषय से सम्बन्धित किसी ऐसी कार्यवाही पर जो कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के समय लम्बित हो, नहीं पड़ेगा ।

धारा 186 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 186 की उपधारा (1) में जहां भी "न्यायालय" शब्द आया है उसके स्थान पर "कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 187ग और 187घ का अन्त:स्थापन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 187ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

किसी शेयर में फायदाप्रद हित न रखने वाले व्यक्तियों द्वारा घोषणा ।

"187ग. (1) धारा 150, धारा 153ख, या धारा 187ख में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसका नाम कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के समय या तत्पश्चात् किसी समय कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में कम्पनी के शेयर के धारक के रूप में दर्ज हो किन्तु जो ऐसे शेयर में फायदाप्रद हित न रखता हो, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए कम्पनी के प्रति एक घोषणा करेगा, जिसमें उस व्यक्ति का नाम और अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी जो उस शेयर में फायदाप्रद हित रखता हो ।

(2) इस अधिनियम में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो किसी कम्पनी के किसी शेयर या शेयर वर्ग में फायदाप्रद हित रखता हो कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973, के प्रारम्भ से तीस दिन के भीतर अथवा उसके ऐसे फायदाग्राही स्वामी होने के पश्चात् तीस दिन के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, कम्पनी के प्रति एक घोषणा करेगा जिसमें अपने हित की प्रकृति, उस व्यक्ति की विशिष्टियां जिसके नाम के शेयर कम्पनी की पुस्तकों

में रजिस्ट्रीकृत हैं और अन्य ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट होंगी ।

(3) जब कभी ऐसे शेयरों में फायदाप्रद हित में परिवर्तन हो तो फायदाग्राही स्वामी ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर कम्पनी के प्रति घोषणा करेगा जो ऐसे प्ररूप में होगी और जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जिन्हें विहित किया जाए ।

(4) धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कि उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट घोषणा कम्पनी के प्रति की जाए वहां कम्पनी अपने सदस्यों के रिजस्टर में उस घोषणा का उल्लेख करेगी और घोषणा प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी घोषणाओं के बारे में एक विवरणी, विहित प्ररूप में, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी ।

(5) (क) यदि कोई व्यक्ति, जिससे उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपेक्षा है कि वह घोषणा करे, उचित प्रतिहेतु के बिना ऐसा करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से जो व्यतिक्रम जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(ख) यदि कम्पनी इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहेगी तो कम्पनी और उसका प्रत्येक व्यतिक्रमी अधिकारी जुर्माने से, जो ऐसा व्यतिक्रम जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(6) किसी शेयर के सम्बन्ध में उसके दृश्यमान स्वामी द्वारा सृजित किया गया, निष्पादित, किया गया कोई ऐसा भार, वचनपत्र या अन्य सांपार्श्विक करार या किसी शेयर के दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया कोई आंडमान जिसकी बाबत घोषणा किया जाना इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन अपेक्षित हो किन्तु घोषणा की न गई हो, न फायदाग्राही स्वामीद्वारा, न उससे व्ययुत्पन्न अधिकारों के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रवर्तनीय होगा ।

(7) इस धारा की कोई बात किसी कम्पनी की धारा 206 के उपबन्धों के अनुसार लाभांश देने की बाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले नहीं समझी जाएगी और ऐसा संदाय किए जाने पर, वह बाध्यता उन्मोचित हो जाएगी ।

कुछ दशाओं में शेयरों के फायदाग्राही स्वामित्व का अन्वेषण ।

187घ. जहां कि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त कारण हैं वहां वह एक या अधिक निरीक्षकों को इसलिये नियुक्त कर सकेगी कि वे अन्वेषण करके रिपोर्ट दें कि किसी शेयर के बारे में धारा 187ग के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है या नहीं और तब धारा 247 के उपबन्ध ऐसे अन्वेषण को यथाशक्य ऐसा लागू होंगे मानो वह उस धारा के अधीन आदिष्ट अन्वेषण हो ।"।

धारा 192 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (4) में,—

(i) खण्ड (ङङ) की मद संख्या (ii) में "धारा 294" शब्द और अंकों के स्थान पर "धारा 294 या धारा 294कक" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) धारा 294 के अधीन नियुक्त एकमात्र विक्रय अभिकर्ता की या धारा 294कक के अधीन नियुक्त एकमात्र विक्रय अभिकर्ता

या अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों की प्रतियों को ;" ।

नई धारा 204क का अन्तःस्थापन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 204 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल की किसी पद पर नियुक्ति पर निर्बन्धन ।

"204क. (1) कोई कम्पनी—

(क) साधारण अधिवेशन में कम्पनी के, तथा

(ख) केन्द्रीय सरकार के,

पूर्व अनुमोदन के बिना, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ से पांच वर्ष की कालावधि के दौरान सचिव, परामर्शी या सलाहकार के रूप में या किसी भी अन्य पद पर चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो,

(i) किसी ऐसे व्यष्टि, फर्म या .गम के निकाय को, जो 15 अगस्त, 1960 के पश्चात् किसी भी समय उस कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल का पद धारण करता था ; अथवा

(ii) पूर्वोक्त प्रबन्ध अभिकर्त्ता या सचिव तथा कोषपाल का सहयोगी था ;

नियुक्त नहीं करेगी ;

परन्तु जहां ऐसी कोई नियुक्ति कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ से पूर्व की गई हो वहां ऐसी कोई नियुक्ति ऐसे प्रारम्भ से छह मास की कालावधि के पश्चात् कम्पनी द्वारा तब तक जारी नहीं रखी जाएगी जब तक कि ऐसी नियुक्ति कम्पनी द्वारा साधारण अधिवेशन में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त कालावधि के अवसान के पूर्व अनुमोदित न कर दी जाए ।

(2) (क) जहां—

(i) कोई व्यष्टि, फर्म या निगम निकाय जो 15 अगस्त, 1960 के पश्चात् किसी भी समय कम्पनी के प्रबन्ध अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल के रूप में पद धारण करता था, अथवा

(ii) पूर्वोक्त प्रबन्ध अभिकर्ता या सचिव तथा कोषपाल का सहयोगी था,

उस कम्पनी द्वारा 3 अप्रैल, 1970 के पूर्वगामी पांच वर्ष की कालावधि के दौरान किसी समय या उस तारीख के पश्चात् किसी समय उसके सचिव, परामर्शी या सलाहकार के रूप में या उसके अधीन किसी अन्य पद पर, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो नियुक्त किया गया हो वहां यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसा करने के लिए उचित कारण है तो वह कम्पनी से अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे व्यष्टि, फर्म या निगम निकाय के सचिव, परामर्शी या सलाहकार के रूप में या ऐसे अन्य पद के धारक के रूप में नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तों के बारे में ऐसी जानकारी, जो वह कम्पनी आवश्यक समझे, वह अवधारित करने के लिए दे कि वे निबन्धन और शर्तें कम्पनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं या नहीं ;

(ख) यदि कम्पनी कोई ऐसी जानकारी देने से इन्कार करे या देने में उपेक्षा करे तो केन्द्रीय सरकार किसी सक्षम व्यक्ति को खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर नियुक्ति निबन्धनों और शर्तों के विषय में अन्वेषण करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त कर सकेगी

तथा धारा 240क के उपबन्ध ऐसे अन्वेषण को यावतशक्य ऐसे लागू होंगे जैसे वे इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन किए गए किसी अन्य अन्वेषण को लागू होते हैं ;

(ग) यदि, यथास्थिति, कम्पनी द्वारा दी गई उस जानकारी या खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट को देखने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की राय हो कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट पदों में से किसी पर नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें कम्पनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है तो वह आदेश द्वारा उन निबन्धनों और शर्तों में ऐसे परिवर्तन कर सकेगी जिन से नियुक्ति के उन निबन्धनों और शर्तों का कम्पनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालना समाप्त हो जाए ;

(घ) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वोक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियुक्ति का विनियमन उस सरकार द्वारा यथा परिवर्तित निबन्धनों और शर्तों द्वारा होगा';

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नियुक्ति" पद के अन्तर्गत पुनर्नियुक्ति, नियोजन और पुनर्नियोजन भी है ।"।

धारा 205 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 205 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ से ही किसी वित्तीय वर्ष के लिए कोई भी लाभांश कम्पनी के उस वर्ष के लिए उन लाभों में से, जो उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अवक्षयण के लिए उपबन्ध करने के पश्चात् निकलते हैं सिवाय उस वर्ष के लिए उसके लाभों की दस प्रतिशत से अधिक ऐसी प्रतिशतता जो विहित की जाए, कम्पनी की आरक्षितियों में अन्तरित करने के पश्चात्, न तो घोषित किया जाएगा और न दिया जाएगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात कम्पनी द्वारा अपने लाभों की कोई उच्चतर प्रतिशतता के आरक्षितियों में, ऐसे नियमों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, स्वेच्छया अन्तरण को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी ।"

नई धारा 205क और 205ख का अन्त:स्थापन।

16. मूल अधिनियम की धारा 205 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

असंदत्त लाभांश का विशेष लाभांश खाते को अन्तरित किया जाना।

"205क (1) जहां कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पश्चात् किसी कम्पनी द्वारा कोई लाभांश घोषित किया जाता है किन्तु संदत्त नही किया गया है या लाभांश के संदाय के लिए हकदार किसी शेयर धारक को, घोषणा की तारीख से बयालीस दिन के भीतर, उसके बारे में अधिपत्र नहीं भेजा गया है वहां कम्पनी बयालीस दिन की उक्त अवधि समाप्त होने की तारीख से सात दिन के भीतर लाभांश की वह कुल रकम जो असंदत्त रहती है या जिसके सम्बन्ध में कोई लाभांश अधिपत्र बयालीस दिन की उक्त अवधि के भीतर नहीं भेजा गया है, कम्पनी द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में उस निमित्त खोले जाने वाले विशेष खाते में, जो" . . . . . कम्पनी लिमिटेड / कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का असंदत्त लाभांश खाता" कहलाएगा, अन्तरित करेगी।

(2) जहां की कम्पनी द्वारा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ से पूर्व घोषित सम्पूर्ण लाभांश या उसका कोई भाग ऐसे प्रारम्भ के समय असंदत्त बना रहता है, वहां कम्पनी ऐसे प्रारम्भ से छह माह की कालावधि के भीतर उस असंदत्त रकम को उपधारा (1) में निर्दिष्ट खाते में अन्तरित कर देगी।

(3) जहां की किसी वर्ष में लाभों की अपर्याप्तता या लाभ न होने के कारण कम्पनी की स्थापना हो कि कम्पनी द्वारा पूर्व वर्षों में उपार्जित और उसके द्वारा आरक्षितियों में अंतरित संचित लाभों में से लाभांश घोषित किया जाए वहा लाभांश की ऐसी घोषणा उन नियमों के अनुसार ही की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, अन्यथा नहीं, और जहां कि ऐसी कोई घोषणा ऐसे नियमों के अनुसार न हो वहां वह घोषणा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी ।

* * * *

(4) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल रकम को या उसके किसी भाग को सम्प्रवर्त कम्पनी के असंदत्त लाभांश खाते में अन्तरित करने में व्यतिक्रम किया जाए तो कम्पनी उस व्यतिक्रम की तारीख से बाहर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज उतनी रकम पर देगी जो उक्त खाते में अन्तरित न की गई हो। और ऐसी रकम पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज कम्पनी के सदस्यों के फायदे के लिए असंदत्त रहने वाली रकम के अनुपात में प्रयोग में लाया जाएगा ।

(5) कोई धनराशि जो किस कम्पनी के असंदत्त लाभांश खाते में इस धारा के अनुसरण में अन्तरित की गई हो और ऐसे अन्तरण का तारीख से तीन वर्ष की कालावधि पर्यन्त न दी गई अथवा अदावाकृत रहे तो वह केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में कम्पनी द्वारा अन्तरित की जाएगी, किन्तु साधारण राजस्व खाते में इस प्रकार अन्तरित किसी धनराशि के सम्बन्ध में दावा उस व्यक्ति द्वारा, जिसे धन देय हो, केन्द्रीय सरकार से किया जा सकेगा और उसे इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो साधारण राजस्व खाते में अन्तरण न हुआ हो और यदि दावे को चुकाने के लिए कोई आदेश हो तो वह राजस्व की वापसी का आदेश माना जाएगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में उपधारा (5) के अधीन न दिया गया या अदावाकृत लाभांश का अन्तरण करते समय कम्पनी उस अधिकारी को, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्ति करे, विहित प्ररूप में एक विवरण देगी जिसमें ऐसे अन्तरण में सम्मिलित सब धनराशियों की बाबत उन की प्रकृति, धनराशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के नाम तथा उनके अन्तिम ज्ञात पते, वह रकम जिसका प्रत्येक व्यक्ति हकदार हो, तथा उस पर उसके दावे की प्रकृति, तथा अन्य ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दी जाएंगी ।

(7) कम्पनी अपने द्वारा केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में अन्तरित किसी धनराशि के लिये भारतीय रिजर्व बैंक से रसीद पाने की हकदार होगी और उस रसीद का प्रभाव कम्पनी को उस धनराशि की बाबत पूर्णतः उन्मोचित करने का होगा ।

(8) यदि कम्पनी इस धारा की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहेगी तो कम्पनी और कम्पनी का हर अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है, जुर्माने से जो असफलता जारी रहने के दौरान के प्रत्येक दिन के लिये पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा ।

न दिए गए या अदावाकृत लाभांश का दिया जाना ।

205ख. केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते में धारा 205क की उपधारा (5) के अधीन अन्तरित किसी धनराशि का हकदार होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से दावाकृत धनराशि दिए जाने के आदेश के लिये आवेदन कर सकेगा ; और यदि केन्द्रीय सरकार का, कम्पनी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र से या अन्यथा समाधान हो जाए कि वह व्यक्ति बादा की गई समस्त धनराशि का या उसके किसी भाग का हकदार है तो

वह आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को देय धनराशि उससे ऐसी प्रतिभूति लेने के पश्चात् जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे उससे दी जाए ।"

धारा 209 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (4) में,—

(i) कोष्ठक और अक्षर (क) का लोप कर दिया जाएगा ;

(ii) खण्ड (ख), (ग) और (घ) का लोप कर दिया जाएगा ।

नई धारा 209क का अन्तःस्थापन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 209 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः-स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कम्पनियों की लेखा-बहियों आदि का निरीक्षण ।

"209क. (1) प्रत्येक कम्पनी की लेखा बहियां तथा कागजपत्र कारबार के घण्टों के दौरान :—

(i) रजिस्ट्रार द्वारा,

(ii) सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए,

निरीक्षण के लिये खुले होंगे :

परन्तु ऐसा निरीक्षण कम्पनी या उसके किसी अधिकारी को कोई पूर्व सूचना दिए बिना किया जा सकेगा ।

(2) कम्पनी के प्रत्येक निदेशक, अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने वाले व्यक्ति के समक्ष कम्पनी की सब ऐसी लेखा-बहियां और अन्य पुस्तक तथा कागज-पत्र, जो उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, पेश करे और उसे कम्पनी के कारबार से संबंधित कोई ऐसा विवरण जानकारी या स्पष्टीकरण, जिसकी उक्त व्यक्ति उससे अपेक्षा करे, ऐसे समय के भीतर और स्थान, पर, जो वह विनिर्दिष्ट करे, दे ।

(3) कम्पनी के प्रत्येक निदेशक, अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह भी कर्त्तव्य होगा कि इस धारा के अधीन निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को निरीक्षण के सम्बन्ध में वह सब सहायता दे जिसे देने की कम्पनी से उचित रूप से आशा की जाए ।

(4) इस धारा के अधीन निरीक्षण करने वाला व्यक्ति निरीक्षण के दौरान—

(i) लेखा-बहियों और अन्य पुस्तकों तथा कागजपत्रों की प्रतिलिपियां तैयार कर या करा सकेगा, अथवा

(ii) निरीक्षण किए जाने के प्रतीकस्वरूप उन पर कोई पहचान चिह्न लगा या लगवा सकेगा ;

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी संविदा में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी यह है कि इस धारा के अधीन निरीक्षण करने वाले किसी व्यक्ति में निम्नलिखित विषयों में वे सब शक्तियां निहित होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में किसी बात का विचारण करते समय निहित होती है, अर्थात् :—

1908 का 5

(i) लेखा-बहियों और अन्य दस्तावेजों का ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर जो उस व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, प्रष्टीकरण और पेश किया जाना ;

(ii) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा उनकी शपथ पर परीक्षा करना ;

(iii) कम्पनी की पुस्तकों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों का किसी स्थान पर निरीक्षण ।

(6) जहां कि कम्पनी की लेखा-बहियों और अन्य पुस्तकों तथा कागज-पत्रों का निरीक्षण इस धारा के अधीन किया गया हो वहां निरीक्षण करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देगा ।

(7) इस धारा के अधीन निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत किसी अधिकारी को वे सब शक्तियां प्राप्त होंगी जो रजिस्ट्रार को जांच करने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन होती है ।

(8) यदि इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाए कम्पनी का हर अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का न होगा, तथा एक वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से भी, दण्डनीय होगी ।

(9) जहां कि कम्पनी का निदेशन या अन्य अधिकारी इस धारा के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो वहां यह समझा जाएगा कि उसके इस प्रकार दोषसिद्ध किए जाने की तारीख को ओर से उसने उस रूप में पद रक्त कर दिया है और पद इस प्रकार रिक्त कर देने पर वह उस तारीख से पांच वर्ष पर्यन्त किसी भी कम्पनी में ऐसा कोई पद धारण करने के लिए निरर्हित होगा ।"

धारा 217 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 217 में उपधारा, (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) (क) बोर्ड की रिपोर्ट में एक कथन भी सम्मिलित होगा जिसमें कम्पनी के प्रत्येक ऐसे कर्मचारी का नाम दिया जाएगा जिसका—

(i) यदि वह पूरे वित्तीय वर्ष पर्यन्त नियोजित रहने की दशा में उस वर्ष के लिए कुल मिला कर पारिश्रमिक कम से कम 36 हजार रूपये था ;

(ii) वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए नियोजित रहने की दशा में उस वर्ष के किसी भाग के लिए पारिश्रमिक ऐसी दर से जो कुल मिलाकर तीन हजार रुपये प्रतिमाह से कम न हो, था ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विवरण में निम्नलिखित थी उपदर्शित होगा, अर्थात्:—

(i) क्या ऐसा कर्मचारी कम्पनी के किसी निदेशक या प्रबन्धक का नातेदार है और यदि हां, तो ऐसे निदेशक का नाम, और

(ii) अन्य ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

स्पष्टीकरण—"पारिश्रमिक" का वही अर्थ है जो धारा 198 के स्पष्टीकरण में दिया गया है ।

धारा 224 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 224 में,—

(i) उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तु क जोड़ा जाएगा, अर्थात्

"परन्तु किसी कम्पनी द्वारा किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन में संपरीक्षक या संपरीक्षकों कि किसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति किए जाने से पूर्व इस प्रकार

नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्थापित संपरीक्षक या संपरीक्षकों से इस आशय का एक लिखित प्रमाणपत्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा कि नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति यदि की जाती है तो, उपधारा (1ख) और (1ग) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार होगी ।";

(ii) उपधारा (1क) में "उस दशा में सिवाय जिसमें कि वह निवृत्तमान संपरीक्षक" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ।

(iii) उपधारा (1क) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी :—

"(1ख) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के ठीक आगामी वित्तीय वर्ष से ही कोई भी कम्पनी किसी व्यक्ति या फर्म को अपने संपरीक्षक के रूप में तब नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं करेगी जब ऐसा व्यक्ति या फर्म ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तारीख को कम्पनी की विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक कम्पनियों के संपरीक्षकों के रूप में नियुक्ति धारण करती हो:

परन्तु संपरीक्षकों की फर्म की दशा में "कम्पनियों की निर्दिष्ट संख्या का अर्थ फर्म के प्रति भागीदार के लिए कम्पनियों की विनिर्दिष्ट संख्या, लगाया जाएगा ।

परन्तु यह और कि जहां फर्म का कोई भागीदार किसी अन्य संपरीक्षक फर्म या फर्मों का भागीदार भी है वहां कम्पनियों की वह संख्या जो सभी फर्म द्वारा मिलकर ऐसे भागीदार के सम्बन्ध में हिसाब में ली जा सकेगी, योग में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(1ग) उपधारा (1ख) के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए किसी कम्पनी को समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक कम्पनियों के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति धारण करने वाला व्यक्ति या फर्म ऐसे प्रारम्भ से साठ दिन के भीतर उस कम्पनी या कम्पनियों को जिसके संपरीक्षक के रूप के पुनर्नियुक्त होने के लिए वह रजामन्द नहीं है, ऐसे प्रारम्भ से ठीक आगामी वित्तीय वर्ष से संपरीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्त किए जाने के लिए अपनी गैर-रजामन्दी सूचित करेगा । और साथ ही साथ रजिस्ट्रार को उन कम्पनियों के नाम सूचित करेगा जिनके संपरीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्त किए जाने के लिए वह रजामन्द है तथा उसमें विनिर्दिष्ट प्रत्येक कम्पनी को उस सुचना की एक प्रति भेजेगा ।

"**स्पष्टीकरण** 1— उपधारा (1ख) और (1ग) के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट संख्या से"—

(क) अनेक कम्पनियों के जिनमें से प्रत्येक की समादत्त शेयर पूंजी पच्चीस लाख रूपये से कम है संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति धारण करने वाले व्यक्ति या फर्म की दशा में, ऐसी बीस कम्पनियां अभिप्रेत हैं ;

(ख) किसी अन्य दशा में बीस कम्पनियां अभिप्रेत हैं जिनमें से अधिक से अधिक दस कम्पनियां ऐसी कम्पनियां होंगी जिनमें से प्रत्येक की समादत्त शेयर पूंजी पच्चीस लाख रुपये या अधिक हो ।

स्पष्टीकरण—2– विनिर्दिष्ट संख्या की संगणना करने में उन कम्पनियों की संख्या को हिसाब में लिया जाएगा जिनके बारे में या जिनके किसी भाग के बारे में कोई व्यक्ति या फर्म, अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के साथ संपरीक्षक के रूप में नियुक्त की गई है ।" ;

(iV) उपधारा (2) में "किसी भी वार्षिक साधारण अधिवेशन में", शब्दों के स्थान पर "उपधारा (1ख) और धारा 224क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कीसी भी वार्षिक साधारण अधिवेशन में", शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

24. मूल अधिनियम की धारा 224 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नई धारा 224क का अन्त:स्थापन ।

"224क. (1) किसी ऐसी कम्पनी की दशा में जिसमें अभिदत्त शेयर पूंजी का पच्चीस से अन्यून प्रतिशत, चाहे अकेले या किसी के साथ मिलकर निम्नलिखित द्वारा धृत हो,—

कुछ दिशाओ में समपरीक्षक का कम्पनी के विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन के बिना नियुक्त न किया जाना।

(क) कोई लोक वित्तीय संस्था या कोई सरकारी कम्पनी या केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार, अथवा

(ख) किसी प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई वित्तीय या अन्य संस्था जिसमें अभिदत्त शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धृत हो, अथवा–

(ग) कोई राष्ट्रीय कृत बैंक या साधारण बीमा कारबार करने वाली बीमा कम्पनी,

प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन में संपरीक्षक या संपरीक्षकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्त विशेष संकल्प द्वारा की जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कम्पनी अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन में संपरीक्षक या संपरीक्षकों को नियुक्ति करने का कोई विशेष संकल्प पारित नहीं करती है या पारित करने में लोप करती है, वहां यह समझा जाएगा कि कोई भी संपरीक्षक, कम्पनी द्वारा उसके वार्षिक साधारण अधिवेशन में नियुक्त नहीं किया गया था और तदुपरि धारा 224 की उपधारा (3) के उपबन्ध ऐसी कम्पनी के सम्बन्ध में लागू हो जाएगें ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनो के लिए,—

(क) "साधारण बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो उसे साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 में दिया गया है । 1971 का 17

(ख) "राष्ट्रीय बैंक" से बैंककार कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 में यथापरिभाषित पत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत हैं ।" 1970 का 15

25. मूल अधिनियम की धारा 233ख में,—

धारा 233ख का संशोधन

(i) उपधारा (1) में, "जो या तो" शब्दों से आरम्भ होकर "जिसकी विहित अर्हताएं हैं" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"जो लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अर्थ में लागत लेखापाल है : 1959 का 23

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अर्थ में लागत लेखापाल साधारणत: कम्पनियों की लागत लेखापाल की संपरीक्षा करने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उस अवधि के लिए, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट

की जाए, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अधिनियम, के अर्थ में ऐसा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भी जो विहित अर्हताएं रखता है, कम्पनियों के लागत लेखा की संपरीक्षा कर सकेगा और तब विहित अर्हताएं रखने वाला चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट, कम्पनी के लागत लेखा की संपरीक्षा करने के लिये नियुक्त किया जा सकेगा ।";

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) इस धारा के अधीन संपरीक्षक कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा ।"

(iii) उपधारा (4) में "कम्पनी विधि बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5)(क) धारा 226 की उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति कम्पनी के लागत लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा;

(ख) कम्पनी के संपरीक्षक के रूप में धारा 224 के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति उसी कम्पनी के लागत लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए नियुक्त या पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा ;

(ग) यदि कम्पनी के लागत लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति के पश्चात् इस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन हो जाता है तो वह उस तारीख को और से जिससे वह इस प्रकार निरर्हताओं के अध्यधीन हो जाए उस कम्पनी के लागत लेखाओं की संपरीक्षा करना बन्द कर देगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर यह कम्पनी का कर्तव्य होगा कि कम्पनी की लागत लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए नियुक्त व्यक्ति सभी सुविधाएं और सहायता दे ।

(7) उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कम्पनी केन्द्रीय सरकार को उस रिपोर्ट में दिए गए प्रत्येक आरक्षक या विशेषक खण्ड के बारे में पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण देगी ।

(8) यदि उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर तथा कम्पनी द्वारा उपधारा (7) के अधीन दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की राय है कि कोई अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण आवश्यक है तो वह सरकार ऐसी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकेगी और तब कम्पनी वह जानकारी या स्पष्टीकरण

ऐसे समय के भीतर देगी जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(9) उपधारा (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की तथा कम्पनी द्वारा उपधारा (6) और उपधारा (7) के अधीन दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार रिपोर्ट की इस अधिनियम के या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अनुसार ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे ।

(10) केन्द्रीय सरकार उस कम्पनी के जिसके लागत लेखाओं की संपरीक्षा इस धारा के अधीन की गई हों निदेश दे सकेगी कि वह ऐसी रिपोर्ट दिए जाने के पश्चात् पहली बार किए जाने वाले वार्षिक साधारण अधिवेशन की सूचना के साथ उक्त सम्पूर्ण रिपोर्ट या उसका वह भाग जो वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे सदस्यों में परिचालित करे ।

(11) यदि इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाए तो कम्पनी जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगी और कम्पनी का प्रत्येक व्यतिक्रमी अधिकारी कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।" ।

धारा 269 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 269 में,—

(i) उपधारा (1) में (जिसके अन्तर्गत उसका परन्तुक भी है) जहां भी "पहली बार" शब्द आए हैं उनका लोप कर दिया जाएगा ;

(ii) उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्–

"स्पष्टीकरण– इस उपधारा में तथा उपधारा (3) और (5) में 'नियुक्ति' के अन्तर्गत पुनर्नियुक्ति भी है और 'पूर्णकालिक' निदेशक के अन्तर्गत कम्पनी के पूर्णकालिक नियोजन में का निदेशक भी है ।"

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अतःस्थापित की जाएगी अर्थात्, :–

"(3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन तक नहीं देगी जब तक उसका यह समाधान न हो जाए कि –

(क) प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक रखने कम्पनी के हित में हैं ;

(ख) कम्पनी का प्रस्थापित प्रबन्ध नदेशक या पूर्णकालिक निदेशक उसकी राय में इस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं या ऐसे व्यक्ति की प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति लोकहित के विरुद्ध नहीं हैं, तथा

(ग) कम्पनी के प्रस्थापित प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक की ऐसी नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें उचित हैं।

(4) उपधारा (1) में के अधीन अनुमोदन देते समय केन्द्रीय सरकार, यदि उसकी यह राय हो कि कम्पनी के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो नियुक्ति के लिए अनुमोदन उस कालावधि से कम की कालावधि के लिए दे सकेगी जिसके लिए उस कम्पनी द्वारा उस व्यक्ति की नियुक्ति की प्रस्थापना हो ।

(5) यदि प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप किसी व्यक्ति की नियुक्ति अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा न किया जाए तो इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ऐसे प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में पद उस तारीख को रिक्त कर देगा जिसको केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय कम्पनी को संसूचित किया जाता है और यदि वह ऐसा न करे या करने में असफल रहे तो वह जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह उस पद को रिक्त न करे या रिक्त करने में असफल रहे पांच सौ रुपए तक हो सकेगा दण्डनीय होगा ।"

नई धारा 294क का अन्तः-स्थापन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 294क के पश्चात निम्नलिखित धारा अतः-स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

कुछ दशाओं में एकमात्र विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिषेध करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

"294कक. (1) जहां कि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि किसी कोटि के जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए माल की मांग माल के उत्पादन या प्रदाय से अधिक और उस माल के लिए बाजार पैदा करने के लिए एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता न होगी वहां केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि ऐसे माल के विक्रय के लिए कम्पनी द्वारा एकमात्र अभिकर्ता उस कालावधि के लिए जो घोषणा में विनिर्दिष्ट की जाए नियुक्त नहीं किए जाएंगे ।

(2) कोई कम्पनी किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय को जिसक कम्पनी में सारवान हित है उस कम्पनी के एकमात्र विक्रय अभिकर्ता के रूप में तब तक नियुक्त नहीं करेगी जब तक केन्द्रीय सरकार ने ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन पहले ही न कर दिया हो ।

(3) पचास लाख रुपये या उस से अधिक की समादत्त शेयर पूंजी रखने वाली कोई कम्पनी किसी एकमात्र विक्रय अधिकर्ता की नियुक्ति कम्पनी के विशेष संकल्प द्वारा व्यक्त की गई सम्मति तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ही करेगी अन्यथा नहीं ।

(4) धारा 294 की उपधारा (5), (6) और (7) के उपबन्ध यथाशक्य कम्पनी के एकमात्र विक्रय या एकमात्र क्रय या खरीद अभिकर्ता को लागू होंगे ।

(5) इस धारा के अधीन अनुमोदन चाहने वाली कम्पनी ऐसी विशिष्टियां देगी जो विहित की जाएं ।

(6) जहां कि किसी एकमात्र विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति कम्पनी द्वारा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो तो तथा नियुक्ति ऐसी हो कि वह उपधारा (2), (3) और उपधारा (8) के उस नियुक्ति के समय प्रवृत्त होने की दशा में कम्पनी द्वारा पारित विशेष संकल्प के प्राधिकार पर ही और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ही की जा सकती हो वहां कम्पनी ऐसे प्रारम्भ के छह मास के भीतर ऐसा प्राधिकार और अनुमोदन प्राप्त करेगी; और यदि ऐसे प्राधिकार और अनुमोदन इस प्रकार प्राप्त न किए जाएं तो एकमात्र विक्रय अभिकर्ता की नियुक्ति ऐसे प्रारम्भ से छह मास के अवसान पर समाप्त हो जाएगी ।

(7) यदि कम्पनी अपने साधारण अधिवेशन में उपधारा (3) में निर्दिष्ट नियुक्ति का अनुमोदन न करे तो उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी वह नियुक्ति साधारण अधिवेशन की तारीख से निष्प्रभावी हो जाएगी ।

(8) इस धारा की उपधारा (1) के उपबन्धों को छोड़कर अन्य उपबन्ध कम्पनी की ओर से माल के क्रय या खरीद के लिए एकमात्र अभिकर्ता की कम्पनी द्वारा नियुक्ति को यावतशक्य लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा में,—

(क) "नियुक्ति" के अन्तर्गत "पुर्नानियुक्ति" भी है ।

(ख) "सारवान हित" से,—

(I) किसी व्यष्टि के सम्बन्ध में अभिप्रेत है उस व्यष्टि द्वारा या उसके नातेदारों में से किसी के द्वारा अकेले या सब मिलकर धारित कम्पनी के ऐसे शेयरों का फायदाप्रद हित जिस पर समादत्त कुल रकम पांच लाख रुपए या कम्पनी की समादत्त पूंजी के पांच प्रतिशत से दोनों में जो भी कम हो, अधिक हो ;

(II) फर्म के सम्बन्ध में अभिप्रेत है फर्म के एक या अधिक भागीदारों या ऐसे भागीदारों के किसी नातेदार द्वारा चाहे अकेले या सब मिलकर कम्पनी के ऐसे शेयरों में धारित फायदाप्रद हित जिस पर समादत्त कुल रकम पांच लाख रुपये या कम्पनी की समादत्त शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से, दोनों में जो भी कम हो, अधिक हो ;

(III) निगम निकाय के सम्बन्ध में अभिप्रेत है ऐसा निगम निकाय या उसका एक या अधिक निदेशक या ऐसे निदेशक के किसी नातेदार द्वारा चाहे अकेले या सब मिलकर कम्पनी के ऐसे शेयरों में धारित फायदाप्रद हित जिस पर समादत्त कुल रकम पांच लाख रुपए या कम्पनी की समादत्त शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से, दोनों में जो भी कम हो, अधिक हो ।" ।

धारा 297 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 297 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसी कम्पनी की दशा में जिसकी समादत्त शेयर पूंजी एक करोड़ रुपए से कम न हो ऐसी कोई संविदा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना न की जाएगी ।" ।

धारा 314 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 314 में,—

(I) उपधारा (1) में "प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता सचिव तथा कोषपाल" से प्रारम्भ होने वाले तथा "निदेशक प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव तथा कोषपाल अथवा प्रबन्धक" शब्दों से समाप्त होने वाले प्रभाग के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे :—

"प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्धक, बैंककार अथवा डिबेंचर के धारकों के लिए न्यासी के पद के सिवाय—

(क) कोई ऐसा लाभ पद या लाभ स्थान कम्पनी का कोई निदेशक, तथा

(ख) कुल पांच सौ या उस अधिक रुपये मासिक पारिश्रमिक वाला कोई लाभ पद या लाभ स्थान, ऐसे निदेशक का

कोई भागीदार या नातेदार, कोई फर्म जिसमें वह निदेशक या उस निदेशक का नातेदार भागीदार है, कोई प्राइवेट कम्पनी जिसका निदेशक या सदस्य वह निदेशक है और ऐसी प्राइवेट कम्पनी का कोई निदेशक या प्रबन्धक—

(ii) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी निदेशक या प्रबन्धक का कोई भागीदार या नातेदार ;

(ख) कोई फर्म जिसमें ऐसा निदेशक या प्रबन्धक या दोनों में से किसी का नातेदार, भागीदार है,

(ग) कोई प्राइवेट कम्पनी जिसका ऐसा निदेशक या प्रबन्धक या दोनों में से किसी का नातेदार निदेशक या सदस्य है,

कम्पनी में तीन हजार रुपए मासिक से अन्यून पारिश्रमिक वाला लाभ पद या लाभ स्थान कम्पनी के विशेष संकल्प द्वारा दी गई पूर्व सम्पत्ति से तथा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ही धारण करेगा अन्यथा नहीं :

परन्तु ऐसी दशा में जब कि किसी कम्पनी में कोई लाभ का पद किसी व्यक्ति द्वारा उस दशा में धारण या न किया जा सकता था जब कि उस लाभ के पद पर नियुक्ति या पुर्नानियुक्ति के समय यह धारा प्रवृत्त होती, कम्पनी, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ से छः मास को कालावधि के भीतर कम्पनी के साधारण अधिवेशन में उस व्यक्ति द्वारा वह लाभ का पद धारित किए जाने के लिए कम्पनी का अनुमोदन और केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगी ; "

(iii) उपधारा (2) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(ख) कम्पनी खंड (क) के अधीन उसे प्रति देय किसी धनराशि की वसूली को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किए बिना अधित्यक्त नहीं करेगी ।;"

(iv) उपधारा (2क) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2ख) यदि कोई पद या लाभ स्थान, यथास्थिति, उपधारा (1ख) या उसके परन्तुक के उपबन्धों के उल्लंघन में धृत हो तो सम्बन्धित निदेशक, भागीदार,नातेदार, फर्म, प्राइवेट कम्पनी या प्रबन्धक की बाबत यह समझा जाएगा कि उसके यथास्थिति उपधारा (1ख) या उसके परन्तुक में निर्दिष्ट कम्पनी के साधारण अधिवेशन की तारीख के ठीक बाद की तारीख से ही उस रूप में अपना पद रिक्त कर दिया है और वह उस कम्पनी को, प्राप्त पारिश्रमिक या उसके द्वारा ऐसे पद या लाभ स्थान के बारे में यथापर्वोक्त तारीख से ठीक पूर्ववर्ती अवधि के लिए उपभोग की गई

किसी परिलब्धि या प्रसुविधा का आर्थिक समतुल्य प्रतिदत्त करने का दायी होगा ।" ;

(v) उपधारा (3) में "उपधारा (1) के अर्थ के अन्दर" शब्दों के स्थान पर "इस धारा के अर्थ के अन्दर" शब्द रखे जाएंगे ;

(vi) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात:–

"(4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो कम्पनी में किसी लाभ के पद का धारक होते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 408 के अधीन अकम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाए ।" ।

* * * * * *

नई धारा 383क का अन्तःस्थापन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 383 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

कुछ कम्पनियों में सचिवों का होना

383क. (1) प्रत्येक कम्पनी जिसकी समादत्त शेयर पूंजी 25 लाख रुपए या अधिक **** हो एक पूर्णकालिक सचिव रखेगी ******* और जहां कि ऐसी कम्पनी के निदेशक बोर्ड में केवल दो निदेशक हों वहां उन दोनों में से कोई भी कम्पनी का सचिव न होगा ।

(2) जहां कि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 प्रारम्भ के समय,—

(क) कोई फर्म या निगम निकाय कम्पनी के सचिव के रूप में पद धारण कर रहा हो वहां ऐसी फर्म या निगम निकाय ऐसे प्रारम्भ से छः मास के भीतर उस कम्पनी के सचिव का पद रिक्त कर देगा ;

(ख) कोई व्यष्टि यदि एक से अधिक ऐसी कम्पनी के, जिसकी समादत्त शेयर पूंजी 25 लाख रुपए या अधिक है, सचिव के पद धारण किये हों तो वह ऐसे प्रारम्भ से छह मास की कालावधि के भीतर इस विकल्प का प्रयोग करेगा कि वह किसी कम्पनी का सचिव बने रहने का आशय रखता है और उस तारीख को और से सब अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में सचिव का पद रिक्त कर देगा ।

धारा 408 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 408 में,—

(i) उपधारा (1) में "दो से अनधिक व्यक्तियों को" के स्थान पर "उतने व्यक्तियों को जितनों के बारे में केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे कि वे कम्पनी या उसके शेयर धारकों के हित की या लोक हित की प्रभावी सुरक्षा के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, "दो से अनधिक व्यक्तियों को" के स्थान पर "उतने व्यक्तियों को जितनों के बारे में केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे कि वे कम्पनी या उसके शेयर धारकों के हित की या लोक हित की प्रभावी सुरक्षा के लिए आवश्यक है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(6) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसरण में, किसी व्यक्ति को किसी कम्पनी के निदेशक या अपर निदेशक के रूप में पद धारण

करने के लिए नियुक्त करे, वहां केन्द्रीय सरकार कम्पनी को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह उसके कार्यकलापों के सम्बन्ध में आवश्यक या समुचित समझे ।

(7) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसरण में निदेशकों या अपर निदेशकों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों से केन्द्रीय सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे कम्पनी के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करें ।"

धारा 591 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 591 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यह है कि जहां भारत से बाहर निगमित तथा भारत में स्थापित कार बार स्थान रखने वाली किसी कम्पनी की समादत्त पूंजी का (चाहे वह साधारण शेयर पूंजी हो या अधिमानी शेयर पूंजी या भागतः साधारण या भागतः अधिमानी शेयर पूंजी) पचास प्रतिशत से अन्यून भारत के एक या अधिक नागरिकों द्वारा अथवा भारत में निगमित एक या अधिक निगम निकायों द्वारा अथवा भारत में एक या अधिक नागरिकों और भारत में निगमित एक या अधिक निगम निकायों द्वारा अकेले या मिलकर धारित किया जाए वहां वह कम्पनी इस अधिनियम के उन उपबंधों का जो भारत में उसके द्वारा किए जाने वाले कारबार के संबंध में विहित किए जाएं ऐसे अनुपालन करेगी मानों वह भारत में निगमित कम्पनी हो ।"

धारा 600 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 600 की उपधारा (3) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ से ही, —

(i) धारा 159 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरणों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उनमें किए जायें भारत में कारबार का स्थापित स्थान रखने वाली विदेशी कम्पनी को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे भारत में निगमित कम्पनी को लागू होते हैं ;

(ii) धारा 209क और धारा 234 से लेकर 246 तक (जिनमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं, के उपबन्ध भारत में कारबार का स्थापित स्थान रखने वाली विदेशी कम्पनी के केवल भारतीय कारबार को, यावत्शक्य, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे भारत में निगमित कम्पनी को लागू होते हैं । " ।

धारा 616 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 616 में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :—

"(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम द्वारा निगमित ऐसा निगम निकाय जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे अपवादों, उपान्तरों, या अनुकूलनों के साथ जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किए जायें, "।

धारा 619 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 619 में, उपधारा (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु धारा 224 की उपधारा (1ख) और (1ग) में विनिर्दिष्ट सीमाएं इस उपधारा के अधीन संपरीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के संबंध में लागू होंगे ।" ।

नई धारा 619ख का अन्तः स्थापन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 619क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः-स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 619 के उपबन्धों का कतिपय मामलों को लागू होना ।

"619ख. धारा 619 के उपबंध उस कम्पनी को लागू होंगे जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत निम्नलिखित में से एक या अधिक द्वारा या उसके किसी समुच्चय द्वारा ऐसे धृत है मानों वह एक सरकारी कम्पनी है, अर्थात् —

(क) केन्द्रीय सरकार तथा एक या अधिक सरकारी कम्पनियां;

(ख) कोई राज्य सरकार या सरकारें तथा एक या अधिक सरकारी कम्पनियां;

(ग) केन्द्रीय सरकार, एक या अधिक राज्य सरकारें और एक या अधिक सरकारी कम्पनियां;

(घ) केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन एक या अधिक निगम;

(ङ) केन्द्रीय सरकार, एक या अधिक राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन एक या अधिक निगम;

(च) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन एक या अधिक निगम;

(छ) एक से अधिक सरकारी कम्पनी । " ।

धारा 637क का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 637 क में ,—

(i) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्द के, जहां कहीं भी वे आते हैं, स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खण्ड (क) और (ख) में " उस सरकार" शब्दों के पश्चात "या बोर्ड" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 637कक का अन्तःस्थापन ।

38. मूल अधिनियम की धारा 637 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः-स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

केन्द्रीय सरकार की पारिश्रमिक के सम्बन्ध में सीमा नियत करने की शक्ति ।

"637 कक. धारा 198, धारा 309 या धारा 637क में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, उस समय जब वह धारा 309, धारा 310, धारा 311 या धारा 387 के अधीन किसी नियुक्ति या किसी पारिश्रमिक को धारा 269 के अधीन अपना अनुमोदन प्रदान कर रही हो, यथास्थिति इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति का पारिश्रमिक, या इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर पारिश्रमिक, ऐसी

रकम पर या कम्पनी के लाभों के प्रतिशत पर, जैसा वह ठीक समझे, नियत कर सकेगी और पारिश्रमिक नियत करते समय केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित का ध्यान रखेगी —

(क) कम्पनी की वित्तीय स्थिति ;

(ख) संबद्ध व्यष्टि द्वारा किसी अन्य हैसियत में, जिसके अंतर्गत एकमात्र विक्रय अभिकर्ता के रूप में उसकी हैसियत है, प्राप्त किया गया पारिश्रमिक या कमीशन ;

(ग) उसके द्वारा किसी अन्य कम्पनी से प्राप्त किया गया पारिश्रमिक या कमीशन ;

(घ) संबंद्ध व्यष्टि की व्यवसायिक अर्हताएं और अनुभव;

(ङ) आय में असमानता को दूर करने से संबंधित लोक-नीति ।"

धारा 641 का संशोधन ।

39. मूल अधिनियम की धारा 641 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिवर्तन में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायगा । किन्तु परिवर्तन के ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

धारा 642 का संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 642 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

41. मूल अधिनियम की अनुसूची 12 के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची अन्त:- स्थापित की जायेगी, अर्थात् :— नई अनुसूची 13 का अन्त:स्थापन।

"अनुसूची 13

(धारा 108 ख देखिये)

भाग 1

1. वायुयान ।

2. वायु परिवहन ।

3. आयुध और गोला बारूद तथा रक्षा उपस्कर की सहबद्ध मदें ।

4. परमाणु ऊर्जा ।

5. कोयला और लिग्नाइट ।

6. लोहे और इस्पात की ढली और गढ़ी हुई भारी वस्तुएं ।

7. भारी विद्युत संयंत्र जिसके अंतर्गत द्रवचालित और वाष्पचालित टरबाइन हैं ।

8. लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए, खनन के लिए, मशीनी औजार विनिर्माण के लिए, और ऐसे अन्य बुनियादी उद्योगों के लिए, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अपेक्षित भारी संयंत्र और मशीनरी ।

9. लोहा और इस्पात ।

10. खनिज तेल ।

11. परमाणु ऊर्जा (नियंत्रण या उत्पादन और उपयोग) आदेश, 1953 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज ।

12. तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, मोलिब्डेनम और वुलफ्रेम का खनन और प्रसंस्करण ।

13. लौह अयस्क, मंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, जिप्सम, गंधक, स्वर्ण और हीरे का खनन ।

14. रेल परिवहन ।

15. पोत-निर्माण ।

16. टेलीफोन और टेलीफोन केबल, तार और बेतार साधित्र (रेडियो अभिग्राहित्रों को छोड़कर) ।

भाग 2

1. एलुमिनियम और अन्य अलौह धातुएं जो भाग 1 में सम्मिलित नहीं हैं ।

2. खनिज रियायत नियम, 1949 के नियम 3 में यथापरिभाषित "गौण खनिजों" के सिवाय सभी अन्य खनिज ।

3. ऐन्टीबायोटिक्स और अन्य आवश्यक औषधियां ।

4. रासायनिक उद्योगों जैसे कि औषधि, रंजक द्रव और प्लास्टिक के विनिर्माण में अपेक्षित आधारी और मध्यवर्ती उत्पाद ।

5. कोयले का कार्बनीकरण ।

6. रासायनिक मज्जा ।

7. लोह-मिश्र धातु और औजारी इस्पात ।

8. उर्वरक ।

9. मशीनी औजार ।

10. सड़क परिवहन ।

11. समुद्र परिवहन ।

12. संश्लिष्ट रबर ।" ।

1956 के अधिनियम सं० 42 की धारा 22 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

42. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

पब्लिक कम्पनियों की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से स्टाक एक्सचेंजों के इंकार के विरुद्ध अपील का अधिकार ।

"22. जहां कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज उसकी उपविधियों द्वारा उसे दी गई किसी शक्ति के अनुसरण में कार्य करते हुए, किसी पब्लिक कम्पनी की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से इंकार करे, वहां, वह कम्पनी इस बात की हकदार होगी कि उसे ऐसे इंकार के कारण दिए जाएं, तथा वह,—

(क) उस तारीख से जिसको ऐसे इंकार के कारण उसे दिए जाएं, पन्द्रह दिन के भीतर, अथवा

(ख) जहां स्टाक एक्सचेंज ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "विनिर्दिष्ट समय" कहा गया है) इस अनुज्ञा के लिए कि शयरों या डिबेन्चरों में व्यौहार स्टाक एक्सचेंज में होने लगे, आवेदन को निपटाने का लोप किया हो या उसमें असफल रहा हो वहां विनिर्दिष्ट समय के अवसान की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर या एक मास से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर, जिसे केन्द्रीय सरकार पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, अनुज्ञात करे,

केन्द्रीय सरकार को यथास्थिति ऐसे इंकार, लोप या असफलता के विरुद्ध अपील कर सकेगी और तदुपरि केन्द्रीय सरकार स्टाक एक्सचेंज को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्:—

(i) स्टाक एक्सचेंज के विनिश्चय को परिवर्तित या अपास्त कर सकेगी, अथवा

(ii) जहां स्टाक एक्सचेंज ने विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन का निपटारा करने का लोप किया हो या उसमें असफल रहा हो, वहां अनुज्ञा मंजूर या नामंजूर कर सकेगी,

तथा जहां केन्द्रीय सरकार मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के विनिश्चय को अपास्त करे या अनुज्ञा दे, वहां स्टाक एक्सचेंज केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुरूप कार्य करेगा ।" ।

1969 के अधिनियम, सं० 54 का संशोधन ।

43. एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में, धारा 2 के खण्ड (6) में, —

(i) उपखण्ड (3) (ग) में "कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 के अर्थ में" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपखण्ड (v) में "उक्त धारा 370 के अर्थ में" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(iii) उपखण्ड (vii) के पश्चात् किन्तु उदाहरण के पूर्व निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

"स्पष्टीकरण 1—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निगम निकायों स्वामित्वाधीन दो उपक्रमों को एक ही प्रबन्ध के अधीन समझा जएगा , —

(i) यदि ऐसा एक निगम निकाय दूसरे का नियंत्रण करता है या दोनों एक ही समुदाय या एक ही समुदाय के किसी संघटक के नियंत्रण के अधीन हैं; या

(ii) यदि ऐसे एक निगम निकाय का प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्धक दूसरे का प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्धक हो; या

(iii) यदि ऐसा एक निगम निकाय दूसरे के एक तिहाई से अन्यून साधारण शेयर धारण करता है या दूसरे के निदेशक बोर्ड की कुल सदस्यता के एक तिहाई से अन्यून की संरचना का नियंत्रण करता है ; या

(iv) यदि ऐसे एक निगम निकाय का एक या अधिक निदेशक (स्वतंत्र रूप से या ऐसे निदेशकों के नातेदारों के साथ) दूसरे के एक तिहाई निदेशक गठित करते हैं या उस दिन से जब यह प्रश्न आता है कि क्या ऐसे निगम निकाय एक ही प्रबन्ध के अधीन हैं, ठीक पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के भीतर किसी समय गठित करता था; या

(v) यदि एक समुदाय के एक ही व्यष्टि, जिसमें वह या वे (स्वयं या अपने नातेदारों के साथ) ऐसे एक निगम निकाय के एक तिहाई से अन्यून साधारण शेयर धारण कर रहे हों दूसरे में (स्वयं या अपने नातेदारों के साथ) एक तिहाई से अन्यून साधारण शेयर भी धारण करते हों; या

(vi) यदि एक समुदाय का एक ही निगम निकाय या अनेक निगम निकाय जो एक निगम निकाय में एक तिहाई से अन्यून साधारण शेयर धारण करते हों, अन्य में भी एक तिहाई से अन्यून साधारण शेयर धारण करते हों; या

(vii) यदि दोनों निगम निकायों में से प्रत्येक से सम्बद्ध किसी विषय के बारे में कुल शक्ति के एक तिहाई से अन्यून का प्रयोग या उसका नियंत्रण एक ही व्यष्टि द्वारा (स्वतंत्र रूप से या अपने नातेदार के साथ) या एक ही निगम निकायों द्वारा (स्वतंत्र रूप से या अपने समनुषंगियों के साथ) किया जाता हो; या

(Viii) यदि दोनों निगम निकायों में से प्रत्येक से सम्बद्ध किसी विषय के बारे में कुल मत शक्ति के एक तिहाई से अन्यून का प्रयोग या उसका नियंत्रण किसी समुदाय के एक ही व्यष्टि द्वारा या किसी समुदाय के एक ही निगम निकाय द्वारा या ऐसे व्यष्टि या व्यष्टियों और ऐसे एक या अधिक निगम निकायों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता हो; या

(ix) यदि ऐसे एक निगम निकाय के निदेशक दूसरे के एक या अधिक निदेशकों के निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के अभ्यस्त हैं या यदि दोनों निगम निकायों के निदेशक किसी व्यष्टि के, जो किसी समुदाय का हो अथवा नहीं, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के अभ्यस्त हैं।

स्पष्टीकरण 2—यदि कोई समुदाय किसी निगम निकाय का नियंत्रण करता है तो वह निगम निकाय और ऐसा प्रत्येक अन्य निगम निकाय जो उस समुदाय का संघटक है या जो उसके द्वारा नियंत्रित है, एक ही प्रबन्ध के अधीन समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 3— यदि एक ही प्रबन्ध के अधीन के दो या अधिक निगम निकाय, संकलित रूप में, किसी अन्य निगम निकाय की एक तिहाई साधारण शेयर पूंजी से अन्यून धारण करते हैं तो ऐसा अन्य निगम निकाय उसी प्रबन्ध के अधीन समझा जाएगा जिसके अधीन प्रथम वर्णित निगम निकाय हैं।

स्पष्टीकरण 4—यह अवधारित करने में कि क्या दो या अधिक निगम निकाय एक ही प्रबन्ध के अधीन हैं या नहीं, ऐसे निगम निकायों में लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।"।

परिशिष्ट एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये लोक सभा में प्रस्ताव

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का और संशोधन करने वाला विधेयक दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों, इस सभा से 30 अर्थात् :—

(1) श्री सैयद अहमद आगा
(2) श्री वेदव्रत वरुआ
(3) श्री एच० के० एल० भगत
(4) श्री सोमनाथ चटर्जी
(5) श्री त्रिदिव चौधरी
(6) श्री खेम चन्द भाई चावड़ा
(7) श्री सी० वित्ति बाबू
(8) श्री एस० आर० दामानी
(9) श्री सी० सी० देसाई
(10) श्री गंगाचरण दीक्षित
(11) श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
(12) श्री पोपटलाल एम० जोशी
(13) श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
(14) श्री बाबूराव जंगलूजी काले
(15) श्री जगन्नाथ मिश्र
(16) श्री सुरेन्द्र महन्ती
(17) श्री प्रियरंजन दास मुन्शी
(18) श्री डी० के० पंडा
(19) श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय
(20) श्री मधु दण्डवते
(21) श्री एच० एम० पटेल
(22) श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामराव
(23) श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
(24) श्री जगन्नाथ राव
(25) श्री विश्वनाथ राय
(26) श्री पी० एम० सईद
(27) श्री नवल किशोर शर्मा
(28) श्री राम रतन शर्मा

(29) श्री पी० रंगनाथ शिनाय

(30) श्री आर० के० सिन्हा

और राज्य सभा के 15 सदस्य ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष महोदय करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें ।"

परिशिष्ट दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि राज्य सभा कम्पनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियमन, 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और यह संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित 15 सदस्यों को नामित किया जाये :—

(1) श्री महावीर त्यागी
(2) श्री एम० के० मोहता
(3) श्री बी० टी० कुलकर्णी
(4) श्री जगदीश प्रसाद माथुर
(5) श्री हर्षदेव मालवीय
(6) श्री सलिल कुमार गांगुली
(7) डा० मुकुन्द राय व्यास
(8) श्री के० श्रीनिवास राव
(9) श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
(10) श्री हिम्मत सिंह
(11) श्री एस० एस० मरिस्वामी
(12) श्री देवदत्त पुरी
(13) श्रीमती सरस्वती प्रधान
(14) श्री हबीब तनवीर
(15) श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी ।"

परिशिष्ट तीन

एसोसिएशनों, संगठनों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए

1. मदुरा रामनाद चैम्बर आफ कामर्स, मदुराई ।
2. लवलाक एण्ड लीवज जूनियर क्वालीफाईड असिसटेंट्स एसोसियेशन, कलकत्ता ।
3. चार्टर्ड अकाऊन्टेंट्स एसोसिएशन फार नेशनलाईजेशन आफ आडिट प्रोफेशन एन्ड सर्विसेज, कलकत्ता ।
4. श्री जी० एन० गांगुली एण्ड अदर्स, चार्टर्ड अकाऊन्टेंट्स, द्वारा लवलाक एण्ड लीव्ज, कलकत्ता ।
5. श्री एस० के० गुप्त एण्ड अदर्स, चार्टर्ड अकाऊन्टेंट्स, एस० आर० बाटलीवाय एण्ड कम्पनी चार्टर्ड अकाऊंन्टेंट्स, कलकत्ता
6. श्री एस० आर० बाटलीवाय एण्ड कम्पनी इमप्लाईज यूनियन, कलकत्ता ।
7. लवलाक एण्ड लीव्ज इमप्लाईज नेशनल यूनियन, कलकत्ता ।
8. प्राईस वाटरहाऊस पीट एण्ड कम्पनी इमप्लाईज यूनियन, कलकत्ता ।
9. राय एण्ड राय इमप्लाईज यूनियन, कलकत्ता ।
10. जी० बासू एण्ड कम्पनी इमप्लाईज एसोसियेशन, कलकत्ता ।
11. श्री एम० एल० डागा एण्ड अदर्स, चार्टर्ड अकाऊंन्टेंट्स, द्वारा मैसर्स प्राइस वाटरहाउस पीट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता ।
12. दि कमेटी आफ पंगर पार्टनर्स आफ एस्टेब्लिश्ड आडिटिंग फर्मस, द्वारा एस० आर० बाटलीवाय एण्ड कम्पनी, कलकत्ता ।
13. इण्डियन मर्चेन्ट्स, चेम्बर, बम्बई ।
14. ए० एफ० फरगूसन एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स, बम्बई ।
15. एसोसिएशन आफ चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स, कलकत्ता ।
16. श्री एस० एन० सिंह, दि इण्डियन ला इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली ।
17. श्री एस० सत्यमूर्ति, मैथड्स एण्ड सिस्टम्स मैनेजमेंट कन्सलटेंट्स, इन्दौर ।
18. श्री जगन्नाथ गुप्त, दिल्ली ।
19. पंजाव, हरियाणा एण्ड दिल्ली चैम्बर, आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नई दिल्ली ।
20. श्री के० एम० मुकर्जी, कलकत्ता ।
21. एन० एम० रायजी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स, वम्बई ।
22. दि यंग चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स फोरम, कलकत्ता ।
23. दि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट आफ सेक्रेटरीज इण्डिया एसोसियेशन, कलकत्ता ।
24. नार्दर्न इण्डिया शेयर होल्डर्स एसोसियेशन, नई दिल्ली ।
25. बैस्ट बंगाल चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स इमप्लाईज एसोसियेशन, कलकता ।
26. श्री एस० एस० कोठारी, भूतपूर्व संसद् सदस्य, चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स, कलकता ।
27. ईस्टर्न यू० पी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, इलाहाबाद ।
28. बिहार चैम्बर आफ कामर्स, पटना ।
29. वम्बई इनकार्पोरेटिड ला सोसाइटी, बम्बई ।
30. श्री एच० बी० ढोंडी चार्टर्ड अकाऊन्टेंट, वम्बई ।
31. वैस्टर्न इण्डिया यंग चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स फोरम, वम्बई
32. इनकार्पोरेटिड ला सोसायटी आफ कलकत्ता ।
33. दि इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स अकाऊंटेंट्स आफ इण्डिया, कलकत्ता ।
34. दि एसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इण्डिया, नई दिल्ली ।

35. दि बम्बई स्टडी सर्किल आन कारपोरेट ला एण्ड एलाईड सबजैक्टस, बम्बई ।
36. मध्य प्रदेश आर्गेनाईजेशन आफ इण्डस्ट्रीज, भोपाल ।
37. दि मध्य प्रदेश चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर ।
38. सैन्ट्रल इण्डिया चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, उज्जैन ।
39. दि बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, कलकत्ता ।
40. दि कलकत्ता स्टाक ऐक्सचेंज एसोसियेशन लिमिटेड, कलकत्ता ।
41. दि बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसियेशन, बम्बई ।
42. दि कामर्स ग्रैजुऐट्स एसोसियेशन, बम्बई ।
43. बम्बई चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बम्बई ।
44. प्रो० के० टी० मर्चेन्ट मैम्बर कम्पनी ला एड्वाइजरी कमेटी ।
45. डा० आर० एस० निगम, रीडर इन कामर्स, यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली ।
46. इण्डस्ट्रियल ऐस्टेट मैनूफैक्चरर्स एसोसियेशन, सनतनगर, हैदराबाद–18 ।
47. इण्डो–अमरीकन चैम्बर आफ कामर्स , बम्बई ।
48. दि इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली ।
49. इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेंक्रेट्रीज आफ इण्डिया, नई दिल्ली ।
50. दि मध्य प्रदेश टैक्सटाइल मिल्स एसोसियेशन, इन्दौर ।
51. श्री बी० डी० कुलश्रेष्ठ, रिसर्च एसोसियेट एण्ड प्रोग्राम कोआर्डिनेटर इण्डियन ला इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली ।
52. श्रीमती के० आर० जवेरी, सैक्रेटरी दि टाटा आईरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड एण्ड सैक्रेट्रीज आफ सर्टेन अदर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज आफ बम्बई ।
53. दि मद्रास शेयरहोल्डर्स एसोसियेशन, मद्रास ।
54. दि सदर्न इण्डिया चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री मद्रास ।
55. दि मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज , मद्रास ।
56. दि अहमदाबाद मिलओनर्स एसोसियेशन, अहमदाबाद ।
57. श्री एम० पी० मोदी० एण्ड अदर इमप्लाईज आफ मैसर्स एम० एन० रायजी एण्ड कम्पनी, बम्बई ।
58. श्री आर० मानाभाई, कास्ट अकाऊंटेंट, बम्बई ।
59. नेशनल फोरम आफ शेयर होल्डर्स, कलकत्ता ।
60. इण्डिया चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता ।
61. मर्चेन्ट्स चैम्बर आफ यू० पी०; कानपुर ।
62. सैन्ट्रल गुजरात चैम्बर आफ कामर्स, बड़ौदा ।
63. दि महाराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पूना ।
64. भारत चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता ।
65. फैडरेशन आफ आन्ध्र प्रदेश चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, हैदराबाद ।
66. सौराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स, भावनगर ।
67. एलिम्बिक कैमिकल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड, बड़ौदा ।
68. दिल्ली फैक्टरी ओनर्स फैडरेशन, नई दिल्ली ।
69. मर्चेन्ट्स चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता ।
70. आन्ध्र चैम्बर आफ कामर्स, मद्रास ।
71. मालवा चैम्बर आफ कामर्स, इन्दौर ।

72. दि इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वैस्टमैन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, लिमिटेड, बम्बई।
73. फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ।
74. दि स्टाक एक्सचेंज, बम्बई ।
75. बी० एन० पोद्दार, जे० के० कैमिकल्स लिमिटेड, बम्बई ।
76. प्रीमियर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ।
77. करनाटक चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, हुबली ।
78. श्री बाबूभाई एम० चिनाय, संसद् सदस्य ।
79. दि चार्टर्ड अकाऊंटेंटस् फोरम, भोपाल।
80. श्री एम० एल० माहेश्वरी, कलकत्ता।
81. गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, अहमदाबाद।
82. नेशनल ऐलायंस आफ यंग इन्टरप्रेनर्स, नई दिल्ली।
83. युवा क्रान्तिकारी परिषद्, जयपुर।
84. फैडरेशन आफ गुजरात मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज़, बड़ौदा।
85. श्री एम० के० तड़वालकर, चार्टर्ड अकाऊंटेंट, बम्बई।
86. थोलिया एण्ड कम्पनी, बम्बई।
87. जयन्तीलाल ठक्कर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स, बम्बई ।
88. दि मिल्स ओनर्स एसोसियेशन, बम्बई ।
89. दि मैसूर चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बंगलौर।
90. दि मद्रास स्टाक ऐक्सचेंज लिमिटेड, मद्रास।
91. श्री आर० वेंकटेशन, चार्टर्ड अकाऊंटेंट, मद्रास ।
92. दि हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड, हैदराबाद।
93. दि अपर इण्डिया चैम्बर आफ कामर्स, कानपुर; कम्पनी ला स्ट्डी सर्किल, कानपुर एण्ड यू० पी० चैम्बर आफ कामर्स, कानपुर।
94. जे० एन० शर्मा० एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स, कानपुर।
95. बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कलकत्ता ।
96. निगम निकाय विधि तथा सम्बद्ध विषय सम्बन्धी कलकत्ता स्ट्डी सर्किल, कलकत्ता।
97. कलकत्ता ट्रेड्र्स एसोसियेशन, कलकत्ता।
98. दि एसोसियेशन आंफ प्रैक्टिसिंग कास्ट एकाउण्टेंट्स आफ इण्डिया, कलकत्ता।
99. श्री आर० सी० भण्डारी, कलकत्ता।
100. दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसियेशन लि०, नई दिल्ली।
101. मेहरा गोयल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाऊण्टेंट्स, दिल्ली।
102. दि इण्डिया, पाकिस्तान एण्ड बंगलादेश एसोसियेशन, लंदन।
103. पोयशा इन्डस्ट्रीयल कं० लि० बम्बई।
104. दि अहमद मिल एण्ड स्टोर्स मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, अहमदाबाद।
105. श्री विपिन सी० भगत, अहमदाबाद ।
106. श्री बी० एस० देश पांडे, शोलापुर ।
107. फेडरेशन आफ एसोसियेशन आफ स्माल इण्डस्ट्रीज़ आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
108. श्री बी० ए० सुन्दरम, सेक्रेटरी हिन्दुस्तान एन्टीबाय टिक्स लि०, पिम्परी (व्यक्तिगत रूप से)

109. नेओमर लि०, बड़ौदा।

110. धारक लि०, बंगलौर।

111. श्रेनो लि०, बड़ौदा।

112. श्री एन० टी० दलाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट, बम्बई।

113. श्री अधीश्वर प्रसाद जैन, कानपुर।

114. श्री पी० आर० वेंकटचलम, मद्रास।

115. कानपुर शूगर वर्क्स लि०, कानपुर।

116. श्री एन दांडेकर, आई० सी० एस० (सेवानिवृत्त) चार्टर्ड एकाउंटेंट, बम्बई।

117. श्री एफ० आर० जिनवाला।

118. आल इण्डिया मैन्युफैक्चरर्स आरगेनाइजेशन, बम्बई।

119. कम्पनी सेक्रेटरीज एसोसियेशन आफ इण्डिया, दिल्ली।

120. श्री दिनेश मिल्स लि०, बड़ौदा।

121. दि आल इण्डिया एसोसियेशन आफ इन्डस्ट्रीज, बम्बई।

122. श्री के० बी० सोहनभोग, कलकत्ता।

123. श्री सी० यू० मोदी, बम्बई।

124. गुजरात फाउन्ड्री, बम्बई ।

125. बम्बई टाइप फाउन्डर्स एसोसियेशन, बम्बई।

126. दि अंधेरी होम्योपैथिक सेन्टर, बम्बई।

127. हिन्दुस्तान चेम्बर आफ कामर्स, मद्रास।

128. मद्रास चेम्बर दि इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज, मद्रास।

129. श्री डी० सुब्रमणियन और डा० एच० के० परांजपे, सदस्य, एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग, नई दिल्ली।

130.. बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

———

परिशिष्ट चार

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 10)

उन संस्थाओं, संगठनों आदि की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य दिया

क्रम सं०	संस्था/व्यक्ति का नाम	साक्ष्य देने की तारीख
1.	श्री डी० एल० मजूमदार, भूतपूर्व सचिव, कम्पनी कार्य विभाग, भारत सरकार।	28–9–1972
2.	पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नई दिल्ली।	29–9–1972

प्रवक्ता :

1. श्री प्रेम पांधी, चेयरमैन।
2. श्री सी० के० हजारी, सदस्य, प्रबन्ध समिति।
3. श्री रघुनाथ राय, सदस्य, कम्पनी विधि तथा कराधान पेनल।
4. श्री एस० लहिरी, सदस्य, कम्पनी विधि तथा कराधान पेनल
5. श्री आर० सुब्रमणियन, सदस्य, कम्पनी विधि तथा कराधान पेनल।
6. श्री ओंकार नाथ, सदस्य, कम्पनी विधि तथा कराधान पेनल।
7. श्री एन० एल० नन्दराजोग, सेक्रेटरी।
8. श्री एस० गणपति, सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी।

*3.	प्राइस, वाटर हाऊस पीट एण्ड कम्पनी एम्पालाईज़ यूनियन कलकत्ता।	23–10–1972

प्रवक्ता :—

1. श्री अजित पाल
2. श्री राबिन शोम

*4.	लवलाक एण्ड, लीविस एम्प्लाईज़ नेशनल यूनियन, कलकत्ता।	23–10–1972

प्रवक्ता :

1. श्री पी के० दत्ता
2. श्री आर० के० गुप्ता

5.	चार्टर्ड एकाउण्टेंट एम्प्लाईज़ आफ मेसर्स लवलाक एण्ड लीविस कलकत्ता,	24–10–1972

प्रवक्ता :

1. श्री सुजित भट्टाचार्य
2. श्री आर० के० भट्टाचार्य

* 6.	जी० बसु एण्ड कं०, एम्पलाईज़ एसोसियेशन, कलकत्ता।	24–10–1972

प्रवक्ता :

1. श्री उत्पल के० सरकार
2. श्री नीलकंठ गांगुली

* 7.	रे एण्ड रे एम्पलाईज़ यूनियन, कलकत्ता।	24–10–1972

* संयुक्त रूप से उपस्थित हुए ।

क्रम सं०	संस्था/व्यक्ति का नाम	साक्ष्य देने की तारीख
	प्रवक्ता :	
	1. श्री सुनीत नंदी	
	2. श्री निर्मल मैत्रा	
8.	नार्दर्न इण्डिया शेयर होल्डर्स एसोंसियेशन, नई दिल्ली	25-10-1972
	प्रवक्ता :	
	1. श्री प्रेमजस राय सदस्य कार्यकारी समिति	
	2. डा० के० बी० रोहतगी, डीन, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय	
	3. श्री एल० एन० मोदी सदस्य	
**9	मध्य प्रदेश आरगेनाइजेशन आफ इन्डस्ट्रीज, भोपाल	26-10-1972
	प्रवक्ता :	
	श्री एम० एल० शर्मा	
**10.	मध्य प्रदेश चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, ग्वालियर	26-10-1972
	प्रवक्ता :	
	1. श्री ए० सी० मैत्रा	
	2. श्री आर० ए० मरवारिया	
	3. श्री के० एस० दावर	
	4. श्री एस० बी० मजूमदार	
	5. श्री ए० पी० जौहरी	
11.	दि यंग चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स फोरम, कलकत्ता	27-10-1972
	प्रवक्ता :	
	1. श्री एस० सी० भंडारी, चेयरमैन	
	2. श्री के० एम० आजाद	
	3. श्री आई० पी० खन्ना	
	4. श्री एच० के चौधरी	
12.	दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली	28-10-1972
	प्रवक्ता :	
	1. श्री जी० पी० कपाडिया, प्रथम प्रेसीडेंट— संगठन के नेता	
	2. श्री आर० के० खन्ना, निर्वाचित प्रेसीडेंट	
	3. श्री एस० के० गुप्ता, निर्वाचित वाइस प्रेसीडेंट	
	4. श्री ऐ० बी० टंडन, निर्वतमान प्रेसीडेंट	
	5. श्री पी० ब्रह्मय्या, भूतपूर्व प्रेसीडेंट	
	6. श्री वी० वी० हरिभक्ति, भतपूर्व प्रेसीडेंट	
	7. श्री सी० वालकृष्णन, सेक्रेटरी	

**संयुक्त रूप से उपस्थित हुए।

1	2	3
13	एसोसियेटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री आफ इंडिया, नई दिल्ली **प्रवक्ता :** 1. श्री एन० एम० वैंगल 2. श्री एन० ए० पालकीवाला 3. श्री एम० एच० मोदी 4. श्री एस० एम० कुरेशी . 5. श्री एम० एम० सब्बरवाल 6. श्री आर० एल० मेहता 7. डा० एस० चक्रवर्ती	11-12-1972
14	फेडरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नई डिल्ली **प्रवक्ता :** 1. श्री मदन मोहन मंगलदास, प्रेसीडेंट 2. लाला चरतराम, वाइस प्रेसीडेंट 3. श्री एम० एल० खेतान 4. श्री सी० सी० चोक्शी 5. श्री जे० पी० ठक्कर 6. श्री जी० एल० बंसल 7. श्री पी० सी० राव 8. श्री एन० कृष्णमूर्ति	12-12-1972
15	युवा क्रांतिकारी परिषद्, जयपुर **प्रवक्ता :** 1. श्री आर० डी० शर्मा 2. श्री एल० आर० अग्रवाल 3. श्री गोपाल बिहारी 4. श्री आर० पी० शर्मा	13-12-1973
16	दि बंगाल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, कलकत्ता **प्रवक्ता :** 1. श्री ए० डब्ल्यु० वी० हेवर्ड 2. डा० एस० चक्रवर्ती 3. श्री डी० के० बसु 4. श्री एस० के० गांगुली 5. श्री एम० घोष	1-1-1973
17	दि इन्स्टीट्यूट आफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेंट्स आफ इंडिया, कलकत्ता **प्रवक्ता :** 1. श्री श्यामल बनर्जी 2. श्री एम० आर० एस० आयंगर 3. श्री जी० के० अभंयकर 4. श्री एन० के० बोस 5. श्री वी० कल्याणरमन 6. श्री एस० के० मैत्रा	1-1-1973

क्रम संख्या	संस्था/व्यक्ति का नाम	साक्ष्य देने की तारीख
18	चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स एसोसियेशन फॉर नेशनलाइजेशन आफ ऑडिट प्रोफेशन एण्ड सर्विसेज, कलकत्ता	1-1-1973
	प्रवक्ता :	
	1. श्री अरुण कुमार मुखर्जी	
	2. श्री इन्द्र नाथ दास	
	3. सश्रत मखर्जी	
	4. श्री मानस कुमार बनर्जी	
	5. श्री समरेन्द्र नाथ पाठक	
19	बंगाल नेशनल चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज , कलकत्ता	2-1-1973
	प्रवक्ता :	
	1. श्री टी० पी० चक्रवर्ती	
	2. श्री जी० साहा	
	3. श्री मिलन कुमार मुकर्जी	
	4. श्री एम० सी० पोद्दार	
	5. श्री आर० एम० मित्रा	
	6. डा० बी० एन० घोष	
20	इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया, नई दिल्ली	2-1-1973
	प्रवक्ता :	
	1. श्री आर० कृष्णन	
	2. श्री एल० आर० पुरी	
	3. श्री टी० वी० रामचन्द्रन	
	4. श्री पी० ए० एस० राव	
	5. श्री के० वी० सूर्यनारायणन्	
	6. श्री टी० पी० सुब्बारमन	
21	श्री एस० एस० कोठारी, भूतपूर्व संसद् सदस्य	2-1-1973
22	इंडियन चेम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता	3-1-1973
	प्रवक्ता :	
	1. श्री आर० वी० शाह	
	2. श्री राणा दिव चौधरी	
	3. श्री पी० एन० नारियल वाला	
	4. श्री जे० सिंघी	
	5. श्री आर० एस० लोधा	
	6. श्री सी० एस० पाण्डे	
	7. श्री मानव चौधरी	
23	मर्चेन्ट्स चेम्र्स आफ कामर्स, कलकत्ता	3-1-1973
	प्रवक्ता :	
	1. श्री बी० एस० कोठारी	
	2. श्री बी० एन० कोठारी	
	3. श्री बी० पी० अगरवाला	
	4. श्री एच० आर० बोस	

1	2	3
24.	एसोसियेशन आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, कलकत्ता **प्रवक्ता** 1. श्री एन० गांगुली 2. श्री एस० एस० सामन्त 3. श्री के० पी० भौमिक 4. श्री ए० के० चक्रवर्ती	3–1–73
25.	इन्कार्पोरेटेड ला सोसायटी आफ कलकत्ता **प्रवक्ता :** 1. श्री पी० डी० हिम्मतसिंहका 2. श्री आर० सी० कार 3. श्री बी० पी० खेतान	3–1–1973
26.	दि चार्टर्ड इन्स्टीट्यूट आफ सेक्रेटरीज़ आफ इण्डिया, कलकत्ता **प्रवक्ता :** 1. श्री वाई० वर्मा 2. श्री एस० के० बसु 3. श्री एस० राहा 4. श्री पी० के० अहलूवासिया 5. श्री ए० डे 6. श्री बी० सेन	3–1–1973
27.	दि एसोसियेशन प्रेक्टिसिंग कॉस्ट एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया, कलकत्ता **प्रवक्ता :** 1. श्री ए० के० विस्वास 2. श्री बी० एल० मिश्रा 3. श्री एस० एन० घोष 4. श्री आर० के० बोस 5. श्री ए० के० मित्रा	3–1–1973
28.	नेशनल फोरम आफ शेयर होल्डर्स, कलकत्ता **प्रवक्ता :** 1. श्री एम० सी० भण्डारी 2. श्री चन्डवदन देसाई 3. श्री हरि गोपाल आचार्य 4. श्री जग मोहन शर्मा 5. श्री बंसी वाहन छतराज	3–1–1973
29.	भारत चेम्बर्स ऑफ कामर्स , कलकत्ता **प्रवक्ता :** 1. श्री राजाराम फिवानी वाला, प्रेसीडेंट 2. श्री एस० बी गोयनका–जूनियर वाइस प्रेसीडेंट 3. श्री आर० एन० बांगुर 4. श्री डी० पी० पोद्दार 5. डा० डी० मुकर्जी 6. श्री मोहन सिंही	4–1–1973

क्रम सं०	संस्था/व्यक्ति का नाम	साक्ष्य देने की तारीख
	7. श्री० के० सी० मुकर्जी : सेक्रेटरी 8. श्री एन० साहा	
30.	कलकत्ता ट्रेडस् एसोसियेशन, कलकत्ता **प्रवक्ता :** 1. श्री एस० के० भास्कर 2. श्री आर० एन० भादुड़ी 3. श्री सुमेर मल जैन 4. श्री पी० के० जालान	4-1-1973
31.	बार लाइब्रेरी क्लब, कलकत्ता **प्रवक्ता :** 1. श्री एस० सी० सेन 2. श्री एस० बी० मुकर्जी :	4-1-1973
32.	इंडियन मर्चेन्ट्स चेम्बर, बम्बई **प्रवक्ता :** 1. श्री चरनदास वी० मारीवाला, प्रेसीडेंट 2. श्री जे० एच० दोषी 3. श्री जे० पी० ठाकर 4. श्री एस० वी० घटालिया 5. श्री तानभाई डी० देसाई 6. श्री सी० एल० घीवाला, सेक्रेटरी 7. श्री एम० के० देसाई, डिप्टी सेक्रेटरी 8. श्री एन० वाई० गेतोन्दे, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी	22-1-1973
33.	श्री एच० बी० धोन्दे, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बम्बई	22-1-1973
34.	मिल ओनर्स एसोसियेशन, बम्बई **प्रवक्ता :** 1. श्री राम प्रसाद पोद्दार, डिप्टी चेयरमैन 2. श्री प्रताप भोजी लाल 3. श्री सुधीर ठाकरसी 4. श्री तनू भाई देसाई 5. श्री आर० एल० एन० विजयनगर, सेक्रेटरी	22-1-1973
35.	बाम्बे चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बम्बई **प्रवक्ता :** 1. श्री एम० एच० मोदी, लीडर 2. श्री एन० एस फाटरफेकर 3. श्री एस० एच० गुरसाहनी 4. श्री डी० पी० मेहता	23-1-1973
36.	श्री एन० दण्डेकर, आई० सी० एस०, (रिटायर्ड) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बम्बई	23-1-1973
37.	स्टाक ऐक्सचेंज, बम्बई	23-1-1973

क्रम सं०	संस्था/व्यक्ति का नाम	साक्ष्य देने की तारीख
	प्रवक्ता :	
	श्री फीरोज जमशेदजी जीजा भाई, प्रेसीडेन्ट	
38.	कमेटी आफ यंगर पार्टनर्स आफ द् एस्टेब्लिस्ड आडिटिंग फर्मस्, कलकत्ता,	23-1-1973
	प्रवक्ता :	
	1. श्री पी० एम० नारियलवाला, चेयरमैन	
	2. श्री एल० के० रत्न, सेक्रेटरी	
	3. श्री वाई० एच० मेलगम, मेम्बर	
39.	बाम्बे स्टडी सर्किल आन कार्पोरेट ला एण्ड एलाइड, सबजैक्ट्स	23-1-1973
	प्रवक्ता :	
	1. श्री सी० सी० चोक्शी, प्रेसीडेन्ट	
	2. श्री आर० पी० केडिया	
	3. श्री जे० ई० दस्तूर	
	4. श्री दिनेश मोदी	
	5. श्री एन० वी० अय्यर	
	6. श्री एन० सी० मेहता	
40.	मराठा चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पूना	23-1-1973
	प्रवक्ता :	
	1. श्री जी० ए० ठक्कर	
	2. श्री एस० सी० चागला	
	3. श्री आर० एम० गांधी	
	4. श्री एम० एम० ठाकुर	
	5. श्री एस० आर० सोमवंशी	
	6. श्री के० एस० दानायत	
	7. श्री के० एस० भट्ट	
41.	कम्पनी सेक्रेटरीज आफ सर्टेन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज, इन बाम्बे	23-1-1973
	प्रवक्ता :	
	1. श्री एस० एस० बोर्कर	
	2. श्री एन० डी० सोंन्दे	
	3. श्री आर० एस० गांधी	
	4. श्री के० बी० डबके	
	5. श्री आर० डी० कुलकर्णी	
	6. श्री पी० एस० कानूनगो	
42.	प्रोफेसर, के० टी० मर्चेन्ट, मैम्बर, कम्पनी ला एडवाइजरी कमेटी	24-1-1973
43.	श्री एफ० आर० जिनवाला, कार्पोरेट ला एडवाइजर, बम्बई	24-1-1973
44.	इण्डो-अमेरिकन चेम्बर आफ कामर्स, बम्बई	24-1-1973

क्रम सं०	संस्था/व्यक्ति का नाम	साक्ष्य देने की तारीख

प्रवक्ता:

1. श्री जे० बी० दादाचनजी
2. श्री सी० एस० विद्याशंकर
3. श्री ए० आर० बर्टन
4. डा० बी० बी० भूता

45. बाम्बे शेयर होल्डर्स एसोसिएशन, बम्बई — 24-1-1973

प्रवक्ता :

1. श्री तनूभाई डी० देसाई, प्रेसीडेन्ट
2. श्री धीरज लाल मगन लाल, वाइस प्रेसीडेन्ट
3. श्री जे० सी० मशरीवाला, सेक्रेटरी
4. श्री जे० डी० मेहता, सेक्रेटरी
5. श्री एस० बी० पेरेरा, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी

46. वैस्टर्न इण्डिया यंग चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, फोरम, बम्बई — 24-1-1973

प्रवक्ता :

1. श्री जागेश देसाई
2. श्री बंसी लाल कुचेरिया
3. श्री राजकुमार एच० अच्छीपालिया

47. पब्लिक फाइनेन्श्यिल इस्टीट्यूशन्स — 13-6-1973

प्रवक्ता :

1. श्री बी० बी० चारी, डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एण्ड वाइस चेयरमैन, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया
2. श्री एच० टी० पारीख, चेयरमैन, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया
3. श्री जेम्स राज, चेयरमैन, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया
4. श्री बी० बी० दिवेचा, चीफ ला आफीसर, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन, आफ इण्डिया

48. मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मद्रास — 14-6-1973

प्रवक्ता :

1. श्री ए० के० शिवरामकृष्णन्
2. श्री सी० एस० विद्याशंकर
3. श्री आर० एन० रत्नम

49. सदर्न इण्डिया चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मद्रास — 14-6-1973

प्रवक्ता :

1. श्री एस० नारायणस्वामी, प्रेसीडेन्ट
2. श्री एन० सी० कृष्णन
3. श्री आर० वेंकटेशन
4. श्री के० वी० श्रीनिवासन

50. मद्रास स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड, मद्रास — 14-6-1973

क्रम सं०	संस्था/व्यक्ति का नाम	साक्ष्य देने की तारीख

प्रवक्ता :

1. श्री ज० वी० सोमायजुलु, प्रेसीडेंट
2. श्री एम० एस० शिवसुब्रामनियम, वाइस प्रैसीडेंट
3. श्री ई० वी० राजगोपालन, काउंसिल मेम्बर
4. श्री ई० आर० कृष्णमूर्ति, एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर
5. श्री वाई० सुन्दराबाब, सेक्रेटरी

51. मद्रास शेयर होल्डर्स एसोसिएशन, मद्रास — 15-6-1973

प्रवक्ता :

1. श्री एस० अन्नास्वामी
2. श्री वी० एम० थामस
3. श्री सी० मर्थया

52. मैसूर चैम्बर आफ कामर्स, एण्ड इण्डस्ट्री, बंगलौर, — 15-6-1973

प्रवक्ता :

1. श्री जी० रामरत्न, प्रेसीडेंट
2. श्री जे० श्रीनिवासन
3. श्री एच० सी० नागभूषण

53. अहमदाबाद मिल ओनर्स ऐसोसिएशन, अहमदाबाद — 16-6-1973

प्रवक्ता :

1. श्री एन० वी० अय्यर
2. श्री आर० एम० दवे

*54. मध्य प्रदेश टैक्सटाइल मिल्स ऐसोसिएशन, इन्दौर — 16-6-1973

प्रवक्ता :

1. श्री ई० बी० देसाई
2. श्री डी० के० मखारिया

*55. सैन्ट्रल इण्डिया चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, उज्जैन — 16-6-1973

प्रवक्ता :

1. श्री एम० वी० मजूमदार
2. श्री एम० डी० गुप्ता
3. श्री डी० एन० मखारिया

*संयुक्त रूप से उपस्थित हुए ।

परिशिष्ट पांच

अम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 2 सितम्बर, 1972 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत बरुआ
4. श्री एच० के० एल० भगत
5. श्री त्रिदिव चौधरी
6. श्री खेमचंद भाई चावड़ा
7. श्री सी० चित्ति बाबू
8. श्री सी० सी० देसाई
9. श्री गंगाचरण दीक्षित
10. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
11. श्री काले
12. श्री जगन्नाथ मिश्र
13. श्री डी० के० पंडा
14. श्री नरसिंह नारायण पांडे
15. श्री एच० एम० पटेल
16. श्री पट्टाभिरामा राव
17. श्री जगन्नाथ राव
18. श्री विश्वनाथ राय
19. श्री पी० एम० सईद
20. श्री राम रतन शर्मा
21. श्री पी० रंगनाथ शिनाय
22. श्री आर० के० सिंहा

राज्य-सभा

23. श्री सलिल कुमार गांगुली
24. श्री बी० टी० कुलकर्णी
25. श्री हर्ष देव मालवीय
26. श्रीमती सरस्वती प्रधान
27. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
28. श्री हिम्मत सिंह
29. श्री हबीब तनवीर
30. श्री महावीर त्यागी
31. डा० मुकुन्द राय व्यास
32. श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री पी० बी० मेनन—संयुक्त सचिव (विधिक)
2. श्री सी० एच० एस० राव—उप-सचिव (विधिक)
3. श्री सी० आर० डी० मेनन—अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जो० परांजपे—उप-सचिव

2. आरम्भ में सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और समिति को दिये गये कार्य की महत्ता और अविलंबनीयता पर बल दिया ।

3. समिति के सदस्यों ने इच्छा प्रकट की कि कम्पनी कार्य विभाग उन्हें विधेयक के उपबंधों से संबंधित संगत साहित्य, जैसे कि वे अधिनियम जिनमें विधेयक के द्वारा संशोधन किये जाने हैं, विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के प्रतिवेदन आदि उपलब्ध कराये और विद्यमान कम्पनी कानून की प्रभावशीलता के संबंध में एक टिप्पण भी प्रस्तुत करे ।

4. तत्पश्चात् समिति ने अपने आगामी कार्यक्रम पर विचार किया । समिति ने निश्चय किया कि वाणिज्य और उद्योग मंडलों, एसोसियेशनों, संगठनों और उन व्यक्तियों से ज्ञापन आमंत्रित किये जायें जो विधेयक की विषय-वस्तु में रुचि रखते हों, और यह कि इच्छुक व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया जाये । समिति ने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का भी निश्चय किया और ज्ञापन भेजने की अन्तिम तारीख 20 सितम्बर, 1972 निर्धारित की । समिति ने यह भी निश्चय किया कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, बार काउन्सिल आफ इंडिया, सभी राज्य बार काउंसिलों, सुप्रीम कोर्ट बार, एसोसियेशन, सभी उच्च न्यायालय बार एसोसियेशनों, व्यापार/मजदूर संघों आदि को एक परिपत्र भेजा जाय जिसमें विधेयक पर उनके विचार आमंत्रित किये जायें ।

5. तत्पश्चात समिति ने सभापति को प्राधिकृत किया कि वह मौखिक साक्ष्य के लिए एसोसियेशनों, संगठनों आदि का चयन करे ।

समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि विधेयक का प्रभारी मंत्री 27 सितम्बर, 1972 को होने वाली समिति की बैठक में विधेयक के उपबंधों के निहित प्रभावों का स्पष्टीकरण करे और यह भी निश्चय किया कि 28 और 29 सितम्बर, 1972 को, और यदि आवश्यक हो तो 30 सितम्बर, 1972 को भी, साक्ष्य लिया जाये ।

6. समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि कम्पनी कार्य विभाग समिति को प्राप्त होने वाले विभिन्न ज्ञापनों/सुझावों का एक विवरण तैयार करे और समिति के विचारार्थ उनमें उठायी गयी विभिन्न बातों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करे ।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक, बुधवार, 27 सितम्बर, 1972 को दस बजे से 10.15 बजे तक और पुनः 16.00 बजे से 18.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत वरुआ
4. श्री एच० के० एल० भगत
5. श्री त्रिदिव चौधरी
6. श्री के० एस० चावड़ा
7. श्री सी० चित्तिबाबू
8. श्री एस० आर० दामाणी
9. श्री मधु दंडवते
10. श्री गंगाचरण दीक्षित
11. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
12. श्री काले
13. श्री जगन्नाथ मिश्र
14. श्री सुरेंद्र महंती
15. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
16. श्री नरसिंह नारायण पांडे
17. श्री एच० एम० पटेल
18. श्री एम० वी० पी० पट्टाभिरामाराव
19. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
20. श्री जगन्नाथ राव
21. श्री विश्वनाथ राय
22. श्री पी० एम० सईद
23. श्री राम रतन शर्मा
24. श्री पी० रंगनाथ शिनाय

राज्य सभा

25. श्री सलिल कुमार गांगुली
26. श्री वी० टी० कुलकर्णी
27. श्री एस० एस० मारिस्वामी
28. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
29. श्रीमती सरस्वती प्रधान
30. श्री देवदत्त पुरी
31. श्री हिम्मत सिंह
32. श्री हबीब तनवीर
33. श्री महावीर त्यागी

34. डा० मुकुन्द राय व्यास
35. श्री के० पी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार ।

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद—सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन —संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एम० नारायण—जांच और निरीक्षण निदेशक
4. श्री सी० एच० एस० राव—उप-सचिव
5. डा० (श्रीमती) उषा दर—संयुक्त निदेशक (अनुसंधान और सांख्यिकी ।
6. श्री सी० आर० डी० मेनन— अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव

2. प्रारम्भ में सभापति ने समिति के सदस्य श्री सी० सी० देसाई के 22 सितम्बर, 1972 को आकस्मिक निधन के बारे में सूचना दी । तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित शोक प्रस्ताव पारित किया :—

"यह समिति अपने एक सदस्य श्री सी० सी० देसाई के आकस्मिक निधन पर अत्यधिक शोक प्रकट करती है । उन्होंने एक योग्य प्रशासक के रूप में मध्यप्रांत और बराबर की प्रांतीय सरकार और भारत की केन्द्रीय सरकार की महान तत्परता और योग्यता से सेवा की । तत्पश्चात, उन्होंने श्री लंका और पाकिस्तान में उच्चायुक्त के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने राजनयिक कौशल एंव योग्यता के संबंध में उच्च स्थान प्राप्त किया । सेवा निवृत्त के पश्चात, उन्होंने एक उद्योगपति के रूप में अनेक उपक्रमों के प्रबंध में विशेष भूमिका निभाई और निगमित क्षेत्र की समस्याओं और कार्यकरण के बारे में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया । उन्होंने एक संसदसदस्य के रूप में आर्थिक नीतियों, विकास और प्रशासन एवं विशेषकर कम्पनी विधि की समस्याओं से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया । जब समिति कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 के बारे में प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करेंगी उस समय उनकी अनुपस्थिति सब से अधिक महसूस की जाएगी और वह उनकी विद्वतापूर्ण सलाह से वंचित रह जाएगी । समिति शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और सहानुभूति प्रकट करती है" । सदस्य कुछ समय तक मौन खड़े रहे ।

3. समिति ने तब श्री सी० सी० देसाई के सम्मान में 16.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये बैठक स्थगित की ।

[समिति की बैठक 16.00 बजे पुनः समवेत हुई ।]

4. कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी) ने विधेयक के विभिन्न उपबन्धों के निहितार्थ की विस्तार से व्याख्या की ।

5. सभापति ने समिति को बताया कि विभिन्न वाणिज्य और उद्योग मण्डलों कम्पनियों, व्यापारिक संगठनों और अन्य एसोशियसनों ने अनुरोध किया था कि विधेयक के महत्व को देखते हुये विधेयक के उपवन्धों संबंधी ज्ञापन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया जाये ताकि वे विधेयक के सभी पहलुओं की जांच कर सकें । समिति ने, कुछ विचार विमर्श के पश्चात विधेयक के संबंध में ज्ञापन देने की तारीख 10 अक्तूबर, 1972 तक बढ़ा दी । समिति ने यह भी निश्चय किया कि ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिये तारीख में आगे और कोई वृद्धि न की जाए । समिति ने लोक सभा सचिवालय को निदेश दिया कि इस उद्देश्य से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाए और यह चाहा कि विभिन्न वाणिज्य और उद्योग मंडलों, व्यापार संगठनों और अन्य एसोसिएशनो को, जिहोंने समय में वृद्धि की मांग की थी, तदनुसार सूचना दे दी जाए ।

6. तब समिति की बैठक गुरुवार 28 सितम्बर, 1972 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हो गई ।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 28 सितम्बर 1972 को 11.00 बजे से 13.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत बरुआ
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री के० एस० चावड़ा
6. श्री सी० चित्ति बाबू
7. श्री एस० आर० दामाणी
8. श्री मधु दंडवते
9. श्री गंगाचरण दीक्षित
10. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
11. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
12. श्री काले
13. श्री प्रियरंजन दास मुंशी
14. नरसिंह नारायण पांडे
15. श्री एच० एम० पटेल
16. श्री पट्टाभिरामाराव
17. श्री आर० बाल कृष्ण पिल्ले
18. श्री जगन्नाथ राव
19. श्री विश्वनाथ राय
20. श्री पी० एम० सईद
21. श्री राम रतन शर्मा
22. पी० आर० शिनाय
23. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

24. श्री सलिल कुमार गांगुली
25. श्री बी० टी० कुलकर्णी
26. श्री एस० एस० मारिस्वामी
27. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
28. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
29. श्रीमती सरस्वती प्रधान

30. देवदत्त पुरी
31. श्री हिम्मत सिंह
32. श्री हबीब तनवीर
33. श्री महावीर त्यागी
34. श्री डा० मुकुन्द राय व्यास
35. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामशदाता

श्री एस० के० मैत्रा–संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. **श्री आर० प्रसाद–– सचिव**
2. **श्री पी० वी० मैनन––संयुक्त सचिव**
3. **श्री सी० एम० नारायणन–– जांच और निरीक्षण निदेशक**
4. **श्री सी० एच० एस० राव––उप-सचिव**
5. **डा० (श्रीमती) उषा दर––संयुक्त निदेशक (अनुसंधान और सांख्यिकी)**
6. **श्री सी० आर० डी० मेनन––अवर सचिव**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे––उप-सचिव

2. कम्पनी कार्य विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री डी० एल० मजूमदार द्वारा साक्ष्य दिये जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया ।
3. साक्ष्य 13.45 बजे तक लिया गया ।
4. साक्ष्य का शब्दश : रिकार्ड* रखा गया ।
5. तब समिति की बैठक शुक्रवार 29 सितम्बर, 1972 को 11.00 समवेत होने तक के लिये स्थगित हो गई ।

---

* सदस्यों में पृथक रूप से परिचालित किया जा रहा है ।

चार

(चौथी बैठक)

समिति की बैठक शुक्रवार, 29 सितम्बर, 1972 को 11.00 बजे से 14.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा---सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री बेदब्रत बरुआ
4. श्री एच० के० एल० भगत
5. श्री खेम चन्द भाई चावड़ा
6. श्री एस० आर० दामाणी
7. श्री मधु दण्डवते
8. श्री गंगाचरण दीक्षित
9. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
10. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
11. श्री बाबूराव जंगलूजी काले
12. श्री सुरेन्द्र महन्ती
13. श्री प्रियरंजन दास मुन्शी
14. श्री नरसिंह नारायण पांडेय
15. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामा राव
16. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
17. श्री जगन्नाथ राव
18. श्री विश्वनाथ राय
19. श्री पी० एम० सईद
20. श्री राम रतन शर्मा
21. श्री पी० रंगनाथ शिनाय

राज्य सभा

22. श्री सलिल कुमार गांगुली
23. श्री बी० टी० कुलकर्णी
24. श्री एस० एस० मारिस्वामी
25. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
26. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
27. श्रीमती सरस्वती प्रधान
28. श्री देवदत्त पुरी
29. श्री हिम्मत सिंह
30. श्री महावीर त्यागी
31. डा० मुकुन्द राय व्यास
32. श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एम० के० मैत्रा ---संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद---सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन---संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एम० नारायणन्---जांच और निरीक्षण निदेशक
4. चौधरी एस० राव-----उप-सचिव
5. डा० (श्रीमती) उषा दर---संयुक्त निदेशक (अनुसन्धान और सांख्यकी)
6. श्री सी० आर० डी० मेनन----अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे---उप सचिव

2. समिति द्वारा पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल, नई दिल्ली, के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिये जाने के पूर्व, सभापति महोदय ने अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर उनका ध्यान दिलाया :—

1. श्री प्रेम पंथी — अध्यक्ष
2. श्री सी० के० हजारी —सदस्य, प्रबन्धक समिति
3. श्री रघुनाथ राय — सदस्य, कम्पनी, विधि तथा कराधान 'पैनल'।
4. श्री एस० लहिरी — तदैव
5. श्री आर० सुब्रह्मण्यम् — तदैव
6. श्री ओंकार नाथ — तदैव
7. श्री एम० एल० नन्द्राजोग— सचिव
8. श्री एस० गणपति — वरिष्ठ सहायक 'सचिव'।

साक्ष्य 13.45 बजे तक चला।

3. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड* रखा गया।

4. समिति ने विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में और साक्ष्य के 23 से 28 अक्तूबर, 1972 तक दिल्ली में और यदि आवश्यकता हुई तो जनवरी, 1973 में दिल्ली से बाहर अन्य स्थानों पर लेने का निश्चय किया।

5. अक्तूबर, 1972 के दौरान दिल्ली में होने वाले साक्ष्य के लिये पक्षों का चयन करने के लिये सभापति को प्राधिकृत किया गया।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

पांच

(पांचवीं बैठक)

समिति की बैठक सोमवार, 23 अक्तूबर, 1972 को 11.00 बजे से 12.30 बजे तक हुई :

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री बेदब्रत बरुआ
4. श्री एच० के० एल० भगत
5. श्री त्रिदिब चौधरी
6. श्री गंगाचरण दीक्षित
7. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
8. श्री काले
9. श्री नरसिंह नारायण पांडे
10. श्री एच० एम० पटेल
11. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव
12. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
13. श्री जगन्नाथ राव
14. श्री विश्वनाथ राय
15. श्री रामरतन शर्मा
16. श्री पी० आर० शिनाय

राज्य-सभा

17. श्री सलिल कुमार गांगुली
18. श्री बी० टी० कुलकर्णी
19. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
20. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
21. श्री कटरग श्रीनिडुद्रासराव
22. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
23. श्री महावीर त्यागी
24. डा० मुकुन्द राय व्यास
25. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद — **सचिव**
2. श्री पी० बी० मेनन — **संयुक्त सचिव**
3. श्री सी० एम० नारायणन् — **अन्वेषण तथा निरीक्षण निदेशक**

4. श्री सी० एच० एस० राव — उप सचिव
5. डा० (श्रीमती) उषा दर — संयुक्त निदेशक
6. श्री सी० आर० डी० मेनन — अवर सचिव

सचिवालय

श्री के० के० सक्सेना — अवर सचिव

2. समिति ने नीचे दी गई कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया :

(प्रारम्भ में , सभापति ने कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया ।)

(एक) प्राइस वाटर हाउस पीट एण्ड कं० एम्प्लाईज यूनियन, कलकत्ता

प्रवक्ता : —

1. श्री अजित पाल
2. श्री रोबिनशोम

(दो) लवलाक एण्ड लीविज एम्प्लाईज यूनियन, कलकत्ता

प्रवक्ता :—

1. श्री पी० के० दत्ता
2. श्री आर० के० गुप्ता
3. साक्ष्य 12. 30 बजे तक चलता रहा ।
4. साक्ष्य का शब्दश:* रिकार्ड रखा गया ।
5. तत्पश्चात् समिति की बैठक मंगलवार, 24 अक्तूबर, 1972 को 11. 00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

छः

(छठी बैठक)

समिति की बैठक मंगलवार, 24 अक्तूबर, 1972 को 11. 00 बजे से 13. 30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत बरुआ
4. श्री एच० के० एल० भगत
5. श्री विदिब चौधरी
6. श्री एस० आर० दामाणी
7. श्री गंगाचरण दीक्षित
8. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
9. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
10. श्री बाबूराव जांगलू जी काले
11. श्री जगन्नाथ राव
12. श्री डी० के० पण्डा
13. श्री नरसिंह नारायण पांडे
14. श्री एच० एम० पटेल
15. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव
16. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
17. श्री विश्वनाथ राय
18. श्री राम रतन शर्मा
19. श्री पी० आर० शिनाय

राज्य सभा

20. श्री बी० टी० कुलकर्णी
21. श्री हर्षदेव मालवीय
22. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
23. श्रीमती सरस्वती प्रधान
24. श्री कटरगड्डु श्रीनिवास राव
25. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
26. श्री हबीब तनवीर
27. श्री महावीर त्यागी
28. डा० मुकुन्द राय व्यास
29. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्षदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद — **सचिव**
2. श्री पी० बी० मेनन — **संयुक्त सचिव**
3. श्री सी० एच० एस० राव — **उप सचिव**
4. श्री एस० सी० भारद्वाज — **उप निदेशक**
5. श्री सी० आर० डी० मेनन — **अवर सचिव**
6. डा० (श्रीमती) उषा दर — **संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)**

सचिवालय

श्री के० के० सक्सेना — अवर सचिव

2. समिति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संघों इत्यादि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया :—

(आरम्भ में, सभापति ने ऐसोसिएशनों, संघों के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया) ।

(एक) चार्टर्ड एकाउंटेंट एम्प्लाईज आफ मैसर्ज लवलाक एण्ड लेविस, कलकत्ता

प्रवक्ता :—

1. श्री सुजीत भट्टाचार्य
2. श्री आर० के० भट्टाचार्य

(11.00 बजे से 12.30 बजे तक)

(दो) जी० बसु एण्ड कम्पनी एम्प्लाईज एसोसिएशन, कलकत्ता

प्रवक्ता :—

1. श्री उत्पल के० सरकार
2. श्री नीलकंठ गांगुली

(तीन) राय एण्ड राय एम्प्लाईज यूनियन, कलकत्ता

प्रवक्ता :—

1. श्री सुनीत नन्दी
2. श्री निर्मल मैत्रा

(12.30 बजे से 13.30 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दश: * रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक बुधवार, 25 अक्तूबर, 1972 को 11.00 बजे पुन: समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

सात

(सातवीं बैठक)

समिति की बैठक बुधवार, 25 अक्तूबर, 1972 को 11.00 बजे से 13.10 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत बरुआ
4. श्री एच० के० एल० भगत
5. श्री बिदिब चौधरी
6. श्री खेम चन्द भाई चावड़ा
7. श्री सी० चित्ति बाबू
8. श्री एस० आर० दामाणी
9. श्री गंगाचरण दीक्षित
10. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
11. श्री पोपट लाल एम० जोशी
12. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
13. श्री डी० के० पण्डा
14. श्री नरसिंह नारायण पांडे
15. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव
16. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
17. श्री जगन्नाथ राव
18. श्री विश्वनाथ राय
19. श्री राम रतन शर्मा
20. श्री पी० आर० शिनाय

राज्य सभा

21. श्री सलिल कुमार गांगुली
22. श्री बी० टी० कुलकर्णी
23. श्री हर्ष देव मालवीय
24. श्री एस० एस० मारिस्वामी
25. श्रीमती सरस्वती प्रधान
26. श्री कटरगड्ड श्रीनिवास राव
27. श्री महावीर त्यागी
28. डा० मुकुन्द राय व्यास
29. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद — सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन — संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एम० नारायणन् — अन्वेषण तथा निरीक्षण निदेशक
4. श्री सी० एच० एस० राव — उपसचिव
5. डा० (श्रीमती) उषा दर — संयुक्त निदेशक (अनुसंधान तथा सांख्यिकी)
6. श्री सी० आर० डी० मेनन — अवर सचिव

सचिवालय

श्री के० के० सक्सेना — अवर सचिव

2. समिति द्वारा नार्दर्न इंडिया शेयर होल्डर एसोसियेयशन, नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिये जाने से पूर्व, सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया :—

1. श्री प्रेमजस राय — सदस्य, कार्यकारी समिति
2. डा० के० बी० रोहतगी — डीन, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय
3. श्री एल० एन० मोदी — सदस्य

(साक्ष्य 13.10 बजे तक चला) ।

3. साक्ष्य का शब्दश:* रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक गुरुवार, 26 अक्तूबर, 1972 को पुन: समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

आठ

(आठवीं बैठक)

समिति की बैठक गुरुवार, 26 अक्तूबर 1972 को 11.00 से 14.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री एच० के० एल० भगत—पीठासीन

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत वरुआ
4. श्री एस० आर० दामाणी
5. श्री गंगाचरण दीक्षित
6. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
7. श्री पोपट लाल एम० जोशी
8. श्री रामचन्द्रन कडन्नापल्ली
9. श्री काले
10. श्री डी० के० पंडा
11. श्री नरसिंह नारायण पांडे
12. श्री एच० एम० पटेल
13. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामा राव
14. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
15. श्री जगन्नाथ राव
16. श्री विश्वनाथ राय
17. श्री पी० आर० शिनाय

राज्य सभा

18. श्री बी० टी० कुलकर्णी
19. श्री हर्ष देव मालवीय
20. श्री एस० एस० मरिस्वामी
21. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
22. श्रीमती सरस्वती प्रधान
23. श्री कटरगड्ड श्रीनिवास राव
24. श्री श्रीनिवास गणेश सर देसाई
25. डा० मुकुन्द राय व्यास
26. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद—सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एम० नारायणन—अन्वेषण तथा निरीक्षण निदेशक
4. श्री सी० च० एस० राव—उप सचिव

5. डा० (श्रीमती) उषा दर—संयुक्त निदेशक

6. श्री सी० आर० डी० मेनन—अवर सचिव

सचिवालय

श्री के० के० सक्सेना—अवर सचिव

2. सभापति की अनुपस्थिति में श्री एच० के० एल० भगत को लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 258(3) के अन्तर्गत बैठक का सभापति चुना गया।

3. समिति ने वाणिज्य तथा उद्योग के निम्नलिखित चेम्बरों के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया :—

(आरम्भ में सभापति ने वाणिज्य तथा उद्योग के चेम्बरों आदि के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया)

एक. मध्य प्रदेश आर्गेनाइजेशन आफ इन्डस्ट्रीज, भोपाल

प्रवक्ता :

श्री एम० एल० शर्मा

दो. मध्य प्रदेश चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, ग्वालियर

प्रवक्ता :

1. श्री ए० सी० मित्रा
2. श्री आर० ए० मखारिया
3. श्री के० एस० दावेर
4. श्री एस० वी० मजूमदार
5. श्री ए० पी० जोहरी

4. साक्ष्य 14.00 बजे तक चला।

5. साक्ष्य का शब्दश: *रिकार्ड रखा गया।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक शुक्रवार, 27 अक्तूबर, 1972 को 11.00 बजे पुन: सम्वेत होने तक के लिये स्थगित हुई।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

नौ

(नवीं बैठक)

समिति की बैठक शुक्रवार, 27 अक्तूबर, 1972 को 11.00 बजे से 13.25 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत बरुआ
4. श्री एच० के० एल० भगत
5. श्री गंगा चरण दीक्षित
6. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
7. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
8. श्री डी० के० पण्डा
9. श्री नरसिंह नारायण पांडे
10. श्री एच० एम० पटेल
11. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव
12. श्री जगन्नाथ राव
13. श्री विश्वनाथ राय
14. श्री राम रतन शर्मा
15. श्री पी० आर० शिनाय

राज्य सभा

16. श्री बी० टी० कुलकर्णी
17. श्री एस० एस० मारिस्वामी
18. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
19. श्रीमती सरस्वाती प्रधान
20. डा० मुकुन्द राय व्यास
21. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी ।

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा--संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद--सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन--संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एम० नारायणन--अन्वेषण तथा निरीक्षण निदेशक
4. श्री सी० एच० एस० राव--उप सचिव
5. डा० (श्रीमती) उषा दर--संयुक्त निदेशक (अनुसंधान और सांख्यिकी)
6. श्री सी० आर० सी० मेनन--अवर सचिव

सचिवालय

श्री के० के० सक्सेना—अवर सचिव

2. समिति द्वारा यंग चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस फोरम, कलकत्ता के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुनने से पूर्व सभापति ने अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर उनका ध्यान दिलाया :—

1. श्री एम० सी० भण्डारी—चेयर मैन
2. श्री के० एम० आजाद
3. श्री आई० पी० खन्ना
4. श्री एच० के० चौधरी

3. साक्ष्य 13.15 बजे तक चला।

4. साक्ष्य का शब्दश: *रिकार्ड रखा गया।

5. समिति ने अपने प्रतिवेदन को पेश करने के लिये 1973 के अगले बजट सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक समय बढ़ाने की मांग करने का निर्णय किया।

6. समिति के सभापति को तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री एच० के० एल० भगत को सभा में आवश्यक प्रस्ताव पेश करने के लिये प्राधिकृत किया।

7. समिति ने सभापति को समिति की बैठकों के अगले दौर की तिथियां निश्चित करने के लिये भी प्राधिकृत किया।

8. तत्पश्चात समिति की बैठक शनिवार, 28 अक्तूबर, 1972 को पुन: समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

दस

(दसवीं बैठक)

समिति की बैठक शनिवार, 28 अक्तूबर, 1972 को 11.00 बजे से 14.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री सैयद अहमद आगा—पीठासीन

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत वरुआ
3. श्री एच० के० एल० भगत
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री एस० आर० दामाणी
6. श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित
7. श्री मती वी० जयलक्ष्मी
8. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
9. श्री डी० के० पंडा
10. श्री नरसिंह नारायण पांडे
11. श्री एच० एम० पटेल
12. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिराम राव
13. श्री जगन्नाथ राव
14. श्री विश्वनाथ राय
15. श्री राम रतन शर्मा
16. श्री पी० रंगनाथ शिनाय

राज्य सभा

17. श्री बी० टी० कुलकर्णी
18. श्री एस० एस० मारिस्वामी
19. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
20. श्रीमती सरस्वती प्रधान
21. श्री हबीब तनवीर
22. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद—सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एम० नारायणन—जांच और निरीक्षण निदेशक
4. श्री सी० एच० एस० राव—उप सचिव
5. डा० (श्रीमती) उषा दर—संयुक्त निदेशक (अनुसंधान और सांख्यिकी)
6. श्री सी० आर० डी० मेनन—अवर सचिव

सचिवालय

श्री के० के० सक्सेना—**अवर सचिव**

2. समिति द्वारा इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिये जाने से पूर्व, सभापति ने अध्यक्षद्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की और उनका ध्यान दिलाया :–

1. श्री जी० पी० कपाडिया—प्रथम अध्यक्ष प्रतिनिधि मण्डल के नेता
2. श्री आर० के० खन्ना—अध्यक्ष निर्वाचित
3. श्री एस० के० गुप्ता—उपाध्यक्ष निर्वाचित
4. श्री ए० बी० टण्डन—निवृत्तिमान अध्यक्ष
5. श्री पी० ब्रह्मय्या—भूतपूर्व अध्यक्ष
6. श्री वी० बी० हरीभक्ति—भूतपूर्व अध्यक्ष
7. श्री सी० बालकृष्णन—सचिव

साक्ष्य 14.30 बजे तक लिया गया

3. साक्ष्य का शब्दशः *रिकार्ड रखा गया ।
4. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 11 दिसम्बर, 1972 को 15.00 बजे से 18.15 बजे तक हुई

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री एच० के० एल० भगत
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री त्रिदिव चौधरी
6. श्री खेमचन्द भाई चावडा
7. श्री एस० आर० दामाणी
8. श्री गंगा चरण दीक्षित
9. श्री पोपट लाल एम० जोशी
10. श्री जगन्नाथ मिश्र
11. श्री सुरेन्द्र महंती
12. श्री एच० एम० पटेल
13. श्री एस० वी० पी० पट्टाभिरामराव
14. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
15. श्री जगन्नाथ राव
16. श्री पी० रंगनाथ शिनाथ

राज्य सभा

17. श्री बी० टी० कुलकर्णी
18. श्री हर्ष देव मालवीय
19. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
20. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
21. श्री देवदत्त पुरी
22. श्री महावीर त्यागी
23. श्री डा० मुकुन्दराय व्यास
24. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद—सचिव
2. श्री पी० बी० मैनन—संयुक्त सचिव
3. श्री एस० राव—उपसचिव
4. डा० (श्रीमती) उषा धर—संयुक्त निदेशक (अनुसंधान और सांख्यिकी)
5. श्री सी० आर० डी० मैनन—अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे--उप सचिव

2. समिति द्वारा एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया, नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुनना आरम्भ करने से पहले सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया :--

1. श्री ए० एम० वागले
2. श्री एन० ए० पल्कीवाला
3. श्री एम० एच० मोदी
4. श्री एस० एच० गुरसहानी
5. श्री एम० एम० सभरवाल
6. श्री आर० एल० मेहता
7. डा० एस० चक्रवर्ती

साक्ष्य 18. 15 बजे तक चलता रहा

3. साक्ष्य का* शब्दश रिकार्ड रखा गया

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक 12 दिसम्बर, 1972 को 15. 00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1972 को 15.00 से 18.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा---सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत वरुआ
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
6. श्री एस० आर० दामाणी
7. श्री मधु दंडवते
8. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
9. श्री पोपट लाल एम० जोशी
10. श्री बाबूराव जांगलूजी काले
11. श्री मोहम्मद शरीफ़
12. श्री एच० एम० पटेल
13. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
14. श्री जगन्नाथ राव
15. श्री आर० आर० शर्मा
16. श्री पी० रंगनाथ शिनाय

राज्य सभा

17. श्री बी० टी० कुलकर्णी
18. श्री हर्ष देव मालवीय
19. श्री एम० के० मोहता
20. श्री डी० डी० पुरी
21. श्री एस० जी० सरदेसाई
22. श्री हिम्मत सिंह
23. श्री महावीर त्यागी
24. डा० एम० आर० व्यास
25. श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा---संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद---सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन---संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एम० नारायणन---जांच और निरीक्षण निदेशक
4. श्री एस० राव---उप सचिव
5. डा० (श्रीमती) उषा दर---संयुक्त निदेशक (अनुसंधान सांख्यिकी)
6. श्री वी० आर० डी० मेनन---अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे---उप सचिव

2. समिति द्वारा भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ, नई दिल्ली के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुने जाने से पहले सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया :

1. श्री मदनमोहन मंगलदास---अध्यक्ष
2. लाला चरत राम---उपाध्यक्ष
3. श्री एम० एल० खैतान
4. श्री सी० सी० चोक्सी
5. श्री जी० पी० थैकर
6. श्री जी० एल० बन्सल
7. श्री पी० चेतसल राव
8. श्री एन० कृष्णमूर्ति

साक्ष्य 18.45 बजे तक चलता रहा ।

3. साक्ष्य का शब्दशः* रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात् समिति 13 दिसम्बर, 1972 को 16.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई ।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 13 दिसम्बर, 1972 को 16.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत बरुआ
3. श्री त्रिदिब चौधरी
4. श्री मधु दण्डवते
5. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
6. श्री जगन्नाथ मिश्र
7. श्री मोहम्मद शरीफ
8. श्री एच० एम० पटेल
9. श्री एस० वी० पी० पट्टाभिरामाराव
10. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
11. श्री राम रतन शर्मा
12. श्री पी० रंगनाथ शिनाय

राज्य सभा

13. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
14. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
15. श्री देवदत्त पुरी
16. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
17. श्री हिम्मत सिंह
18. श्री महावीर त्यागी
19. डा० मुकुन्द राय व्यास
20. श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद—सचिव
2. श्री पी० वी० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एम० नारायणन—जांच और निरीक्षण निदेशक
4. श्री एस० राव—उप सचिव
5. डा० (श्रीमती) उषा दर—संयुक्त निदेशक (अनुसंधान और सांख्यिकी)
6. श्री सी० आर० डी० मेनन—अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव

2. समिति द्वारा युवा क्रान्तिकारी परिषद्, जयपुर के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिये जाने से पूर्व, सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया :—

1. श्री आर० डी० शर्मा
2. श्री एल० आर० अग्रवाल
3. श्री गोपाल विहारी
4. श्री आर० पी० शर्मा

साक्ष्य 16.45 बजे तक चला।

3. साक्ष्य का शब्दश:* रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया । समिति ने विभिन्न संस्थाओं, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिये सोमवार, 1 जनवरी से गुरुवार, 4 जनवरी, 1973 तक कलकत्ता में और सोमवार, 22 जनवरी से बुधवार, 24 जनवरी, 1973 तक बम्बई में अपनी बैठकों का आयोजन करने का निश्चय किया ।

समिति ने कलकत्ता और बम्बई में मौखिक साक्ष्य के लिये बुलायी जाने वाली पार्टियों का चयन करने के लिये सभापति को प्राधिकृत किया ।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

चौदह

चौदहवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 1 जनवरी, 1973 को 10.15 बजे से 13.30 बजे तक परिषद् चैम्बर, विधान सभा भवन, कलकत्ता में हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत बरुआ
3. श्री एच० के० एल० भगत
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री त्रिदिव चौधरी
6. श्री खेमचंद भाई चावड़ा
7. श्री गंगाचरण दीक्षित
8. श्रीमती बी० जयलक्ष्मी
9. श्री पोपंट लाल एम० जोशी
10. श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली
11. श्री जगन्नाथ मिश्र
12. श्री मोहम्मद शरीफ
13. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
14. श्री डी० के० पंडा
15. श्री नरसिंह नारायण पांडे
16. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव
17. श्री राम रतन शर्मा
18. श्री पी० रंगनाथ शिनाय

राज्य सभा

19. श्री सलिल कुमार गांगुली
20. श्री हर्षदेव मालवीय
21. श्री एस० एस० मरिस्वामी
22. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
23. श्रीमती सरस्वती प्रधान
24. श्री देव दत्त पुरी
25. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेशाई
26. श्री हिम्मत सिंह
27. श्री हबीब तनवीर
28. श्री महावीर त्यागी
29. डा० मुकुन्दराय व्यास
30. श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता**

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद—**सचिव**
2. श्री पी० पी० मेनन—**संयुक्त सचिव**
3. श्री एस० राव—**उप सचिव**
4. डा० (श्रीमती) उषा दर—**संयुक्त निदेशक**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—**उप सचिव**

2. समिति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया

(आरम्भ में सभापति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर दिलाया।)

एक. बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री ए० डब्लयू बी० हेवर्ड
2. श्री एस० चक्रवर्ती
3. श्री डी० के० बसु
4. श्री एस० के० गांगुली
5. श्री एम० घोष

[10.15 बजे से 11.55 बजे तक]

दो. इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एंड वर्कस एकाउटेंट्स आफ इंडिया, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री श्याम बनर्जी
2. श्री एम० आर० एस० आयांगर
3. श्री जी० के० अभ्यंकर
4. श्री एन० के० बोस
5. श्री बी० कल्याणरमण
6. श्री एस० के० मैत्रा

[11.55 बजे से 13.00 बजे तक]

तीन. चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स एसोसियेशन फोर नेशनलाइजेशन आफ आडिट प्रोफेसन एंड सर्विसेज कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री अरुण कुमार मुखर्जी
2. श्री इन्दुनाथ दास
3. श्री सुश्रुत मुखर्जी
4. श्री मानस कुमार बनर्जी
5. श्री समरेन्द्र नाथ पाठक

[13.00 बजे से 13.30 बजे तक]

3. साक्ष्य का शब्दश:* रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात समिति की बैठक मंगलवार, 2 जनवरी, 1973 को 10.00 बजे परिषद् चैम्बर, विधान सभा भवन, कलकत्ता में पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

पन्द्रह

पन्द्रहवी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 2 जनवरी, 1973 को 10.00 बजे से 13.30 बजे तक परिषद् चैम्बर, विधान- सभा भवन, कलकत्ता में हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत बरुआ
3. श्री एच० के० एल० भगत
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
6. श्री सी० चित्ति बाबू
7. श्री गंगा चरण दीक्षित
8. श्रीमति वी० जयलक्ष्मी
9. श्री पोपट लाल एम० जोशी
10. श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली
11. श्री जगन्नाथ मिश्र
12. श्री मोहम्मद शरीफ
13. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
14. श्री डी० के० पंड़ा
15. श्री नरसिंह नारायण पांडे
16. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव
17. श्री जगन्नाथ राव
18. श्री राम रतन शर्मा
19. श्री पी० रंगनाथ शिनाय
20. श्री बाबूराव जंगलूजी काले

राज्य सभा

21. श्री सलिल कुमार गांगुली
22. श्री हर्षदेव मालवीय
23. श्री एस० एस० मरिस्वामी
24. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
25. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
26. श्रीमति सरस्वती प्रधान
27. श्री देव दत्त पुरी
28. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेशाई
29. श्री हिम्मत सिंह
30. श्री महावीर त्यागी
31. डा० मुकुन्द राय व्यास
32. श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद— सचिव
2. श्री डी० पी० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री एस० राव—उपसचिव
4. डा० (श्रीमती) उपाध्याय—संयुक्त निदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव

2. समिति ने निम्नलिखित संस्थाओं, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया :

[आरम्भ में सभापति ने निम्नलिखित संस्थाओं, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर दिलाया ।]

एफ. बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री टी० पी० चक्रवर्ती
2. श्री जी० साहा
3. श्री मिलन कुमार मुकर्जी
4. श्री एम० सी० पोददार
5. श्री आर० एम० मित्रा
6. डा० बी० एन० घोष

[10.00 बजे से 12.00 बजे तक]

दो. इंस्टीट्यूट आफ कम्पनीज सेक्रेटरीज आफ इंडिया, नई दिल्ली

प्रवक्ता :

1. श्री आर० कृष्णन
2. श्री एल० आर० पुरी
3. श्री टी० वी० रामचन्द्रन
4. श्री पी० ए० एस० राव
5. श्री के० वी० सूर्यनारायणन्
6. श्री टी० पी० सुब्रामन्

[12.00 बजे से 13.00 बजे तक]

तीन. श्री एस० एस० कोठारी, भूतपूर्व संसद सदस्य

[13.00 बजे से 13.30 बजे तक]

3. साक्ष्य का शब्दश:* रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक बुधवार, 3 जनवरी, 1973 को 10.00 बजे परिषद् चैम्बर, विधान सभा भवन, कलकत्ता में पुन: समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

---

* सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

सोलह

सोलहवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 3 जनवरी, 1973 को 10.00 बजे से 13.15 बजे तक और पुनः 15.00 बजे से 17.15 बजे तक परिषद् चैम्बर, विधान सभा भवन, कलकत्ता में हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत बरुआ
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री खेमचंद भाई चावड़ा
6. श्री गंगाचरण दीक्षित
7. श्री बाबूराव जंगलूजी काले
8. श्री जगन्नाथ मिश्र
9. श्री मोहम्मद शरीफ
10. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव
11. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
12. श्री जगन्नाथ राव
13. श्री राम रतन शर्मा
14. श्री पी० रंगनाथ शिनाय
15. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

16. श्री सलिल कुमार गांगुली
17. श्री बी० टी० कुलकर्णी
18. श्री हर्षदेव मालवीय
19. श्री एस० एस० मरिस्वामी
20. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
21. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
22. श्रीमती सरस्वती प्रधान
23. श्री देव दत्त पुरी
24. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
25. श्री हिम्मत सिंह
26. श्री महावीर त्यागी
27. डा० मुकुन्द राय व्यास
28. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद—सचिव
2. श्री पी० पी० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एच० एस० राव—उप सचिव
4. डा० (श्रीमती) उषा दर—संयुक्त निदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव

2. समिति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया :

[आरम्भ में सभापति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के प्रावधानों की ओर दिलाया]

एक. इंडियन चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री आर० बी० शाह
2. श्री रणदेव चौधरी
3. श्री पी० एम० नारियलवाला
4. श्री जे० सिंघी
5. श्री आर० एस० लोधा
6. श्री सी० एस० पांडे
7. श्री मानव चौधरी

[10.15 बजे से 12.10 बजे तक]

दो. मर्चेन्ट्स चैम्बर्स आफ कामर्स, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री बी० एस० कोठारी
2. श्री डी० एम० कोठारी
3. श्री बी० पी० अग्रवाल
4. श्री एच० आर० बोस

[12.10 बजे से 12.50 बजे तक]

तीन. एसोसिएशन आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री एन० गांगुली
2. श्री एस० एस० सामंत
3. श्री के० पी० भौमिक
4. श्री ए० के० चक्रवर्ती

[12.50 से 13.15 बजे तक]

[समिति की बैठक 13.15 बजे दोपहर भोजन के लिये स्थगित हुई और 15.00 बजे पुनः आरम्भ हुई]

चार. इनकारपोरेटेड ला सोसाइटी, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री पी० डी० हिम्मत सिंहका
2. श्री आर० सी० कार
3. श्री बी० पी० खैतान

[15.00 बजे स 15.35 बजे तक]

पांच. चार्टर्ड इंस्टीट्यूट आफ सेक्रेट्रीज, इंडिया, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री वाई० वर्मा
2. श्री एस० के० वसु
3. श्री एस० राहा
4. श्री पी० के० आहलुवालिया
5. श्री ए० डे
6. श्री वी० सेन

[15.35 बजे से 16.00 बजे तक]

छः. एसोसिएशन आफ प्रैक्टाईजिंग कास्ट एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री ए० के० विश्वास
2. श्री बी० एल० मिश्र
3. श्री एस० एन० घोष
4. श्री आर० के० बोस
5. श्री ए० के० मित्रा

[16.00 बजे से 16.30 बजे तक]

सात. नेशनल फोरम आफ शेयर होल्डर्स, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री एम० सी० भंडारी
2. श्री चन्द्रवदन देसाई
3. श्री हरिगोपाल आचार्य
4. श्री जगमोहन शर्मा
5. श्री बंसी मोहन चट्टोराज

[16.30 बजे से 17.15 बजे तक]

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया*।

तत्पश्चात् समिति की बैठक गुरुवार, 4 जनवरी, 1973 को 10.00 बजे परिषद् चैम्बर, विधान सभा भवन, कलकत्ता में पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है।

सत्रह

सत्रहवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 4 जनवरी, 1973 को विधान सभा भवन, कलकत्ता, के काउन्सिल चैम्बर में 10-00 से 13.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत बरुआ
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री त्रिदिव चौधरी
5. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
6. श्री गंगाचरण दीक्षित
7. श्री बाबूराव जंगलूजी काले
8. श्री जगन्नाथ मिश्र
9. श्री मोहम्मद शरीफ
10. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव
11. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
12. श्री जगन्नाथ राव
13. श्री राम रतन शर्मा
14. श्री पी० आर० शिनाय
15. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

16. श्री सलिल कुमार गांगुली
17. श्री हर्षदेव मालवीय
18. श्री एस० एस० मारिस्वामी
19. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
20. श्री एम० के० मोहता
21. श्री हिम्मत सिंह
22. श्री महावीर त्यागी
23. डा० एम० आर० व्यास
24. श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद—सचिव
2. श्री पी० आर० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री एस० राव—उप सचिव
4. डा० (श्रीमती) उषा दर—संयुक्त सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजये—उप सचिव

2. समिति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया :

[प्रारम्भ में सभापति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया ।]

एक. भारत चेम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता ।

प्रवक्ता :

1. श्री राजाराम भिनवानी वाला, अध्यक्ष
2. श्री एस० बी० गोयन्का, कनिष्ठ उपाध्यक्ष
3. श्री आर० एन० बंगूर
4. श्री बी० वी० पोद्दार
5. डा० बी० मुकर्जी
6. श्री मोहन सिंघी
7. श्री के० सी० मुकर्जी, सचिव ।
8. श्री एन० साहा

(10.00 से 11.40 बजें तक)

दो. कलकत्ता, ट्रेड एसोसिएशन, कलकत्ता

प्रवक्ता :

1. श्री एस० के० मस्करा
2. श्री आर० एन० भादूरी
3. श्री सुमेरमल जैन
4. श्री पी० के० जालान

(11.40 से 12.15 बजे तक)

तीन. बार लायब्रेरी क्लब, कलकत्ता

प्रवक्ता :—

1. श्री एस० सी० सेन
2. श्री एस० बी० मुकर्जी

(12.15 बजे से 13.15 बजे तक)

3. *साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात् समिति ने पश्चिम बंगाल विधान सभा के सचिव, उनके रिपोर्टरों और अन्य कर्मचारियों की हार्दिक सराहना की जिन्होंने समिति को काउन्सिल चैम्बर में अपनी बैठकें करने में महत्वपूर्ण सहायता की थी ।

5. कलकत्ता में समिति की बैठकें कराने में कम्पनी कार्य विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा दी गई सहायता के लिये समिति ने उनकी सराहना की ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक 22 जनवरी, 1973 को बम्बई में समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

अठारह

अठारहवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 22 जनवरी, 1973 को 10.00 बजे से 13.30 बजे तक काउन्सिल हाल, बम्बई में हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत बरुआ
4. श्री त्रिदिव चौधरी
5. श्री खेम चन्द भाई चावड़ा
6. श्री सी० चित्ति बाबू
7. श्री एस० आर० दामाणी
8. श्री मधु दण्डावते
9. श्री जी० सी० दीक्षित
10. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
11. श्री पोपट लाल एम० जोशी
12. श्री बाबू राव जंगलूजी काले
13. श्री जगन्नाथ मिश्र
14. श्री सुरेन्द्र महन्ती
15. श्री मुहम्मद शरीफ
16. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी
17. श्री डी० के० पण्डा
18. श्री नरसिंह नारायण पांडे
19. श्री एच० एम० पटेल
20. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामाराव
21. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
22. श्री जगन्नाथ राव
23. श्री विश्वनाथ राय
24. श्री रंगनाथ शिनाय
25. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

26. श्री सलिल कुमार गांगुली
27. श्री बी० टी० कुलकर्णी
28. श्री हर्षदेव मालवीय
29. श्री एम० के० मोहता
30. श्रीमती सरस्वती प्रधान
31. श्री डी० डी० पुरी
32. श्री एस० जी० सरदेसाई
33. श्री हिम्मत सिंह

34. श्री हबीब तनवरी
35. श्री महावीर त्यागी
36. डा० एम० आर० व्यास
37. श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद---सचिव
2. श्री पी० वी० मेनन---संयुक्त सचिव
3. श्री एस० राव---उप सचिव
4. डा० (श्रीमती) उषा दर---संयुक्त निदेशक ।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे---उप सचिव

2. समिति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुना :

[प्रारम्भ में सभापति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया ।]

एक. दि इण्डियन मर्चेन्ट्स चेम्बर, बम्बई ।

प्रवक्ता :

1. श्री चरन दास वी० मारिवाला---अध्यक्ष
2. श्री जे० एच० दोशी
3. श्री जे० पी० थैकर
4. श्री एस० वी० घटालिया
5. श्री तनु भाई डी० देसाई
6. श्री सी० एल० घीवाला---सचिव
7. श्री एम० के० देसाई---उप सचिव
8. श्री एन० वाई० गायतोन्दे---सहायक सचिव

(10·00 से 12·10 बजे तक)

दो. श्री एच० वी० डोन्दी---चार्टर्ड अकाउन्टेंट, बम्बई ।

(12.10 से 12.40 बजे तक)

तीन. मिलओनर्स एसोसिएशन, बम्बई ।

प्रवक्ता :

1. श्री राम प्रसाद पोद्दार---उपाध्यक्ष ।
2. श्री प्रताप मोगी लाल
3. श्री सुधीर चोकरसी
4. श्री तनुभाई देसाई
5. श्री आर० एल० एन० विजयनगर---सचिव

(12. 40 से 13. 30 बजे तक)

3. साक्ष्य का* शब्दश: रिकार्ड रखा गया ।

4. समिति मंगलवार, 23 जनवरी, 1973 को 10·00 बजे काउन्सिल हाल, बम्बई में पुन: समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

उन्नीस

(उन्नीसवीं बैठक)

समिति की बैठक मंगलवार, 23 जनवरी, 1973 को 10·00 बजे से 13·30 बजे तक और फिर 15·00 बजे से 17.00 बजे तक काउन्सिल हाल, बम्बई में हुई ।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रद वरुआ
4. श्री त्रिदिव चौधरी
5. श्री खेम चन्दभाई चावड़ा
6. श्री सी० चित्ति बाबू
7. श्री एस० आर० दामाणी
8. श्री मधु दण्डवते
9. श्री गंगाचरण दीक्षित
10. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
11. श्री पोपट लाल एम० जोशी
12. श्री जगन्नाथ मिश्र
13. श्री सुरेन्द्र महन्ती
14. श्री मोहम्मद शरीफ
15. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी
16. श्री डी० के० पण्डा
17. श्री नरसिंह नारायण पांडे
18. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिराम राव
19. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
20. श्री जगन्नाथ राव
21. श्री विश्वनाथ राय
22. श्री पी० रंगनाथ शिनाय

22क. श्री एच० एम० पटेल

राज्य सभा

23. श्री सलिल कुमार गांगुली
24. श्री बी० टी० कुलकर्णी
25. श्री हर्षदेव मालवीय
26. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
27. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
28. श्रीमती सरस्वती प्रधान
29. श्री देवदत्त पुरी
30. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई

31. श्री हिम्मत सिंह
32. श्री महावीर त्यागी
33. डा० मुकुन्दराय व्यास

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद—सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री एस० राव—उप सचिव
4. डा० (श्रीमती) उषा दर—संयुक्त निदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव

2. समिति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया ।

(आरम्भ में सभापति ने निम्नलिखित एसोसिएशनों, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया) ।

(एक) **बाम्बे चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री, बम्बई ।**

प्रवक्ता :

1. श्री एम० एच मोदी—नेता
2. श्री एन० एस० फटारफकर
3. श्री एस० एच० गुरसाहनी
4. श्री डी० पी० मेहता

[10.00 बजे से 11.50 बजे तक]

(दो) **श्री एन० दाण्डेकर, आई० सी० एस० (सेवा निवृत) चार्टर्ड एकाऊंटेंट, बम्बई ।**

(11.50 बजे से 13.10 बजे तक) ।

(तीन) **स्टाक एक्सचेंज, बम्बई**

प्रवक्ता :

श्री फिरोज जमशेदजी जीजीभाय

[13.10 बजे से 13.30 बजे तक]

(समिति की बैठक दोपहर भोजन के लिये 13.30 बजे स्थगित हुई तथा 15.00 बजे पुनः समवेत हुई)

(चार) **दि कमेटी आफ यंगर पार्टनर्ज आफ दि ऐस्टेबलिश्ड आडिटिंग फर्मस, कलकत्ता ।**

प्रवक्ता :

1. श्री पी० एम० नारीलवाला—**चेयरमैन**
2. श्री एल० के० रत्न—**सचिव**
3. श्री वाई० एच० मालेगम्—**सदस्य**

(15.00 बजे से 15.40 बजे तक)

(पांच) **बाम्बे स्टडी सर्कल आन कारपोरेट ला एंड एलाइड सब्जेक्ट्स**

प्रवक्ता*—

1. श्री सी० सी० जोकशी —प्रेजीडेंट
2. श्री आर० पी० केदिया
3. श्री जे० ई० दस्तूर
4. श्री दिनेश मोदी

5. श्री एन० वी० आयर
6. श्री एन० सी० मेहता

[15.40 बजे से 16.10 बजे तक]

(छः) **मराठा चेम्बर आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज, पूना**

प्रवक्ता :

1. श्री जी० ए० ठक्कर
2. श्री एस० सी० चावला
3. श्री आर० एम० गांधी
4. श्री एम० एम० ठाकुर
5. श्री एस० आर० सोमवंशी
6. श्री के० एस० दनैत
7. श्री के० एस० भट्ट

(16.10 बजे से 16.45 बजे तक)

(सात) **बम्बई में कुछ सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के कम्पनी सेक्रेटरी**

प्रवक्ता :

1. श्री एस० एस० बोर्कर
2. श्री एन० डी० सोंद
3. श्री आर० एस० गांधी
4. श्री के० बी० दवके
5. श्री आर० डी० कुलकर्णी
6. श्री पी० एस० कानूनगो

[16.45 बजे से 17.00 बजे तक]

3. साक्ष्य का शब्दशः* रिकार्ड रखा गया ।
4. तत्पश्चात् समिति की बैठक 24 जनवरी, 1973 को 10.00 बजे कौंसिल हाल बम्बई में पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

---

*सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

बीस

बीसवीं बैठक

समिति की बैठक, बुधवार, 24 जनवरी, 1973 को 10.00 बजे से 13.45 बजे तक काउन्सिल हाल, बम्बई में हुई ।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत वरुआ
4. श्री त्रिदिव चौधरी
5. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
6. श्री एस० आर० दामाणी
7. श्री मधु दण्डवते
8. श्री गंगाचरण दीक्षित
9. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
10. श्री पोपट लाल एम० जोशी
11. श्री बाबूराव जंगलूजी काले
12. श्री जगन्नाथ मिश्र
13. श्री सुरेन्द्र महन्ती
14. श्री मोहम्मद शरीफ
15. श्री प्रियरंजन दास मुन्शी
16. श्री नरसिंह नारायण पांडे
17. श्री एच० एम० पटेल
18. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिराम राव
19. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
20. श्री विश्वनाथ राय
21. श्री पी० रंगानाथ शिनाय

राज्य सभा

22. श्री सलिल कुमार गांगुली
23. श्री बी० टी० कुलकर्णी
24. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
25. श्रीमती सरवस्ती प्रधान
26. श्री डी० डी० पुरी
27. श्री हिम्मत सिंह
28. श्री हबीब तनवीर
29. श्री महावीर त्यागी
30. डा० एम० आर० व्यास

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद—सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री एस० राव—उप सचिव
4. डा० (श्रीमती) उषा दर—संयुक्त निदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे–उप सचिव

2. समिति के निम्नलिखित संस्थाओं, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया :

[आरम्भ में सभापति ने निम्नलिखित संस्थाओं, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का घ्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया]

(एक) **प्रो० के० टी० मर्चेंट, सदस्य, कम्पनी विधि सलाहकार समिति**

[10. 00 बजे से 11. 35 बजे तक]

(दो) **श्री एफ० जी० निगवाला निगम विधि सलाहकार बम्बई**

[11. 35 बजे से 11. 55 बजे तक]

(तीन) **इण्डो अमेरिकन चैम्बर आफ कामर्स, बम्बई**

प्रवक्ता :

1. श्री जे० बी० दादाचन्जी
2. श्री सी० एस० विद्याशंकर
3. श्री ए० आर० बरटन
4. डा० बी० वी० भूटा

[11. 55 बजे से 12. 40 बजे तक]

(चार) **बम्बई शेयरहोल्डर्स एसोसियेशन, बम्बई**

प्रवक्ता :

1. श्री तनुभाई डी० देसाई–– **अध्यक्ष**
2. श्री घीरजलाल मेगनलाल––**उपाध्यक्ष**
3. श्री जे० सी० मश्रीवाला–– **सचिव**
4. श्री जे० डी० मेहता–– **सचिव**
5. श्री एच० बी० पेरियरा––**सहायक सचिव**

[12. 40 बजे से 13. 00 बजे तक]

(पांच) **वेस्टर्न इंडिया यंग चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फोरम, बम्बई**

प्रवक्ता :

1. श्री जगेश देसाई
2. श्री बंसीलाल कुचेरिया
3. श्री राजकुमार एच० अच्छिपालिया

[13. 00 बजे से 13. 40 बजे तक]

3. साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड * रखा गया ।

4. समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि कम्पनी कार्य विभाग समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान विभिन्न साक्षियों द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार तैयार करे । समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि कम्पनी कार्य विभाग साक्षियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर अपने विचार समिति के सदस्यों को भेजने के लिये लोक सभा सचिवालय को भेजे ।

5. समिति ने इसके बाद निर्णय किया कि व्याख्यात्मक टिप्पणों सहित विधेयक से सम्बन्धित सरकारी संशोधन, यदि कोई हों, भी 5 फरवरी, 1973 से पहले समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराये जायें ।

6. तत्पश्चात् समिति ने कोंसिल हाल, बम्बई में बैठकें आयोजित करने में महाराष्ट्र विधानमण्डल के सचिव तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा उसको दी गई बहुमूल्य सहायता की हार्दिक सराहना की ।

7. समिति ने बम्बई में बैठकें आयोजित करने में कम्पनी कार्य विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा उसको दी गई सहायता की भी सराहना की ।

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

---

* सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

इक्कीस

इक्कीसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 7 फरवरी, 1973 को 11·00 बजे से 12·00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत बरुआ
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
6. श्री एस० आर० दामाणी
7. श्री मधु दंडवते
8. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
9. श्री पोपट लाल एम० जोशी
10. श्री जगन्नाथ मिश्र
11. श्री सुरेन्द्र महन्ती
12. श्री मोहम्मद शरीफ
13. श्री जगन्नाथ राव
14. श्री विश्वनाथ राय
15. श्री राम रतन शर्मा
16. श्री पी० आर० शिनाय
17. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

18. श्री सलिल कुमार गांगुली
19. श्री बी० टी० कुलकर्णी
20. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
21. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
22. श्री देवदत्त पुरी
23. श्री श्रीनिवास गणेश सर देसाई
24. श्री हिम्मत सिंह
25. श्री महावीर त्यागी
26. श्री मुकुन्द राय व्यास

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता।

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री आर० प्रसाद— सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एच० एस० राव—उप सचिव
4. डा० (श्रीमती) उषा दर—संयुक्त निदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे--उप सचिव

2. विधि और न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले और विधि और न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री डी० आर० चव्हाण ने, जो समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया । कुछ विचार विमर्श के पश्चात् समिति ने अनुभव किया कि समिति के लिये निर्धारित तिथि अर्थात् 23 फरवरी, 1973 तक कार्य पूरा कर सकना संभव नहीं होगा । अतः समिति ने निश्चय किया कि वर्षाकालीन सत्र 1973 के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने का अनुरोध किया जाए ।

समिति ने सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री एस० आर० दामाणी को संसद में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

4. समिति ने यह निश्चय भी किया कि मार्च, 1973 में कुछ और एसोसिएशनों, संगठनों का और मौखिक साक्ष्य लिया जाए ।

समिति ने सभापति को प्राधिकृत किया कि मौखिक साक्ष्य हेतु संगठनों इत्यादि का चयन किया जाए और समिति की आगामी बैठको की तिथियां भी निर्धारित की जाए ।

5. समिति ने यह निश्चय भी किया कि समिति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों में तथा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रश्नों पर सामान्य रूप से विचार करने के लिये अप्रैल, 1973 में एक अथवा दो बैठकें की जाएं ।

6. समिति ने आगामी अंतर सत्रावधि में विधेयक पर खंडवार विचार प्रारम्भ करने का निश्चय किया ।

7. समिति ने निश्चय किया कि —

(एक) समिति ने समक्ष दिए गए साक्ष्य को मुद्रित किया जाए और दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाए और

(दो) समिति का प्रतिवेदन सदस्यों के देखने के लिये सदन में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् समिति को विभिन्न एसोसिएशनों, संगठनों इत्यादि से प्राप्त ज्ञापनों की दो प्रतियां सदस्यों के हवाले के लिये संसद ग्रन्थालय में रखी जाएं ।

8. अन्त में समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

"समिति श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी द्वारा समिति के सदस्य और कम्पनी कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में समिति की कार्यवाही के दौरान दी गई सहायता और सलाह की अत्याधिक प्रशंसा करती है ।"

समिति ने श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी को उपर्युक्त प्रस्ताव भेजने हेतु सभापति को प्राधिकृत किया ।

9. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

बाईस

बाईसवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार 11 मई, 1973 को 10.00 बजे से 10.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत वरुआ
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री गंगा चरण दीक्षित
6. श्री बाबूराव जंगलूजी काले
7. श्री जगन्नाथ मिश्रा
8. श्री सुरेन्द्र महन्ती
9. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिराम राव
10. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
11. श्री विश्वनाथ राय
12. श्री पी० आर० शिनाय
13. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

14. श्री सलिल कुमार गांगुली
15. श्री बी० टी० कुलकर्णी
16. श्री हर्ष देव मलविय
17. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
18. श्री देवदत्त पूरी
19. डा० मुकुन्द राय व्यास

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा— संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री वाई० टी० शाह—सचिव।
2. श्री पी० बी० मेनन— संयुक्त सचिव।
3. श्री एन० के० सेन गुप्त—निदेशक।
4. श्री सी० एम० नारायणन—जांच और निरीक्षण निदेशक।
5. श्री एच० डी० पंजवानी–उप सचिव।
6. डा० (श्रीमती) उषा दर—संयुक्त निदेशक।
7. श्री सी० आर० डी० मेनन—संयुक्त निदेशक।
8. श्री एम० सी० वर्मा–सचिव, कम्पनी विधि बोर्ड।
9. श्री एस० सी० भारद्वाज— उप निदेशक।

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—उप सचिव ।

2. समिति ने अपने अगले कार्यक्रम पर विचार किया । कुछ विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने यह निश्चय किया कि बुधवार 13 जून से शनिवार 16 जून, 1973 तक बंगलौर या त्रिवेन्द्रम में; जहां स्थान भी उपलब्ध हो; बाकी असोसिएशनों, संगठनों और सरकारी वित्तीय संस्थानों आदि का मौखिक साक्ष्य लिया जाए ।

3. समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि सरकारी संशोधनों की सूचना और तत्संबन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणियां समिति के सदस्यों को शनिवार 23 जून, 1973 तक उपलब्ध करा दी जायें । यदि कोई सदस्य अपने संशोधनों की सूचना भेजना चाहें तो वे अधिक से अधिक शनिवार, 30 जून, 1973 तक लोक सभा सचिवालय में भिजवा दें ।

4. तत्पश्चात् समिति ने यह निश्चय किया कि सोमवार, 9 जुलाई, 1973 से एक सप्ताह तक विधेयक पर खण्ड वार विचार किया जाये । समिति ने यह भी निश्चय किया कि इस प्रयोजन के लिये बैठके श्रीनगर या शिमला में; जहां भी स्थान उपलब्ध हो, आयोजित की जायें ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

तेईस

तेईसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार 13 जून, 1973 को 11.00 बजे से 13.15 बजे तक कमेटी रूम, ओल्ड लेजिसलेटर्स होस्टल, मद्रास में हुई ।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत बरुआ
3. श्री के० एस० चावडा
4. श्री सी० चित्तिबाबू
5. श्री मधु दण्डवते
6. श्री गंगा चरण दीक्षित
7. श्री पोपटलाल एम० जोशी
8. श्री रामचन्द्रन कड़नापल्ली
9. श्री बाबूराव जंगलूजी काले
10. श्री जगन्नाथ मिश्रा
11. श्री मोहम्मद शरीफ
12. श्री नरसिंह नारायण पांडे
13. श्री पट्टाभिरामा राव
14. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
15. श्री जगन्नाथ राव
16. श्री विश्वनाथ राय
17. श्री राम रतन शर्मा
18. श्री पी० आर० शिनाय
19. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

20. श्री बी० टी० कुलकर्णी
21. श्री हर्ष देव मालविय
22. श्री एस० एस० मरिस्वामी
23. श्रीमती सरस्वती प्रधान
24. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
25. श्री एच० एम० त्रिवेदी
26. श्री महावीर त्यागी
27. डा० मुकुन्द राय व्यास

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा— संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० बी० मेनन—**संयुक्त सचिव ।**

2. श्री सी० एम० नारायणन —**जांच और निरीक्षण निदेशक ।**

3. श्री सी० आर० डी० मेनन— **संयुक्त निदेशक ।**

4. डा० (श्रीमती) उषा धर—**संयुक्त निदेशक ।**

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे—**उप सचिव ।**

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री, श्री एच० आर० गोखले ने, जो समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार समिति के सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. आरम्भ में सभापति ने इस्पात और खान मंत्री श्री एस० मोहन कुमारमंगलम और संसद सदस्य श्री के० बालतण्डायुतम की 31 मई, 1973 को हुई आकस्मिक मृत्यु के बारे में समिति को सूचित किया । इसके पश्चात् समिति ने निम्नलिखित शोक प्रस्ताव पारित किया :

> "समिति 31 मई, 1973 को अपने अत्यन्त सम्मानित सहयोगियों, इस्पात और खान मंत्री, श्री एस० मोहन कुमारमंगलम और संसद सदस्य, श्री के० बालतण्डायुतम के निधन पर शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजती है ।" सदस्य कुछ देर तक मौन खड़े रहे ।

4. समिति द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थानों के निम्नलिखित प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिए जाने से पूर्व सभापति ने उनका ध्यान अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निदेशों के निदेश 58 की ओर दिलाया :

1. श्री वी० वी० चारी—रिजर्व बैंक आफ इंडिया, के डिप्टी गवर्नर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उपाध्यक्ष ।
2. श्री एच० टी० पारिख—भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के अध्यक्ष ।
3. श्री जेम्स राज—यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के अध्यक्ष ।
4. श्री वी० वी० दिवेचा—भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के मुख्य विधि अधिकारी ।
5. साक्ष्य 13.15 बजे तक चलता रहा ।
6. साक्ष्य का शब्दश : रिकार्ड रखा गया ।
7. समिति की बैठक गुरुवार, 14 जून, 1973 को 11.00 बजे, कमेटी रूम, ओल्ड लेजिसलेटर्स होस्टल, मद्रास में पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई ।

चौबीस

चौबीसवीं बैठक

समिति की बैठक, गुरुवार, 14 जून, 1973 को समिति कक्ष, ओल्ड लेजिसलेटरस होस्टल, मद्रास में 11.00 से 13.30 बज तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा— **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत वरूआ
3. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
4. श्री मधु दण्डवते
5. श्री गंगाचरण दीक्षित
6. श्री पोपट लाल एम० जोशी
7. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
8. श्री बाबू राव जंगलूजी काले
9. श्री जगन्नाथ मिश्र
10. श्री मोहम्मद शरीफ
11. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
12. श्री नरसिंह नारायण पांडे
13. श्री एस० वी० पी० पट्टाभिराम राव
14. श्री आर० वालकृष्ण पिल्ले
15. श्री जगन्नाथ राव
16. श्री विश्वनाथ राय
17. श्री राम रतन शर्मा
18. श्री रंगनाथ शिनाय
19. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

20. श्री वी० टी० कुलकर्णी
21. श्री हर्षदेव मालदीय
22. श्री एस० एस० मरिस्वामी
23. श्रीमती सरस्वती प्रधान
24. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
25. श्री एच० एम० त्रिवेदी
26. श्री महावीर त्यागी
27. डा० मुकुन्द राय व्यास

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा—**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता।**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० बी० मैनन—**संयुक्त सचिव**
2. श्री सी० एम० नारायणन—**जांच तथा निरीक्षण निदेशक**
3. श्री सी० आर० डी० मैनन—**संयुक्त निदेशक**
4. डा० (श्रीमती) उषा धर—**संयुक्त सचिव**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—**उप-सचिव**

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने, जो समिति के सदस्य नहीं थे, लोक-सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. समिति ने निम्नलिखित संस्थाओं, संगठनों, आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया:—

[आरम्भ में सभापति ने संस्थाओं, संगठनों, आदि के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया]

1. **मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, मद्रास**

प्रवक्ता :

1. श्री ए० के० सिवारामकृष्णन
2. श्री सी० एस० विद्याशंकर
3. श्री आर० एन० रत्नम

[11.00 से 11.30 बजे तक]

2. **साउदर्न इण्डिया चैम्बर आँफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, मद्रास**

प्रवक्ता :

1. श्री एस० नारायनास्वामी—अध्यक्ष
2. श्री एन० सी० कृष्णन
3. श्री आर० वेंकटेसन
4. श्री के० वी० श्रीनिवासन

[11.30 से 12.40 बजे तक]

3. **मद्रास स्टाँक एक्सचेंज लिमिटेड, मद्रास**

प्रवक्ता :

1. श्री जे० वी० सोमायाजुलू—**अध्यक्ष**
2. श्री एम० एस० शिव सुब्रामण्यम—**उपाध्यक्ष**
3. श्री ई० बी० राजगोपालन—**परिषद सदस्य**
4. श्री इ० आर० कृष्णामूर्ति—**कार्यकारी निदेशक**
5. श्री वाई० सुन्द्रर बाबू—सचिव

[12.40 से 13.30 बजे तक]

4. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक समिति कक्ष, ओल्ड लेजिसलेटरस, होस्टल, मद्रास, में शुक्रवार, 15 जून, 1973 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

पच्चीस

पच्चीसवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 15 जून, 1973 को समिति कक्ष ग्रोल्ड लेजिसलेटरस होस्टल, मद्रास में 11.00 बजे से 13.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा —.सभापति

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री वेदव्रत बरूआ
3. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
4. श्री सी० चित्तिबाबू
5. श्री मधु दण्डवते
6. श्री गंगा चरण दीक्षित
7. श्री पोपट लाल एम० जोशी
8. श्री रामचन्द्रन कड़नापल्ली
9. श्री बाबू राव जंगलूजी काले
10. श्री जगन्नाथ मिश्र
11. श्री मोहम्मद शरीफ
12. श्री प्रियरंजन दास मुंशी
13. श्री नरसिंह नारायण पाडें
14. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामराव
15. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
16. श्री जगन्नाथ राव
17. श्री विश्वनाथ राय
18. श्री राम रतन शर्मा
19. श्री रंगनाथ शिनाय
20. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

21. श्री हर्षदेव मालवीय
22. श्री एस० एस० मरिस्वामी
23. श्रीमती सरस्वती प्रधान
24. श्री एच० एम० त्रिवेदी
25. श्री महाबीर त्यागी
26. डां० मुकुन्द राय व्यास

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री पी० बी० मेनन — संयुक्त सचिव
2. श्री सी० एम० नारायण — जांच तथा निरीक्षण निदेशक
3. श्री सी० आर० डी० मेनन — संयुक्त निदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे — उप सचिव

2. समिति ने निम्नलिखित संस्थाओं, संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया :

[आरम्भ में सभापति ने संस्थाओं, संगठनों, आदि के प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया]

(1) मद्रास शेयरहोल्डरस एसोसिएशन, मद्रास

प्रवक्ता :

1. श्री एस० अन्नास्वामी
2. श्री बी० एम० थॉमस्
3. श्री सी० मुथिया

(11.00 से 12.00 बजे तक)

(2) मैसूर चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बंगलौर

प्रवक्ता :

1. श्री जी० रामरतनम — अध्यक्ष
2. श्री जे० श्रीनिवासन
3. श्री एच० सी० नागभाषाना

(12.00 बजे से 13.30 बजे तक)

3. साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक शनिवार, 16 जून, 1973 को समिति कक्ष, ओल्ड लेजिसलेटरस होस्टल, मद्रास में 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

छब्बीस

छब्बीसवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 16 जून, 1973 को 11.00 बजे से 13.30 बजे तक ओल्ड लेजसलेटर्स होस्टल, मद्रास के समिति कक्ष में हुई ।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा --- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत बरूआ
3. श्री खेम चन्द भाई चावड़ा
4. श्री मधु दण्डवते
5. श्री गगां चरण दीक्षित
6. श्री पोपट लाल एम० जोशी
7. श्री बाबूराव जांगलूजी काले
8. श्री जगन्नाथ मिश्र
9. श्री मोहम्मद शरीफ
10. .श्री प्रियरंजनदास मुंशी
11. श्री नर्रासिह नारायण पांडे
12. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामराव
13. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
14. विश्वनाथ राय
15. श्री राम रतन शर्मा
16. श्री पी० रंगनाथ शिनाय

राज्य सभा

17. श्री बी० टी० कुलकर्णी
18. श्री हर्षदेव मालवीय
19. श्री मती सरस्वती प्रधान
20. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसायी
21. श्री महावीर त्यागी
22. डा० मुकन्दराय व्यास

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्ता --- संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता ।

विधि, न्याय और समवाय-कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि (समवाय-कार्य विभाग)

1. श्री पी० बी० मैनन --- संयुक्त सचिव
2. श्री सी० एम० नारायणन --- जांच पड़ताल तथा निरीक्षण निदेशक
3. श्री सी० आर० डी० मैनन --- संयुक्त निदेशक
4. डा० (श्रीमती) ऊषा दर --- संयुक्त निदेशक

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे --- उप सचिव

2. विधि, न्याय और समवाय-कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से समिति की बैठक में भाग लिया

3. समिति ने निम्नलिखित संघों (एसोसिएशनों) , संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का साक्ष्य सुना :—

[प्रारंभ में सभापति ने संघों (एसोसिएशनों) , संगठनों आदि के प्रतिनिधियों का ध्यान लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के निदेश 58 के उपबन्धों की ओर दिलाया ।]

एक. अहमदाबाद मिल ओनर्स' एसोसिएशन, अहमदाबाद ।

प्रवक्ता :

1. श्री एन० वी० अटयर
2. श्री आर० एम० देव

(11.00 बजे से 12.05 बजे तक)

दो. मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, इन्दौर

प्रवक्ता :

1. श्री ई० बी० देसाई
2. श्री डी० एन० मखरिया

तीन. सेन्ट्रल इण्डिया चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, उज्जैन ।

प्रवक्ता :

1. श्री एस० वी० मजूमदार
2. श्री एम० डी० गुप्त
3. श्री डी० एन० मखरिया

(12.05 बजे से 13.15 बजे तक)

4. साक्ष्य का शब्दशः * अभिलेख रखा गया ।

5. सभापति ने घोषणा की कि 11 मई, 1973 को हुई समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सरकारी संशोधनों की सूचनायें तथा उन पर व्याख्यात्मक टिप्पण 23 जून, 1973 तक समिति के सदस्यों को उपलब्ध किये जायेंगे और यदि सदस्यों को अपनी ओर से संशोधनों की कोई सूचनायें देनी हों, तो वे उन्हें 30 जून, 1973 तक लोक सभा सचिवालय को भेज सकते हैं । समिति 9 जुलाई, 1973 से विधेयक पर खण्ड-वार विचार प्रारंभ करेगी ।

6. तत्पश्चात् समिति ने ओल्ड लेजिस्लेटर्स होस्टल, मद्रास में समिति की बैठकें आयोजित करने के संबंध में तमिलनाडु विधान सभा के सचिव, उसके रिपोर्टरों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई बहुमूल्य सहायता की सराहना की ।

7. समिति ने, समिति की बैठकें आयोजित करने के संबंध में राज्य सरकार, समवाय कार्य विभाग के अधिकारियों तथा समवायविधि, बोर्ड, मद्रास के प्रादेशिक निदेशक तथा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई बहुमूल्य सहायता की भी सराहना की इन लोगों ने इस निमित्त कोई कसर उठा नहीं रखी थी कि मद्रास में रहते हुए समिति के सदस्यों को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाये ।

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

---

* सदस्यों को अलग से भेजा जा रहा है ।

सत्ताईस

(सत्ताईसवीं बैठक)

समिति की बैठक सोमवार 9 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे से 10.30 बजे तक हुई ।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत बरुआ
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री एस० आर० दामाणी
6. श्री मधु दंडवते
7. श्री गंगा चरण दीक्षित
8. श्री मोहम्मद शरीफ
9. श्री नरसिंह नारायण पांडे
10. श्री एच० एम० पटेल
11. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामराव
12. श्री जगन्नाथ राव

राज्य सभा

13. श्री सलिल कुमार गांगुली
14. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
15. श्री महेन्द्र कुमार मोहता
16. श्री देवदत्त पुरी
17. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
18. श्री महावीर त्यागी
19. श्री मुकुन्द राय व्यास

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा—**संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता**
2. श्री एन० एल० वैद्यनाथन—**अपर विधायी परामर्शदाता**

कम्पनी काय विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री पी० बी० मेनन—**संयुक्त सचिव**
2. श्री सी० एच० एस० राव—**उप सचिव**
3. डा० (श्रीमती) उषा दर—**संयुक्त निदेशक**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—**उप सचिव**

2. विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में उपस्थित हुए ।

3. समिति ने विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री डी० आर० चव्हाण की मृत्यु पर शोक प्रकट किया निम्नलिखित शोकप्रस्ताव पारित किया :

"समिति अपने सम्मानित सहयोगी श्री डी० आर० चव्हाण, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के 8 जुलाई, 1973 को हुए आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवार को अपनी हार्दिक संवेदना भेजती है।"

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर शान्त खड़े रहे ।

4. तदुपरांत समिति की बैठक 10 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे पुन : समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई ।

अट्ठाईस

(अट्ठाईसवीं बैठक)

समिति की बैठक मंगलवार, 10 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे से 13.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत बरूआ
3. श्री एच० के० एल० भगत
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री त्रिदिब चौधरी
6. श्री खेम चन्द भाई चावड़ा
7. श्री एस० आर० दामाणी
8. श्री मधु दण्डवते
9. श्री गंगा चरण दीक्षित
10. श्री पोपट लाल एम० जोशी
11. श्री सुरेन्द्र महन्ती
12. श्री मोहम्मद शरीफ
13. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
14. श्री नरसिंह नारायण पांडे
15. श्री एच० एम० पटेल
16. श्री एस० वी० पी० पट्टाभिरामराव
17. श्री जगन्नाथ राव
18. श्री विश्वनाथ राय
19. श्री राम रतन शर्मा
20. श्री पी० रंगनाथ शिनाय
21. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

22. श्री सलिल कुमार गांगुली
23. श्री वी० टी० कुलकर्णी
24. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
25. श्री एम० के० मोहता
26. श्रीमती सरस्वती प्रधान
27. श्री देवदत्त पुरी
28. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
29. श्री हिम्मत सिंह
30. श्री एच० एम० त्रिवेदी
31. श्री महावीर त्यागी
32. डा० मुकुन्द राय व्यास

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री एन० एल० वैद्यनाथन—अपर विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री जी० बी० मेनन—संयुक्त सचिव
2. श्री सी० एच० एस० राव—उप सचिव
3. डा० (श्रीमती) उषा दर—संयुक्त निदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उपसचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले जो कि इस समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के उपबन्ध के अधीन सभापति की अनुमति से बैठक में उपस्थित हुये ।

3. कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार करने के पूर्व विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर सामान्य चर्चा करने का निर्णय किया ।

तदनुसार, समिति ने विधेयक के खण्ड 2 से 4 खण्डों के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों पर सामान्य चर्चा आरम्भ की ।

4. तत्पश्चात समिति की बैठक पुनः 11 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

उनतीस

(उनतीसवीं बैठक)

समिति की बैठक बुधवार, 11 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे से 13.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा--सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वदव्रत वरुआ
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
5. श्री एस० आर० दामाणी
6. श्री मधु दंडवते
7. श्री गंगा चरण दीक्षित
8. श्री पोपट लाल एम० जोशी
9. श्री जगन्नाथ मिश्र
10. श्री सुरेन्द्र महन्ती
11. श्री मोहम्मद शरीफ
12. श्री नरसिंह नारायण पांडे
13. श्री एच० एम० पटेल
14. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामराव
15. श्री जगन्नाथ राव
16. श्री विश्वनाथ राय
17. श्री रामरतन शर्मा
18. श्री पी० रंगनाथ शिनाय
19. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

20. श्री बी० टी० कुलकर्णी
21. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
22. श्री एम० के० मोहता
23. श्रीमती सरस्वती प्रधान
24. श्री देवदत्त पुरी
25. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
26. श्री हिम्मत सिंह
27. श्री एच० एम० त्रिवेदी
28. श्री महावीर त्यागी
29. डा० मुकुन्दराय व्यास

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा--संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री एन० एल० वैद्यनाथन्--अपर विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री पी० बी० मेनन--संयुक्त सचिव
2. श्री सी० एच० एस० राव--उप सचिव

3. डा० (श्रीमती) उषा दर---**संयुक्त निदेशक**

4. श्री सी० आर० डी० मेनन---**संयुक्त निदेशक**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे--- **उप सचिव**

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने, जो समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 58 के परन्तुक के अनुसार समिति के सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. आरम्भ में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने विधेयक के खण्ड 2 से 4 के संबध में सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के संबध में अपने अन्तिम विचार स्पष्ट किये । तत्पश्चात् समिति ने विधेयक के खण्ड 5 से 10 तक के सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधनों पर सामान्य चर्चा की । खण्ड 10 पर चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक 12 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

तीस

तीसवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 12 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे से 13.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवलकिशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत बरुआ
3. श्री एच० के० एल० भगत
4. श्री एस० आर० दामाणी
5. श्री मधु दंडवते
6. श्री गंगाचरण दीक्षित
7. श्री पोपट लाल एम० जोशी
8. श्री बाबू राव जांगलूजी काले
9. श्री जगन्नाथ मिश्र
10. श्री सुरेन्द्र महन्ती
11. श्री मोहम्मद शरीफ
12. श्री नरसिंह नारायण पांडे
13. श्री एच० एम० पटेल
14. श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामराव
15. श्री जगन्नाथ राव
16. श्री विश्वनाथ राय
17. श्री रामरतन शर्मा
18. श्री रंगनाथ शिनाय
19. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

20. श्री सलिल कुमार गांगुली
21. श्री बी० टी० कुलकर्णी
22. श्री हर्षदेव मालवीय
23. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
24. श्री एम० के० मोहता
25. श्रीमती सरस्वती प्रधान
26. श्री देवदत्त पुरी
27. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
28. श्री हिम्मत सिंह
29. श्री एच० एम० त्रिवेदी
30. श्री महावीर त्यागी

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा— संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री एन० एल० वैद्यनाथन— अपर विधायी परामर्शदाता

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री पी० वी० मैनन—संयुक्त सचिव
2. श्री एस० राव— उप सचिव
3. डा० (श्रीमती) ऊषादर— संयुक्त निदेशक
4. श्री सी० आर० डी० मेनन—संयुक्त निदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे— उप सचिव

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने , जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. आरम्भ में समिति ने निर्णय किया कि शनिवार, 14 जुलाई 1973 के लिये निर्धारित बैठक रद्द कर दी जाए ।

4. तत्पश्चात विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने बिधेयक के खण्ड 5 से 9 तक के बारे में सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में अस्थायी रूप से अपने विचार व्यक्त किये । उसके बाद समिति ने विधेयक के खण्ड 10 से 17 तक के सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधन पर सामान्य चर्चा आरम्भ की ।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक 13 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

———

इकतीस

(इकत्तीसवीं बैठक)

समिति की बैठक शुक्रवार, 13 जुलाई, 1973 को 10.00 बजे से 13.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा---सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत बरुआ
3. श्री एम० आर० दामाणी
4. श्री श्री मधु दण्डवते
5. श्री गंगाचरण दीक्षित
6. श्री बाबू राव जे० काले
7. श्री जगन्नाथ मिश्र
8. श्री सुरेन्द्र महन्ती
9. श्री मोहम्मन्द शरीफ
10. श्री प्रियरंजन दास मुन्शी
11. श्री नरसिंह नारायण पान्डे
12. श्री एच० एम० पटेल
13. श्री एच० बी० पी० पट्टाभिरामराव
14. श्री जगन्नाथ राव
15. श्री विश्वनाथ राय
16. श्री रामरतन शर्मा
17. श्री रंगनाथ शिनाय
18. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

19. श्री सलिल कुमार गांगुली
20. श्री बी० टी० कुलकर्णी
21. श्री हर्षदेव मालवीय
22. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
23. श्रीमती सरस्वती प्रधान
24. श्री देव दत्त पुरी
25. श्री हिम्मत सिंह
26. श्री महावीर त्यागी
27. श्री मीर स्वामी

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा---संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता।
2. श्री एल० एन० वैद्यनाथन---अपर विधायी परामर्शदाता।

कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि

1. श्री पी० वी० मैनन---संयुक्त सचिव
2. श्री सी० एच० एस० राव---उप सचिव।

3. डा० (श्रीमती) उषा दर---संयुक्त निदेशक ।

4. श्री सी० आर० डी० मैनन---संयुक्त निदेशक ।

सचिवालय

श्री हरिमोपाल परांजपे---उपसचिव

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में उपस्थित हुए।

3. आरम्भ में विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने बताया कि खण्ड 10 से 17 तक के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में वह अपने विचार बाद में किसी दिन बतायेंगे। तत्पश्चात् समिति ने विधेयक के खण्ड 18 से 39 तक के सम्बन्ध में प्रस्तावित संशोधनों पर सामान्य चर्चा पुनः प्रारम्भ की।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

बतीस

बतीसवीं बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 21 जुलाई, 1973 को 14.00 से 15.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—**सभापति**

सदस्य

लोक-सभा

2. श्री वेदव्रत वरुआ
3. श्री एच० के० एल० भगत
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री त्रिदिब चौधरी
6. श्री खेमचन्द भाई चावडा
7. श्री मधु दन्डवते
8. श्री गंगारचण दीक्षित
9. श्रीराम चन्द्रन कड़डनापली
10. श्री जगन्नाथ मिश्र
11. श्री सुरेन्द्र महन्ती
12. श्री मोहम्मद शरीफ
13. श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय
14. श्री एच० एम० पटेल
15. श्री जगन्नाथ राव
16. श्री विश्वनाथ राव
17. श्री पी० एम० सईद
18. श्री पी० रंगनाथ शिनाय
19 श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

20. श्री सलिल कुमार गांगुली
21. श्री हर्षदेव मालवीय
22. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
23. श्री देवदत्त पुरी
24. श्री एस० जी० सरदेसाई
25. श्री हिम्मत सिंह
26. श्री एच० एम० त्रिवेदी
27. श्री महावीर त्यागी
28. डा० मुकुन्द राय व्यास

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा—**संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता।**
2. श्री एन० एल० वैद्यनाथन—**अपर विधायी परामर्शदाता।**

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० रे—सचिव
2. श्री पी० बी० मैनन—**संयुक्त सचिव।**

3. श्री सी० एच० एस० राय--उप सचिव

4. डा० (श्रीमती) उषा दर--संयुक्त निदेशक

5. श्री सी० आर० डी० मैनन--संयुक्त निदेशक

सचिवालय

श्री हरि गोपाल परांजपे--उप सचिव

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में उपस्थित हुए।

3. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने विधेयक के विभिन्न खण्डों के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति स्पष्ट की।

4. समिति ने यह निर्णय किया कि सदस्यों से अब तक प्राप्त संशोधनों की सूचनाओं को रद्द समझा जाये तथा सदस्यों को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए संशोधनों की नई सूचनायें देनी चाहिएं।

5. तत्पश्चात् समिति ने कार्य के अपने भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार किया तथा यह निर्णय किया :--

(एक) सरकारी संशोधनों की सूचनायें प्राप्त करने की अन्तिम तारीख	26-7-1973
(दो) सदस्यों से संशोधनों की सूचनायें प्राप्त करने की अन्तिम तारीख	7-8-1973
(तीन) विधेयक पर खण्डवार विचार	16-8-1973 और उससे आगे

6. समिति ने यह अनुभव किया कि क्योंकि अभी उसे विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करना है अतः निर्धारित तिथि अर्थात् 30 जुलाई, 1973 तक उसके लिए कार्य पूरा कर पाना सम्भव नहीं होगा और इसलिए उसने यह निश्चय किया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को जुलाई-अगस्त सत्र, 1973 के अन्तिम दिन तक बढ़ाने के लिए कहा जाये।

7. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० के० सिन्हा को सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तैंतीस

तैंतीसवीं बैठक

समिति की बैठक गुरूवार, 16 अगस्त, 1973 को 9.30 बजे से 10.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा–सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री वेदव्रत वरुआ
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री एस० आर० दामाणी
6. श्री जगन्नाथ मिश्र
7. श्री डी० के० पंडा
8. श्री एच० एम० पटेल
9. श्री एस० बी० पो० पट्टाभिरामराव
10. श्री वी० रंगनाथ शिराय
11. श्री आर० के० सिन्हा

राज्य सभा

12. श्री हर्षदेव मालवीय
13. श्री एस० एस० मरिस्वामी
14. श्री एम० के० मोहता
15. श्री देवदत्त पुरी
16. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
17. श्री एच० एम० त्रिवेदी
18. श्री महावीर त्यागी
19. डा० मुकुन्दराय व्यास

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा––संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता।
2. श्री एन० एल० वैद्यनाथन–– अपर विधायी परामर्शदाता ।

विधि, न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० रे०––सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन ––संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एच० एस० राव–– उप सचिव
4. डा० (श्रीमती) उषा दर–– संयुक्त निदेशक
5. श्री सी० आर० डी० मेनन–– संयुक्त निदेशक

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे––उप सचिव

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री ए० आर० गोखले ने, जो समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार; समिति के सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार-विमर्श स्थगित करने का निर्णय किया । समिति ने 15 अक्तूबर, 1973 से विधेयक पर खण्डवार विचार-विमर्श पूरा होने तक अपनी बैठकें का निर्णय किया ।

4. तत्पश्चात् समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक समय बढ़ाने की मांग करने का निर्णय किया ।

5. समिति ने, समिति के सभापति तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० के० सिन्हा को सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

चौंतीस

चौतीसवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 15 अक्तूबर, 1973 को 10.30 बजे से 12.45 तक तथा पुनः 16.00 बजे से 18.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा— सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सयैद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत बरुआ
4. श्री एच० के० एल० भगत
5. श्री सोमनाथ चटर्जी
6. श्री त्रिदिव चौधरी
7. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
8. श्री एस० आर० दामाणी
9. श्री मधु दण्डवत्ते
10. श्री गंगाचरण दीक्षित
11. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
12. श्री पोपटलाल एम० जोशी
13. श्री बाबू राव जंगलूजी काले
14. श्री जगन्नाथ मिश्र
15. श्री मुहम्मद शरीफ
16. श्री नरसिंह नारायण पांडे
17. श्री एच० एम० पटेल
18. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामराव
19. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
20. श्री विश्वनाथ राय

राज्य सभा

21. श्री बी० टी० कुलकर्णी
22. श्री हर्वदेव मालवीय
23. श्री एस० एस० मरिस्वामी
24. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
25. श्री एम० के० मोहता
26. श्री देवदत्त पुरी
27. श्री के० श्रीनिवासराव
28. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
29. श्री हिम्मत सिंह
30. श्री हबीब तनवीर

31. श्री एच० एम० त्रिवेदी
32. श्री महावीर त्यागी
33. डा० मुकुन्दराय व्यास

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री एन० एल० वैद्यनाथन्—अपर विधायी परामर्शदाता

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० रे—सचिव
2. श्री पी० वी० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एच० एस० राव—उप सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने, जो समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार किया ।

4. **खण्ड** 2—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 8

"नियंत्रण रखता है" **के पश्चात्** "या रखने की स्थि ति में है" **अन्तःस्थापित किया जाये :**

(दो) पृष्ठ 2, पंक्ति 9 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये ।** :

"**स्पष्टीकरण**—यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या दो या अधिक व्यष्टि, संगम, फर्म या निगम निकाय या उनका कोई समुच्चय, कोई 'समुदाय' गठित करता है या उसके अन्तर्गत आता है तो कम्पनी विधि बोर्ड ऐसे व्यष्टियों , संगमो, फर्मों, या निगम निकायों या उनके किसी समुच्चय को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् उसका विनिश्चय करेगा।"

(तीन) पृष्ठ 2, पंक्ति 22 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये**—

"(iii) खण्ड 30 में कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ से छः मास की समाप्ती पर—

(i) उपखंड (क) में 'सचिव तथा कोषपाल या सचिव' **शब्दों के स्थान पर** 'या सचिव और कोषपाल' **शब्द रखें जायेंगे;**

(ii) उपखण्ड (ग) **का लोप कर दिया जाएगा** "

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

5. समिति की बैठक 12.45 बजे स्थगित हुई और 16.00 बजे पुनः समवेत हुई ।

6. **खण्ड** 3—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ ।

"पृष्ठ 4 तथा 5, क्रमशः पंक्ति 11—37 तथा पंक्ति 1—37 **का लोप किया जाये ।।**"

खण्ड पर आगे विचार करना स्थगित कर दिया गया ।

7. **नया खण्ड 3क**—निम्नलिखित खण्ड प्रारूपण सम्बन्धी परिवर्तनों के अध्यधीन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 4, पंक्ति 10 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाये —

धारा 10ङ का संशोधन

3क. मूल अधिनियम की धारा 10ङ में,

(i) उपधारा (2) में 'पांच' शब्द **के स्थान** पर 'नौ' शब्द **रखा जाएगा** ;

(ii) उपधारा (4क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

"(4ख) उपधारा (4क) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, लिखित आदेश द्वारा, अपने सदस्यो में से एक या अधिक न्यायपीठ गठित कर सकेगा और ऐसी प्रत्येक न्यायपीठ को ऐसे बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का, जो आदेश में विहित किए जायें, प्रयोग और निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा; ऐसी शक्तियों के प्रयोग में या ऐसे कृत्यों के निर्वहन में किसी न्यायपीठ द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश या कार्य, यथास्थिति, बोर्ड का आदेश या कार्य समझा जाएगा।

1908 का 5 (4ग) उपधारा (4ख) में निर्दिष्ट न्यायपीठ को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन, न्यायालय में, वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों की बाबत निहित होती हैं, अर्थात:—

(क) साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली दस्तावेजों या अन्य तात्विक सामग्री का प्रकटीकरण और निरीक्षण;

(ख) साक्षियों को हाजिर कराना और उनके व्ययों को निक्षिप्त करने की अपेक्षा करना ;

(ग) साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली दस्तावेजों या तात्विक सामग्री को पेश किए जाने के लिए विवश करना और उसे परिबद्ध करना ;

(घ) साक्षियों की शपथ पर परीक्षा करना ;

(ङ) स्थगन मंजूर करना ;

(च) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

1898 का 5 (4घ) प्रत्येक न्यायपीठ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 195 और अध्याय 35 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा और न्यायपीठ के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता
1860 का 45 की धारा 193 और 258 के अर्थ में तथा उस संहिता की धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा।"

8. खण्ड 4—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 6, पंक्ति 2,

'केन्द्रीय सरकार' के स्थान पर 'कम्पनी विधि बोर्ड' **प्रतिस्थापित किया जाये।**

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

9. **खण्ड** 5—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :

(i) पृष्ठ 6, पंक्ति 10—36 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :—

"(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात् —

(1क) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी प्राइवेट कम्पनी का जो कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ पर अस्तित्व में हो या तत्पश्चात् निगमित हो, औसत वार्षिक आवर्त सुसंगत कालावधि के दौरान एक करोड़ रुपये से कम नहीं है वहां वह प्राइवेट कम्पनी उसकी समादत्त शेयर पूंजी चाहे कुछ भी हो उस सुसंगत अवधि के जिसके दौरान उस प्राइवेट कम्पनी का उक्त औसत वार्षिक आवर्त था, अंतिम दिन से तीन मास की कालावधि की समाप्ति पर और से, इस उपधारा के आधार पर पब्लिक कम्पनी हो जाएगी :

परन्तु प्राइवेट कम्पनी के इस प्रकार पब्लिक कम्पनी हो जाने के पश्चात् भी उसके संगम अनुच्छेद के अन्तर्गत धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट विषयों से सम्बद्ध उपबंध हो सकेंगे और उसके सदस्यों की संख्या सात से कम हो सकेगी या किसी भी समय सात से कम की जा सकेगी।"

(ii) पृष्ठ 7, पंक्ति 1—2,

"(1क) जहां किसी ऐसी पब्लिक कम्पनी की, जिसकी शेयर पूंजी है, समादत्त शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अन्यून" **के स्थान पर**

"(1ख) जहां किसी ऐसी पब्लिक कम्पनी की , जिसकी शेयर पूंजी है, समादत्त शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(iii) पृष्ठ 7, पंक्ति 12

"दस प्रतिशत" के स्थान पर "पच्चीस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(चार) पृष्ठ 7, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए :

"परन्तु प्राइवेट कम्पनी के इस प्रकार पब्लिक कम्पनी हो जाने के पश्चात् भी उसके संगम अनुच्छेदों के अन्तर्गत धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट विषयों से सम्बद्ध उपबन्ध हो सकेंगे और उसके सदस्यों की संख्या सात से कम हो सकेगी या किसी भी समय सात से कम की जा सकेगी।"

(पांच) पृष्ठ 7, 15–27 पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

(ii) उपधारा (8) में निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) प्रत्येक प्राइवेट कम्पनी को जिसकी समादत्त शेयर पूंजी चाहे कुछ भी हो सुसंगत कालावधि के दौरान एक करोड़ रुपये या अधिक का औसत वार्षिक आवर्त नहीं था ";

(iii) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी , अर्थात् :—

'(9) प्रत्येक प्राइवेट कम्पनी जिसकी शेयर पूंजी, वार्षिक विवरण के साथ रजिस्ट्रार को विवरण पर दोनों हस्ताक्षर कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र फाइल करेगा जिसमें वह कथन होगा कि उस वार्षिक साधारण अधिवेशन की, जिसके प्रति निर्देश से अन्तिम विवरक भेजा गया था, तारीख से अथवा प्रथम विवरण की दशा में प्राइवेट कम्पनी के निगमन की तारीख से इसने एक या अधिक पब्लिक कम्पनी की समादत्त शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत या अधिक धृत नहीं किया था ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) "सुसंगत कालावधि " से तीन क्रमवर्ती वित्तीय वर्षों की वह कालावधि अभिप्रेत है , —

(i) जो कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ से ठीक पूर्व है; या

(ii) जिसका एक भाग ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व का है और जिसका अन्य भाग ऐसे प्रारम्भ के ठीक बाद था, या

(iii) जो उसके प्रारम्भ के ठीक बाद की है या तत्पश्चात् किसी समय की है ;

(ख) कम्पनी के आवर्त से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा उत्पादित, प्रदत्त, वित्तरित या नियंत्रित माल या उसके द्वारा की गई सेवाओं का संकलित मूल्य अभिप्रेत है ।"

10. **खण्ड 6**——निम्नलिखित संशोधन प्रारूपण संबंधी परिवर्तनों के अध्यधीन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 67, पंक्ति 33 के पश्चात् पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(2) कोई भी कम्पनी तब तक कोई निक्षेप आमन्त्रित नहीं करेगी और न किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से आमन्त्रित करने के लिये या करवाने के लिये अनुज्ञात करेगी जब तक कि ऐसा निक्षेप उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आमंत्रित न किया जाए अथवा आमंत्रित न करवाया जाए; और

(ख) कम्पनी ने ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, एक विज्ञापन जिस में कम्पनी की वित्तीय स्थिति को दर्शित करने वाला विवरण भी सम्मिलित हो, न निकाल दिया हो ।

(3) (क) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ से पूर्व किसी समय किसी कम्पनी द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3ख के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार स्वीकार किया गया प्रत्येक निक्षेप, जब तक कि वह खण्ड (ख) के अनुसार नवीकृत न किया गया हो, ऐसे निक्षेपों के निबंधनों के अनुसार प्रतिसंदत्त किया जाएगा;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई भी निक्षेप उस की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कम्पनी द्वारा तब तक नवीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि निक्षेप ऐसा न हो जो उस दशा में स्वीकार किया जा सकता यदि उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियम उस समय प्रवृत्त होते जब कम्पनी ने वह निक्षेप आरम्भ में स्वीकार किया था ।

(ग) जहां कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पूर्व कम्पनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3ख के अधीन किसी निदेश के उल्लंघन में कोई निक्षेप प्राप्त किया था वहां ऐसे निक्षेप का प्रतिसंदाय खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा और ऐसा प्रतिसंदाय ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो ऐसे निदेश के उल्लंघन में निक्षेप को स्वीकार करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन की जाए ।

(घ) जब तक कि खण्ड (ग) में निर्दिष्ट निक्षेप ऐसे निक्षेप के निबंधनों के अधीन पूर्वतर प्रतिसंदेय न हो जब तक ऐसे निक्षेप के एक तिहाई का प्रतिसंदाय 1 अप्रैल, 1974 से पूर्व किया जाएगा; ऐसे निक्षेप के अन्य एक तिहाई का प्रतिसंदाय 1 अप्रैल, 1975 से पूर्व किया जाएगा तथा ऐसे निक्षेप के अतिशेष का प्रतिसंदाय 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व किया जाएगा ।

(4) यदि कम्पनी द्वारा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पश्चात् कोई निक्षेप उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में स्वीकार किया जाए तो कम्पनी द्वारा ऐसे निक्षेप का प्रतिसंदाय ऐसे निक्षेप के स्वीकार किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर या तीस दिन से अनधिक के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो कम्पनी द्वारा पर्याप्त कारण होने पर केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात करे, किया जाएगा ।

(5) यदि कम्पनी निक्षेप का प्रतिसंदाय उपधारा (3) के खण्ड (ग) के उपबंधों के अनुसार अथवा उपधारा (4) में निर्दिष्ट निक्षेप की दशा में उस उपधारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर करने में लोप करेगी या करने में असफल रहेगी तो,—

(क) कम्पनी जुर्माने से जो उस रकम के दुगुने से कम का नहीं होगा जिस के संबंध में निक्षेप का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है और यदि जुर्माना वसूल कर लिया जाए तो उस रकम के बराबर की रकम जिस के संबंध में निक्षेप का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है, अपराध का विवरण करने वाला न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को संदत्त की जाएगी जिस को निक्षेप का प्रति संदाय किया जाना था और ऐसे संदाय पर कम्पनी का निक्षेप का प्रतिसंदाय करने का दायित्व न्यायालय द्वारा संदत्त रकम की सीमा तक उन्मोचित हो जाएगा;

(ख) कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी जिस ने व्यतिक्रम किया हो कारावास से जिस की अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा ।

(6) जहां कोई कम्पनी, यथा स्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई निक्षेप स्वीकार करेगी या आमंत्रित करेगी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से स्वीकार करने या आमंत्रित करने के लिए अनुज्ञात या कारित करेगी वहां,—

(क) कम्पनी,—

(i) जहां ऐसा उल्लंघन किसी निक्षेप के स्वीकार करने के संबंध में हों वहां जुर्माने से जो इस प्रकार स्वीकार किया गया निक्षेप की रकम के बराबर की रकम से कम न होगा अथवा

(ii) जहां ऐसा उल्लंघन किसी निक्षेप के आमंत्रण के संबंध में हो वहां जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा;

(ख) कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी जिसने व्यतिक्रम किया हो कारावास से जिस की अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी दण्डनीय होगा और जुर्माने का दायी भी होगा ।

दो. निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :

(i) पृष्ठ 9 "पंक्ति" 11 में "(5)" के स्थान पर "(5) (क)" प्रतिस्थापित किया जाए

(ii) पृष्ठ 9, पंक्ति 12 में "(क)" के स्थान पर (i) प्रतिस्थापित किया जाए

(iii) पृष्ठ 9, पंक्ति 13 में "(ख)" के स्थान पर (ii) प्रतिस्थापित किया जाए

(iV) पृष्ठ 9, पंक्ति 15 के पश्चात् निम्नलिखित अतः स्थापित किया जाए—

"(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट विज्ञापन से संबंधित उपबन्धों के सिवाए इस धारा की कोई बात वित्तीय कम्पनियों के ऐसे वर्ग को जिसे केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श कर के इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

लागू नहीं होगी ।

(V) पृष्ठ 9, पंक्तियों 21–24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए––

"58ख. इस अधिनियम के प्रोस्पैक्टस से संबंधित उपबन्ध यावतशक्य धारा 58क में निर्दिष्ट विज्ञापन को लागू होंगे ।"

11. खण्ड 7.––खण्ड पर आगे विचार स्थगित कर दिया गया ।

12. तत्पश्चात् समिति की बैठक मंगलवार, 16 अक्तूबर, 1973 को 10–30 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई ।

पैंतीस

पैंतीसवीं बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 16 अक्तूबर, 1973 को 10.30 बजे से 13.15 बजे तक हुई

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत बरूआ
4. श्री एच० के० एल० भगत
5. श्री सोमनाथ चटर्जी
6. श्री त्रिदिव चौधरी
7. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
8. श्री एस० आर० दामाणी
9. श्री मधु दण्डवते
10. श्री गंगाचरण दीक्षित
11. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
12. श्री पोपट लाल एम० जोशी
13. श्री बाबूराव जंगलूजी काले
14. श्री जगन्नाथ मिश्र
15. श्री सुरेन्द्र महन्ती
16. श्री मोहम्मद शरीफ
17. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
18. श्री नरसिंह नारायण पांडे
19. श्री एच० एम० पटेल
20. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामराव
21. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
22. श्री विश्वनाथ राय

राज्य सभा

23. श्री बी० टी० कुलकर्णी
24. श्री हर्ष देव मालवीय
25. श्री एस० एस० मरिस्वामी
26. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
27. श्री एम० के० मोहता
28. श्रीमती सरस्वती प्रधान
29. श्री देवदत्त पुरी
30. श्री के० श्रीनिवास राव
31. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
32. श्री हिम्मत सिंह
33. श्री महावीर त्यागी
34. डा० मुकुन्द राय व्यास

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री एन० एल० वैद्यनाथ—अपर विधायी परामर्शदाता ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० रे—सचिव
2. श्री पी० वी० मेनन—संयुक्त सचिव
3. श्री सी० एच० स० राव—उप सचिव

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—**उप सचिव**

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से समिति की बैठक में भाग लिया ।

3. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार करना आरम्भ किया ।

4. **खण्ड 8** : निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 10, पंक्ति 23, "केन्द्रीय सरकार" **के स्थान पर** "कम्पनी विधि बोर्ड" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकार हुआ ।

5. **नया खण्ड 8क**: निम्नलिखित खण्ड प्रारूपण सम्बन्धी परिवर्तनों के अध्यधीन यदि आवश्यक हो, स्वीकृत हुये ।

पृष्ठ 11, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाये :—

"धारा 90 का प्रतिस्थापन ।

8क. मूल अधिनियम की धारा 90 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

व्यावृत्ति

90(1) धारा 85, 86, 88 और 89 की कोई बात इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी पब्लिक कम्पनी द्वारा निर्गमित किन्हीं शेयरों की दशा में, उन किन्हीं मतदान के अधिकारों पर जो उन शेयरों से संलग्न हैं, धारा 89 में उपबन्धित से अन्यथा ऐसे किन्हीं अधिकारों पर जो लाभांश या पूंजी के बारे में अथवा अन्यथा उन शेयरों से संलग्न है, प्रभाव न डालेगी ।

(2) धारा 85 से लेकर धारा 89 तक की कोई बात प्राइवेट कम्पनी को तब के सिवाये लागू न होगी जब कि वह पब्लिक कम्पनी की समनुषंगी है ।

(3) शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ पर और से धारा 87 के उपबन्ध, 1 अप्रैल, 1956 से पूर्व किसी पब्लिक कम्पनी द्वारा निर्गमित अधिमानी शेयरों से संलग्न मतदान के अधिकारों के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस तारीख के पश्चात् किसी पब्लिक कम्पनी द्वारा निर्गमित अधिमानी शेयरों को लागू होते हैं ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिये पब्लिक कम्पनी के प्रतिनिर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत उस प्राइवेट कम्पनी के प्रति जो पब्लिक कम्पनी के समनुषंगी है, निर्देश भी हैं ।"

खण्ड, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

6. **खण्ड 9**—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

7. **खण्ड 10**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुये :

(एक) पृष्ठ 11, पंक्ति 34–35,

"जिसकी कुल समादत्त पूंजी पच्चीस लाख रुपये से कम न हो ।"

का लोप किया जाये ।

(दो) पृष्ठ 11, पंक्ति 36, 'ऐसी' शब्द **का लोप किया जाये ।**

(तीन) पृष्ठ 12, पंक्ति 12,

'साधारण शेयर पूंजी' **के स्थान पर** 'अभिदत्त साधारण शेयर पूंजी' **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(चार) पृष्ठ 12, पंक्ति 15, 'ऐसे शेयर' **के स्थान पर** 'एक या अधिक शेयरों को' **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(पांच) '**its**' के पश्चात् '**or their**' अन्त:स्थापित करने से हिन्दी में कोई अन्तर नहीं हुआ ।

(छ:) पृष्ठ 12, पंक्ति 29–30 **के स्थान पर** "(क) ऐसा कोई शेयर प्रस्थापित अन्तरिती को अन्तरित नहीं किया जायेगा :

परन्तु ऐसे किसी आदेश से कम्पनी किसी अन्य व्यक्ति को शेयर अन्तरित करने की अपनी प्रस्थापना की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को सूचना देने से प्रविरत नहीं होगी, या" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(सात) पृष्ठ 13, पंक्ति 3–4,

"उस शेयर के धारक को उसके बाजार मूल्य के बराबर रकम नकद देगा" **के स्थान पर** "उस निगम निकाय या उन निगम निकायों को जिनसे ऐसा शेयर अन्तरित हुआ है, ऐसे शेयर के बाजार मूल्य के बराबर रकम, उपधारा (3क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, नकद देगा ।"

प्रतिस्थापित किया जाये ।

(आठ) पृष्ठ 13, पंक्ति 13 **के पश्चात्**

"3(क) उपधारा (3) में निर्दिष्ट बाजार मूल्य वहां तत्काल दिया जाएगा जहां ऐसे मूल्य के बारे में कोई विवाद न हो अथवा जहां ऐसा मूल्य परस्पर तय हुआ हो; किन्तु जहां बाजार मूल्य के बारे में विवाद हो वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निगम द्वारा प्राक्कलित मूल्य तत्काल दिया जायेगा और अतिशेष यदि कोई हो, उस तारीख से जब न्यायालय द्वारा बाजार मूल्य अवधारित हो, तीस दिन के भीतर दिया जाएगा"

अन्त:स्थापित किया जाये ।

(नौ) पृष्ठ 13, पंक्ति "24–27" **का लोप किया जाये ।**

(दस) पृष्ठ 13, पंक्ति 29, "(i)" **का लोप किया जाये ।**

(ग्यारह) पृष्ठ 13, पंक्ति 30, 'कुल मिलाकर अथवा' **के स्थान पर** 'कुल मिलाकर' **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(बारह) पृष्ठ 13, पंक्ति 31,

"(ii) व्यष्टि जो स्वयं या अपने नातेदारों के साथ मिलकर" **का लोप किया जाये ।**

(तेरह) पृष्ठ 13, पंक्ति 36–37,

"केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, अन्तरित न करेगा" **के पश्चात्**

"और ऐसा पूर्व अनुमोदन तब तक इंकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान न हो जाये कि ऐसे अन्तरण से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा" **जोड़ा जाये** ।

(चौदह) पृष्ठ 14, पंक्ति 9,

"या अर्जित करेगा" शब्दों **का लोप किया जाये** ।

(पन्द्रह) पृष्ठ 15, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** :

"(4) जिस व्यक्ति को कोई शेयर या शेयरों का ब्लाक उपधारा (2) के अधीन पुनः अन्तरित हुआ है, वह उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्रतिदाय करने पर ऐसे मतदान के या अन्य अधिकारों का जो ऐसे शेयर या शेयरों के ब्लाक से संलग्न हों, प्रयोग करने का पात्र होगा ।

समय जिसके भीतर इंकार की सूचना दी जानी है ।

108घक. धारा 108क में निर्दिष्ट किसी शेयर के अर्जन या धारा 108ग में निर्दिष्ट किसी शेयर के अन्तरण के लिये प्रस्थापना के केन्द्रीय सरकर द्वारा अनुमोदन किये जाने के लिए की गई प्रत्येक प्रार्थना उस दशा के सिवाय मंजूर की गई उपधारित की जायेगी जिसमें ऐसी प्रार्थना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार उस व्यक्ति को, जिसने प्रार्थना की थी, यह सूचित करती है कि प्रार्थित अनुमोदन नहीं दिया जा सकता है ।"

(सोलह) पृष्ठ 15, पंक्ति 24—31, **के स्थान पर**

धारा 108 से लेकर 108घ तक में 'शेयरों' या 'शेयर पूंजी' के प्रतिनिर्देशों का अर्थान्वयन ।

108 छ. धारा 108क, 108ख, 108ग और 108घ, में यथास्थिति, शेयरों या शेयर पूंजी के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि किसी उपक्रम का जिसे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अध्याय 3 के भाग क के उपबन्ध लागू होते हैं, स्वामित्व रखने वाले निगम निकाय के, क्रमशः शेयरों या शेयर पूजी के प्रति निर्देश हैं"

प्रतिस्थापित किया जाये ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

8. **खण्ड 11**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुये :

पृष्ठ 16, पंक्ति 33,

"केन्द्रीय सरकार" **के स्थान पर** "कम्पनी विधि बोर्ड" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

9. **खण्ड 12**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुये :

पृष्ठ 16, पंक्ति 4,

"केन्द्रीय सरकार" **के स्थान पर** "कम्पनी विधि बोर्ड" **प्रतिस्थापित किया जाये** ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।]

10. **खण्ड 13**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 17, पंक्ति 17 के पश्चात्

"(7) इस धारा की कोई बात किसी कम्पनी की धारा 206 के उपबन्धों के अनुसार लाभांश देने की बाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी और ऐसा संदाय किये जाने पर, वह बाध्यता उन्मोचित हो जाएगी ।"

अन्तःस्थापित किया जाये ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

11. **खण्ड 14**—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

12. **खण्ड 15**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुये :

(एक) पृष्ठ 18, पंक्ति 10,

"13 अप्रैल, 1970 के पूर्व" **के स्थान पर** "15 अगस्त, 1960 के पश्चात् किसी समय भी" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

पृष्ठ 18, पंक्ति 22,

(दो) "3 अप्रैल, 1970 के पूर्व" के स्थान पर "15 अगस्त, 1960 के पश्चात् किसी समय" भी **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

13. **नया खण्ड 15क**—निम्नलिखित नया खण्ड स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 19, पंक्ति 25 के पश्चात्, निम्नलिखित **जोड़ा जाये :**

धारा 205 का संशोधन ।

15क—मूल अधिनियम की धारा 205 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ से ही किसी वित्तीय वर्ष के लिए कोई भी लाभांश कम्पनी के उस वर्ग के लिये उन लाभों में से, जो उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अवक्षयण के लिये उपबन्ध करने के पश्चात् निकलते हैं सिवाय उस वर्ष के लिये उसके लाभों की दस प्रतिशत से अधिक ऐसी प्रतिशतता, जो विहित की जाए, कम्पनी की आरक्षितियों में अन्तरित करने के पश्चात्, न तो घोषित किया जाएगा और न दिया जाएगा ।"

14. **खण्ड 16**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुये :

(एक) पृष्ठ 19, पंक्ति 28—34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"असंदत्त लाभांश का विशेष लाभांश खाते को अन्तरित किया जाना ।

"205क. (1) जहां कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के पश्चात् किसी कम्पनी द्वारा कोई लाभांश घोषित किया गया है किन्तु संदत्त नहीं किया गया है या लाभांश के संदाय के लिये हकदार किसी शेयर धारक को घोषणा की तारीख से बयालीस दिन के भीतर उसके बारे में अधिपत्र नहीं भेजा गया है वहां कम्पनी बयालीस दिन की उक्त अवधि के समाप्त होने की तारीख से सात

दिन के भीतर लाभांश की वह कुल रकम जो असंदत्त रहती है या जिसके सम्बन्ध में कोई लाभांश अधिपत्र बयालीस दिन की उक्त अवधि के भीतर नहीं भेजा गया है, कम्पनी द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में उस निमित्त खोले जाने वाले खाते में जो. . . कम्पनी लिमिटेड/ कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड का असंदत्त लाभांश खाता कहलायेगा, अन्तरित करेगी ।"

(दो) पृष्ठ 20, पंक्ति 18–19,

"बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज उतनी रकम पर देगी जो उक्त खाते में अन्तरित न की गई हो" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये ।

"और ऐसी रकम पर प्रोदभूत होने वाला ब्याज कम्पनी के सदस्यों के फायदे के लिये उनको असंदत्त रहने वाली रकम के अनुपात में प्रयोग में लाया जायेगा ।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

15. खण्ड 17—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

16. तत्पश्चात् समिति की बैठक बुधवार, 17 अक्तूबर 1973 को 10.30 बजे से पुन: समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

छत्तीस

छत्तीसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 17 अक्तूबर 1973 को 10.30 बजे से 13.15 बजे तक और पुनः 16.00 बजे से 17.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत वरुआ
4. श्री एच० के० एल० भगत
5. श्री सोमनाथ चटर्जी
6. श्री त्रिदिब चौधरी
7. श्री एस०आर० दामाणी
8. श्री मधु दण्डवते
9. श्री गंगाचरण दीक्षित
10. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
11. श्री पापटलाल एम० जोशी
12. श्री रामचन्द्र कडनापल्ली
13. श्री बाबूराव जगंलूजी काले
14. श्री जगन्नाथ मिश्रा
15. श्री सुरेन्द्र महन्ती
16. श्री मोहम्मद शरीफ
17. श्री प्रियरंजन दास मुंशी
18. श्री डी० के० पण्डा
19. श्री नरसिंह नारायण पांडे
20. श्री एच० एम० पटेल
21. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामराव
22. श्री विश्वनाथ राय
23. श्री रामरतन शर्मा

राज्य सभा

24. श्री सलिल कुमार गांगुली
25. श्री बी० टी कुलकर्णी
26. श्री हर्षदेव मालवीय
27. श्री एस० एस० मरिस्वामी
28. श्री जगदीश प्रशाद माथुर
29. श्री एम० के० मोहता
30. श्रीमती सरस्वती प्रधान
31. श्री देवदत्त पुरी
32. श्री के० श्रीनिवास राव
33. श्री निवास गणेश सरदेसाई
34. श्री हिम्मत सिंह

35. श्री एच० एम० त्रिवेदी
36. श्री महावीर त्यागी
37. डा० मुकुन्द राय व्यास

(विधायी परामर्शदाता)

1. श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

2. श्री एन० एल० वद्यनाथन्—अपर विधायी परामर्शदाता ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि ।

1. श्री के० के० राय—सचिव
2. श्री पी० वी० मेनन—संयुक्त सचिव ।
3. श्री एस० राव—उप सचिव ।

सचिवालय

श्री हरिगोपाल परांजपे—उप-सचिव

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने जो समिति के सदस्य नहीं थे , लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परंतुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

4. खण्ड 18—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

पृष्ठ 21 पंक्ति 36

"पेश करे" के बाद

"अथवा पेश करवाये" अन्तःस्थापित किया जाये ।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

5. खण्ड 19—निम्न संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी परिवर्तनों के अध्यधीन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 23, पंक्ति 20-23, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विवरण में निम्नलिखित भी उपदर्शित होगा, अर्थात् :—

(i) क्या ऐसा कर्मचारी कम्पनी के किसी निर्देशक या प्रबन्धक का नातेदार है, और यदि हां तो ऐसे निदेशक का नाम, और

(ii) अन्य ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जायें ।"

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

6. खण्ड 20—निम्नलिखित संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी परिवर्तनों के अध्यधीन स्वीकृत हुए :—

(एक) पृष्ठ 23, पंक्ति 26 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित कीजिए :—

"(1) उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक 'क' जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

"परन्तु किसी कम्पनी द्वारा किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन में संपरीक्षक या संपरीक्षकों की किसी नियुक्ति या पुर्ननियुक्ति किए जाने से पूर्व इस प्रकार नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्थापित संपरीक्षक या संपरीक्षकों से इस आशय का एक लिखित प्रमाण पत्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा कि नियुक्ति या पुर्ननियुक्ति, यदि की जाती है तो, उपधारा (1ख) और (1ग) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार होगी ।"

(दो) पृष्ठ 23, पंक्ति 31-37 तथा पृष्ठ 24, पंक्ति 1-3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कीजिए :—

"(1ख) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ के ठीक आगामी वित्तीय वर्ष से ही कोई भी कम्पनी किसी व्यक्ति या फर्म को अपने संपरीक्षक के रूप में तब नियुक्ति या पुर्ननियुक्त नहीं करेगी जब ऐसा व्यक्ति या फर्म ऐसी नियुक्ति या पुर्ननियुक्त की तारीख को कम्पनी को विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक कम्पनियों के संपरीक्षक के रूप में नियक्ति धारण करती हो :

परन्तु संपरीक्षकों की फर्म की दशा में "कम्पनियों की विनिर्दिष्ट संख्या" का अर्थ फर्म के प्रति भागीदार के लिए कम्पनियों की विनिर्दिष्ट संख्या लगाया जाएगा :

परन्तु यह और की जहां फर्म का कोई भागीदार किसी अन्य संपरीक्षक फर्म या फर्मों का भागीदार भी है वहां कम्पनियों की वह संख्या जो सभी फर्मों द्वारा मिल कर ऐसे भागीदार के सम्बन्ध में हिसाब में ली जा सकेगी, योग में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(1ग) उपधारा (1ख) के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए किसी कम्पनी को समर्थ बनाने के प्रयोजननों के लिए कम्पनी संशोधन) अधिनियम, 1973 के आरम्भ से ठीक पूर्व, विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक कम्पनियों के संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति धारण करने वाला व्यक्ति या फर्म प्रारम्भ से साठ दिन के भीतर उस कम्पनी या कम्पनियों को जिसके संपरीक्षक के रूप में पुर्न-नियुक्ति होने के लिए वह रजामंद नहीं है, से ऐसे प्रारम्भ से ठीक आगामी वित्तीय वर्ष से संपरीक्षक के रूप में पुर्नःनियुक्ति किए जाने के लिए अपनी गैर रजामंदी सूचित करेगा ; और साथ ही साथ रजिस्ट्रार को उन कम्पनियों के नाम सूचित करेगा जिनके संपरीक्षक के रूप में पुर्ननियुक्ति किए जाने के लिए वह रजामंद है तथा उसमें विनिर्दिष्ट प्रत्येक कम्पनी को उस सूचना की एक प्रति भेजेगा ।

स्पष्टीकरण–1 उपधारा (1ख) और (1ग) के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट संख्या" से, ––

(क) अनेक कम्पनियों के जिनमें से प्रत्येक की समादत्त शेयर पूंजी 25 लाख रुपये से कम है संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति धारण करने वाले व्यक्ति या फर्म की दशा में ऐसी बीस कम्पनियां अभिप्रेत हैं ;

(ख) किसी अन्य दशा में बीस कम्पनियां अभिप्रेत हैं जिनमें से अधिक से अधिक दस कम्पनियां ऐसी कम्पनियां होंगी जिनमें से प्रत्येक की समादत्त शेयर पूंजी पच्चीस लाख रुपये या अधिक हो ।

स्पष्टीकरण 2––विनिर्दिष्ट संख्या की संगणना करने में उन कम्पनियों की संख्या को हिसाब में लिया जायेगा जिनके बारे में या जिनके किसी भाग के बारे में कोई व्यक्ति या फर्म, अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के साथ संपरीक्षक के रूप में नियक्त की गई है ।"

7. **खण्ड** 21––निम्नलिखित दो संशोधनों में से एक संशोधन प्रारूपण तथा परिणामिक परिवर्तनों में अध्यधीन स्वीकृत हुआ :––

(एक) पृष्ठ 24, पंक्ति 21-22 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये :––

"किसी संपरीक्षक की नियुक्ति या पुर्ननियुक्ति एक विशेष संकल्प द्वारा की जाएगी ।"

(दो) पृष्ठ 24, पंक्ति 22, "केन्द्रीय सरकार" **के स्थान पर** "एक विशेष संकल्प" प्रतिस्थापित कीजिए ।

खण्ड संशोधन के रूप में स्वीकृत हुआ ।

8. **खण्ड** 22––निम्नलिखित संशोधन प्रारुपण और परिमाणिक परिवर्तनों के अध्याधीन स्वीकार किया गया :––

पृष्ठ 25, पंक्ति 5-13 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए ––

"परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के अर्थ में लागत लेखापाल साधारणतः कम्पनियों की लागत लेखा की संपरीक्षा करने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उस अवधि के लिए, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, के अर्थ में ऐसा चार्टर्ड एकाउन्टेंन्ट भी जो विहित अर्हताएं रखता है, कम्पनियों के लागत लेखा की संपरीक्षा कर सकेगा । और तब विहित अर्हताएं रखने वाला चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट कम्पनी के लागत लेखा की संपरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ।"

खण्ड, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

9. समिति की बैठक 13.15 बजे स्थगित हुई और 16.00 बजे पुनः समवेत हुई ।

10. **खण्ड** 23––निम्नलिखि त संशोधन स्वीकृत हुआ :––

पृष्ठ 27, पंक्ति 30-31 "पद रिक्त कर देगा" **के स्थान पर** "पद उस तारीख को रिक्त कर देगा जिसको केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय कम्पनी को संसूचित किया जाता है" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

खण्ड, संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

11. **खण्ड 24**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 28, पंक्ति 8, "अभिकर्ता" के पश्चात् "उस कालावधि के लिए जो घोषणा में विनिर्दिष्ट की जाये" **जोड़ा जाये ।**

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

12. **खण्ड 25**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 29, पंक्ति 28-29, "पच्चीस लाख" **के स्थान पर** "एक करोड़" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

13. **खण्ड 26**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 31, पंक्ति 6 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाए :—

"(iiiक) उपधारा (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(2ख) यदि कोई पद या लाभ स्थान, यथास्थिति, उपधारा (1ख) या उसके परन्तुक के उपबन्धों के उल्लंघन में धृत हो तो संबंधित निदेशक, भागीदार, नातेदार फर्म प्राइवेट कम्पनी या प्रबंधक की बाबत यह समझा जाएगा कि उसके, यथास्थिति, उपधारा (1ख) या उसके परन्तुक में निर्दिष्ट कम्पनी के साधारण अधिवेशन की तारीख के ठीक बाद की तारीख से ही उस रूप में अपना पद रिक्त कर दिया है और वह उस कम्पनी को, प्राप्त पारिश्रमिक या उसके द्वारा ऐसे पद या लाभ स्थान के बारे में यथापूर्वोक्त तारीख से ठीक पूर्ववर्ती अवधि के लिए उपभोग की गई किसी परिलब्धि या प्रसुविधा का आर्थिक समतुल्य प्रतिदत्त करने का दायी होगा ।"

14. **खंड 27 तथा 28**—विधेयक में किये गये परिवर्तन के परिणामस्वरूप इन खंडों का लोप किया गया ।

15. **खण्ड 29**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :—

(एक) पृष्ठ 31, पंक्ति 23-24,

"जिसकी वे अर्हताएं होंगी जो विहित की जाएं ।" **का लोप किया जाये ।**

(दो) पृष्ठ 31, पंक्ति 32,

"कम्पनी के" **के पश्चात्**

"जिसकी समादत्त शेयर पूंजी पच्चीस लाख रुपये से कम नहीं है"

अन्तःस्थापित किया जाये ।

खंड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

16. **खण्ड 30 तथा 31**— ये खंड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए ।

17. **खण्ड 32**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 33, पंक्ति 7—10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए ।

"(ख) (i) धारा 159 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तरणों या अनुकलनों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उनमें किये जायें भारत में कारबार का स्थापित स्थान रखने वाली विदेशी कम्पनी को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे भारत में निगमित कम्पनी को लागू होते हैं ।

(ii) धारा 209 क और धारा 234 से लेकर 246 तक (जिसमें ये दोनों धारायें भी सम्मिलित हैं) के उपबन्ध भारत में कारबार का स्थापित स्थान रखने वाली विदेशी कम्पनी के केवल भारतीय कारबार को, यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे भारत में निगमित कम्पनी को लागू होंगे ।"

खंड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

18. **खण्ड 33**—खंड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

19. **खण्ड 34**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :—

पृष्ठ 33, पंक्ति 19—24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये ।

"परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात से किसी सरकारी कम्पनी पर धारा 224 की उपधारा (1ख) और (1ग) का लागू होना प्रतिसिद्ध नहीं समझा जाएगा ।"

खंड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

20. खण्ड 35—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 33, पंक्ति 29,

"अधिक द्वारा" के पश्चात्

"या उसके समुच्चय द्वारा" अन्त:स्थापित किया जाए ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

21. नया खण्ड, 35क : निम्नलिखित नया खण्ड स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 34, पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए ।

"धारा 637क का संशोधन ।

35क. मूल अधिनियम की धारा 637क में—

(1) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्द के, जहां कहीं भी वे आते है, स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार या कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जायेंगे;

(2) उपधारा (2) में,—

(क) "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या कम्पनी विधि बोर्ड" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (क) और (ख) में "उस सरकार" शब्दों के पश्चात् "या बोर्ड" शब्द अन्त:स्थापित किये जायेंगे ।

22. खण्ड 36—खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ :

23. नया खण्ड 36क—निम्नलिखित नया खण्ड स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 34, पंक्ति 31 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये ;

"धारा 641 का संशोधन ।

36क. मूल अधिनियम की धारा 641 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा ; अर्थात :—

"(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक परिवर्तन, किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष , जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिवर्तन में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जायें तो तत्पश्चात वह ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जायें कि वह परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा किन्तु परिवर्तन के ऐसे उपातरित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

24. नया खण्ड 36ख—निम्नलिखित नया खण्ड स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 34, पंक्ति 31 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए ;

"धारा 642 का संशोधन ।

36ख. मूल अधिनियम की धारा 642 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात :—

"(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष,

जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए। तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

25. खण्ड 37 तथा 38--खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

26. खण्ड 39--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 37, पंक्ति 7-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

43. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में धारा 2 के खण्ड (6) में,-- 1969 के अधिनियम सं० 54 का संशोधन।

(1) उपखण्ड (3), (ग) के कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 के अर्थ में शब्दों का लोप किया जाएगा ; 1956 का 1

(2) उपखण्ड (V) में उक्त धारा 370 के अर्थ में शब्दों का लोप किया जाएगा।

(iii) उपखण्ड (Vii) के पश्चात किन्तु उदाहरण के पूर्व निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:--

'स्पष्टीकरण 1--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निगम निकायों के स्वामित्वाधीन दो उपक्रमों को एक ही प्रबन्ध के अधीन समझा जाएगा,

(i) यदि ऐसा एक निगम निकाय दूसरे का नियंत्रण करता है या दोनों एक ही समुदाय या एक ही समुदाय के किसी संघटक के नियंत्रण के अधीन हैं; या

(ii) यदि ऐसे एक निगम निकाय का प्रबन्धक निदेशक या प्रबन्ध दूसरे का प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्धक हो ; या

(iii) यदि ऐसा एक निगम निकाय दूसरे के एक तिहाई से अन्यून साधारण शेयर धारण करता है या दूसरे के निदेशक बोर्ड की कुल सदस्यता के एक तिहाई से अन्यून की संरचना का नियंत्रण करता है ; या

(iV) यदि ऐसे एक निगम निकाय का एक या अधिक निदेशक (स्वतन्त्र रूप से या ऐसे निदेशको के नातेदारों के साथ) दूसरे के एक तिहाई निदेशक गठित करते हैं या उस दिन से जब यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे निगम निकाय एक ही प्रबन्ध के अधीन है, ठीक पूर्ववर्ती छह मास की अवधि के भीतर किसी समय गठित करता था ; या

(V) यदि एक समुदाय के एक ही व्यष्टि, जिसमें वह या वे (स्वंय या अपने नातेदारों के साथ) ऐसे एक निगम निकाय के एक तिहाई से अन्यून साधारण शेयर धारण कर रहे हों, दूसरे में (स्वंय या अपने नातेदारों के साथ) एक तिहाई से अन्यून साधारण शेयर भी धारण करते हों; या

(Vi) यदि एक समुदाय का एक ही निगम निकाय या अनेक निगम निकाय जो एक निगम निकाय में एक तिहाई से अन्यून साधारण शेयर धारण करते हों, अन्य में भी एक तिहाई से अन्यून साधारण शेयर धारण करते हों; या

(Vii) यदि दोनों निगम निकायों में से प्रत्येक से सम्बद्ध किसी विषय के बारे में कुल मत शक्ति के एक तिहाई से अन्यून का प्रयोग या उसका नियंत्रण एक ही व्यष्टि धारा (स्वतन्त्र रुप से या अपने नातेदारों के साथ) या एक ही निगम निकायों द्वारा (स्वतन्त्रा रुप से या अपने समनुषंगियों के साथ) किया जाता हो ; या

(viii) यदि दोनों निगम निकायों में से प्रत्येक से सम्बद्ध किसी विषय के बारे में कुल मत शक्ति के एक तिहाई से अन्यून का प्रयोग या उसका नियंत्रण किसी समुदाय के एक ही व्यष्टियों द्वारा या किसी समुदाय के एक ही निगम निकाय द्वारा या ऐसे व्यष्टि या व्यष्टियों और ऐसे एक या अधिक निगम निकायों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता हो; या

(ix) यदि ऐसे एक निगम निकाय के निदेशक दूसरे के एक या अधिक निदेशकों के निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के अभ्यस्त हैं या यदि दोनों निगम निकायों के निदेशक किसी व्यष्टि के, जो किसी समुदाय का हो अथवा नहीं, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के अभ्यस्त हैं ।

स्पष्टीकरण 2—यदि कोई समुदाय किसी निगम निकाय का नियंत्रण करता है तो वह निगम निकाय और ऐसा प्रत्येक अन्य निगम निकाय जो उस समुदाय का संघटक है या जो उसके द्वारा नियंत्रित है एक ही प्रबन्ध के अधीन समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण 3—यदि एक ही प्रबन्ध के अधीन के दो या अधिक निगम निकाय संकलित रूप में किसी अन्य निगम निकाय की एक तिहाई साधारण शेयर पूंजी से अन्यून धारण करते हों तो ऐसा अन्य निगम निकाय उसी प्रबन्ध के अधीन समझी जायेगी जिसके अधीन प्रथम वर्णित निगम निकाय हैं ।

स्पष्टीकरण 4—यह अवधारित करने में कि क्या दो या अधिक निगम निकाय एक ही प्रबन्ध के अधीन हैं या नहीं, ऐसे निगम निकायों में लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धृत शेयरों को हिसाब में नहीं लिया जायेगा ।

खंड , संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

27. तत्पश्चात् समिति की बैठक गुरुवार, 18 अक्तूबर, 1973 को 10-30 बजे समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

———

सैंतीस

(सैंतीसवीं बैठक)

समिति की बैठक गुरुवार, 18 अक्तूबर, 1973 को 10.30 बजे से 11.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सैयद अहमद आगा
3. श्री वेदव्रत बरुआ
4. श्री सोमनाथ चटर्जी
5. श्री त्रिदिव चौधरी
6. श्री खेमचन्द भाई चावड़ा
7. श्री एस० आर० दामाणी
8. श्री मधु दण्डवते
9. श्री गंगाचरण दीक्षित
10. श्रीमती बी० जयलक्ष्मी
11. श्री पोपटलाल एम० जोशी
12. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
13. श्री जगन्नाथ मिश्र
14. श्री सुरेन्द्र महन्ती
15. श्री मोहम्मद शरीफ
16. श्री डी० के० पंडा
17. श्री एच० एम० पटेल
18. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिरामराव
19. श्री जगन्नाथ राव
20. श्री विश्वानाथ राय
21. श्री राम रतन शर्मा

राज्य सभा

22. श्री सलिल कुमार गांगुली
23. श्री एस० एस० मरिस्वामी
24. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
25. श्रीमती सरस्वती प्रधान
26. श्री देवदत पुरी
27. श्री के० श्रीनिवास राव
28. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
29. श्री हिम्मत सिंह
30. श्री एच० एम० त्रिवेदी
31. श्री महावीर त्यागी
32. डा० मुकुन्द राय व्यास

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा— संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता ।
2. श्री एन० एल० वैद्यानाथन—अपर विधायी परामर्शदाता ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० रे—सचिव
2. श्री पी० बी० मैनन —संयुक्त सचिव ।
3. श्री सी० एच० एस० राव— उप सचिव ।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव ।

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने, जो समिति के सदस्य नहीं थे, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 299 के परन्तुक के अनुसार सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया ।

3. समिति ने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ किया ।

4. **खण्ड 3**—[देखिए दिनांक 15 अक्तूबर, 1973 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 6]—यह खण्ड बिना किसी और संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

5. **खण्ड 7**—[देखिए दिनांक 15 अक्तूबर, 1973 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 11]—यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ ।

6. **खण्ड 1**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 के **स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :

"संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1973 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।"

यह खण्ड , संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

7. **अधिनियमन सूत्र**—निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"तेईसवें" के **स्थान पर** "चौबीसवें " प्रतिस्थापित किया जाये ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

8. पूरा **नाम** : विधेयक का पूरा नाम बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

9. समिति के स्पष्ट भूलों को ठीक करने और विधेयक में पारिणामिक या प्रारूप सम्बन्धी संशोधन करने, यदि कोई हों, के लिए विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया ।

10. तत्पश्चात् सभापति ने विमति-टिप्पणों के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 87 के उपबन्धों की ओर समिति के सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया ।

11. समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए गुरुवार, 8 नवम्बर, 1973 को 11.00 बजे से बैठक करने का निश्चय किया ।

12. सभापति ने घोषणा की कि यदि कोई विमति टिप्पण हो, तो लोक सभा सचिवालय को भेज दिये जायें जो उसे बुधवार, 14 नवम्बर, 1973 तक प्राप्त हो जायें ।

13. समिति ने विचार-विमर्श के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री एच० आर० गोखले तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री श्री वेदव्रत वरुआ की सराहना की ।

14. समिति ने सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए कम्पनी कार्य विभाग के विधायी परामर्शदाता, अधिकारियों और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना की ।

15. समिति ने समिति की कार्यवाही ठीक ढंग से चलाने और विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों पर समिति के विचार-विमर्श के दौरान मार्ग निर्देशन करने के लिए सभापति का धन्यवाद किया ।

16. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अड़तीस

अड़तीसवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 8 नवम्बर, 1973 को 11.00 बजे से 12.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री नवल किशोर शर्मा—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एच० के० एल० भगत
3. श्री त्रिदिब चौधरी
4. श्री एस० आर० दामाणी
5. श्री मधु दंडवते
6. श्री गंगाचरण दीक्षित
7. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
8. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
9. श्री जगन्नाथ मिश्र
10. श्री मोहम्मद शरीफ
11. श्री डी० के० पंडा
12. श्री नरसिंह नारायण पांडे
13. श्री एच० एम० पटेल
14. श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
15. श्री जगन्नाथ राव
16. श्री विश्व नाथ राय
17. श्री रामरतन शर्मा

राज्य सभा

18. श्री सलिल कुमार गांगुली
19. श्री हर्षदेव मालवीय
20. श्री एस० एस० मारिस्वामी
21. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
22. श्रीमती सरस्वती प्रधान
23. श्री देवदत्त पुरी
24. श्री के० श्रीनिवास राव
25. श्री श्रीनिवास गणेश सरदेसाई
26. श्री हिम्मत सिंह
27. श्री महावीर त्यागी
28. डा० मुकुन्द राय व्यास

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा—संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री एन० एल० वैथनायन—अपर विधायी परामर्शदाता

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० राय—सचिव
2. श्री पी० बी० मेनन—संयुक्त सचिव

3. श्री सी० एच० एस० राव— **उपसचिव**

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—**उपसचिव**

2. समिति ने विधेयक पर विचार किया और उसे संशोधित रूप में निम्नलिखित उपान्तरण के साथ स्वीकार किया :—

पृष्ठ , पंक्ति

"उक्त निदेशों" **के स्थान पर** "ऐसे निक्षेपों के निबंधनों" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

3. तत्पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे निम्नलिखित उपान्तरण के साथ स्वीकार किया :

पैरा 22 (एक)

"कम्पनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार अपने निदेशकों अथवा शेयरधारकों से निक्षेपों को स्वीकार करना ही काफी है ।" **के स्थान पर**

"कम्पनी द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निक्षेपों को स्वीकार करना ही काफी है ।"

प्रतिस्थापित किया जाये ।

4. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री जगन्नाथ मिश्र को गुरुवार, 15 नवम्बर, 1973 को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य की प्रति सभा-पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया ।

5. समिति ने श्री देवदत्त पुरी को और उनकी अनुपस्थिति में श्री हर्षदेव मालवीय को 15, नवम्बर, 1973 को राज्य-सभा के पटल पर प्रतिवेदन तथा साक्ष्य की प्रति रखने के लिए प्राधिकृत किया ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।
